खण्ड-203, अंक-4
सोमवार, 25 फाल्गुन, शक संवत् 1880
(16 मार्च, 1959 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 203 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५९

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, १६ मार्च, १९५९

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३४९

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अवधशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशव राम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री

गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसिंह बिष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती देवी, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह, आर्य श्री
बलवानसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री

बालकराम, श्री
बिन्दुमतीदास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदन गोपाल वैद्य, श्री
मदन मोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद सुलेमान अथमी, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुराजसिंह चौधरी, श्री
रघुवीर राम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोरराव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामकिंकर, श्री
राकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री

रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकुनुद्दीन खां, श्री
रूपसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसीनकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
ब्रजगोपाल सक्सेना, श्री
ब्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामसनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री

सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

सोमवार १६ मार्च, १९५९

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

अमरोहा में शाप्स ऐण्ड कार्मशियल एस्टैब्लिशमेन्ट ऐक्ट के लागू करने की मांग

१—श्री रामकुमार वैद्य** (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)—क्या मुख्य मंत्री कृपा कर बातयेंगे कि नगरों में शाप्स ऐन्ड कार्मशियल एस्टैब्लिशमेन्ट ऐक्ट लागू करने का क्या आधार है ? यह नगर की आबादी के आधार पर लगाया जाता है या जनता की मांग पर ?

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)—मुख्यतः नगर के व्यावसायिक महत्व के आधार पर ।

२—श्री रामकुमार वैद्य** (अनुपस्थित)—क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि इस समय यह ऐक्ट प्रदेश के कितने नगरों में लागू है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—८३ ।

३—श्री रामकुमार वैद्य** (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि क्या नगरपालिका, अमरोहा, जिला मुरादाबाद से भी यह ऐक्ट लागू करने की मांग गत कई वर्षों से की जा रही है ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी हां । शीघ्र ही लागू करने का विचार है ।

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगेकि शाप्स ऐन्ड कार्मशियल एस्टैब्लिशमेन्ट ऐक्ट विशेष म्युनिसिपैलिटीज के अन्दर लागू है इसलिये उसका इंतिजाम म्युनिसिपैलिटीज के सुपुर्द कर दिया जाय ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—यह निर्णय तो कितने श्रम निरीक्षक हैं उसी आधार पर लिया जा सकता है । सन् १९५७–५८ के बजट में १२ श्रम-निरीक्षकों की नियुक्ति के लिये धन रखा गया था । वह पब्लिक सर्विस कमीशन के पास जा चुका है और जैसे-जैसे वह आते रहेंगे वैसे-वैसे खुलते रहेंगे ।

श्री भगवती सिंह विशारद—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यू० पी० शाप्स ऐन्ड कार्मशियल एक्ट की धारा ६ इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा अवैध घोषित कर दी गई है और उसके परिवर्तनस्वरूप बाजार कर्मचारियों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है ? क्या इस सम्बन्ध में सरकार कुछ करने जा रही है ?

नोट—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १—३ कुंवर श्रीपाल सिंह ने पूछे ।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो कुछ किया वह तो किया ही है उसके अलावा इतने दिनों के अनुभव के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि उस कानून में कुछ परिवर्तन की जरूरत है । इसलिये हमारा विचार है कि मौका मिलते ही हम सदन के सामने दूसरा कानून रखेंगे ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि धारा ६ का संशोधन विधेयक इसी सत्र में आ जायगा या इसके बाद ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं कुछ ठीक नहीं कह सकता । हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उसको लावें ।

महापालिका आगरा की सीमा में परिवर्तन

****४—श्री देवकीनन्दन विभव** (जिला आगरा)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या महापालिका, आगरा की सीमाओं में परिवर्तन किया गया है ? और क्या सीमा निर्धारण करने में दयालबाग और स्वामीबाग को छोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो यह Pockets अलग बनाने का क्या कारण है ?

स्वायत्त शासन उप-मंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—जी हां, महापालिका आगरा की सीमायें निर्धारित करते समय वर्तमान नगरपालिका की सीमाओं से कुछ परिवर्तन किया गया है ।

महापालिका की सीमाओं में दयालबाग और स्वामी बाग क्षेत्रों को सम्मिलित नहीं किया गया है, क्योंकि यह अनुभव किया गया कि इन दोनों क्षेत्रों में जो दो प्रमुख धार्मिक संस्थायें स्थापित हैं उनका अपना एक अलग अस्तित्व है तथा जो लोग वहां रहते हैं उनके लिये नागरिक सुविधाओं का प्रबन्ध भी उन्हीं संस्थाओं ने अलग कर रखा है—महापालिका में सम्मिलित किये जाने से इन संस्थाओं को कोई अधिक लाभ न होता न उनके बाहर रहने से महापालिका को ही कोई बहुत नुकसान होगा—इस कारण यही उचित समझा गया कि उन्हें अपने ढंग पर अलग ही चलने दिया जाय । इन दोनों क्षेत्रों में टाउन एरिया कमेटीज पहले ही से काम कर रही हैं, और लगभग सभी सुविधायें जैसे सड़कें, रोशनी, पानी, सफाई, स्कूल व अस्पताल इत्यादि वहां पर उपलब्ध हैं ।

श्री देवकी नन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि इन दोनों क्षेत्रों की आबादी कितनी है और इन दोनों क्षेत्रों के संबंध में वहां के चुंगी अधिकारियों की राय क्या है ?

श्री रामस्वरूप यादव—आबादी के लिये नोटिस की आवश्यकता होगी, लेकिन इतनी आबादी थी कि जिससे टाउन एरिया कमेटी बन सकती । जहां तक सरकार की राय है उसमें यही उचित समझा गया कि उनको महापालिका के क्षेत्र में न लिया जाय ।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि गत लोकल बाडीज के चुनाव के पूर्व दयालबाग और स्वामीबाग में कोई टाउन एरिया नहीं थी ? क्या वह इस महापालिका क्षेत्र में इनको शामिल करने पर विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—यह स्पष्ट नहीं हुआ आपका प्रश्न ।

श्री जगन्नाथ लहरी—अभी कुछ दिन पूर्व प्रदेश में जो लोकल बाडीज का चुनाव हुआ था उसके पूर्व दयालबाग और स्वामीबाग टाउन एरिया नहीं थे । तो अब चूंकि महापालिका की सीमायें बढ़ायी जा रही हैं, तो आगे के निकट स्थित इन क्षेत्रों को भी वह आगरा महापालिका के क्षेत्र में शामिल करने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस समय यह दोनों जगह टाउन एरिया हैं । जहां तक महापालिका के क्षेत्र का संबंध है उस संबंध में अंतिम निर्णय हो चुका है और वे शामिल नहीं किये गये ।

केन्द्र से प्राप्त खाद्यान्न

५—श्री कोतवालसिंह भदौरिया** (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अगस्त सन् १९५८ से अब तक कितना गल्ला केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश को दिया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—अगस्त, १९५८ से २१ फरवरी, १९५९ तक राज्य सरकार ने ४,५८,१८६ टन खाद्यान्न केन्द्रीय सरकार से प्राप्त किया ।

श्री कोतवालसिंह भदौरिया—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो गल्ला केन्द्रीय सरकार ने अगस्त, १९५८ तक दिया है, क्या सरकार ने उतने ही गल्ले की मांग की थी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जितनी हमें आवश्यकता प्रतीत हुई उतना ही मांगा गया और मिला ।

श्री कोतवालसिंह भदौरिया—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस प्रदेश के लिय बाहर से कितना गल्ला मंगाने की सरकार आवश्कता समझती थी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—मैंने बतला दिया कि जितनी आवश्यकता थी उतना ही हमने मांगा और उसकी पूर्ति हो गई ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—क्या उससे अधिक गल्ले की जरूरत सरकार को नहीं पड़ी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—उस समय तक नहीं महसूस हुई ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो गल्ला केन्द्रीय सरकार ने दिया उसमें गेहूं के अलावा और कौन कौन अन्न शामिल थे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इसमें गेहूं के अलावा चावल है राजस्थान का बना है, बम्बई का ज्वार है, मक्का है, मिलो है ।

श्री गौरीशंकर राय—क्या यह सही है कि गेहूं के अलावा दूसरे गल्ले को आवश्यकतानुसार देने में केन्द्रीय सरकार को एतराज रहा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जिन चीजों की उनके स्टोर में कमी थी वे अवश्य उन्होंने कम दीं मगर जब कभी हमें आवश्यकता हुई और हमने जोर दिया तो उन्होंने उसे देने से इंकार नहीं किया ।

श्री शिवप्रसाद नागर—जो गल्ला केन्द्रीय सरकार से मिला था उसमें गेहूं की कितनी मिकदार थी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—अगस्त से लेकर फरवरी तक विदेशी गेहूं ३,६४,२९४ टन था ।

६—श्री उग्रसेन** (जिला देवरिया)—[स्थगित किया गया ।]

तारांकित प्रश्न

वायुयान से खेतों में दवा के छिड़काव की जानकारी

*१—**श्री गनेशीलाल चौधरी** (जिला सीतापुर)—क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन जिलों में वायुयान से पिछले वर्ष कपास और गन्ने के खेतों में दवा का छिड़काव किया गया ?

सहकारिता मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)---एक भी जिले में नहीं।

*२---श्री गनेशी लाल चौधरी---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसको इस छिड़काव के बदले में कितना धन प्राप्त हुआ ?

श्री मोहनलाल गौतम---प्रश्न नहीं उठता।

लोधामई फार्म के क्षेत्र को बढ़ाना

*३---श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि एटा जिले में तहसील एटा में ग्राम लोधामई में कोई खेती का सरकारी फार्म खोला गया है ?

श्री मोहनलाल गौतम---जी हां।

श्री गनेशचन्द्र काछी---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस फार्म को बड़ा करने के लिये वहां उस गांव के किसानों की जमीन जबरदस्ती ली जा रही है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों है ?

श्री मोहनलाल गौतम---फार्म्स के लिये जबरदस्ती जमीन लेने का तरीका हमने बहुत कम बरता है। हमारी कोशिश यही है कि चाहे दो पैसे ज्यादा देने पड़ें लेकिन समझौते से ही जमीन लें। इसकी मेरे पास सूचना नहीं है लेकिन मेरा अन्दाजा है कि जबरदस्ती जमीन नहीं ले रहे हैं।

श्री शिवप्रसाद नागर---इस सरकारी फार्म को खोलने की क्या आवश्यकता हुई थी ?

श्री मोहनलाल गौतम---सीड मल्टीप्लीकेशन फार्म्स बनाये जा रहे हैं और यह बात बजट में भी आ चुकी है।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि लोधामई फार्म का रकबा इस समय क्या है और जबरदस्ती जमीन छीनने के बाद उसका रकबा कितना होगा ?

श्री अध्यक्ष---दूसरे हिस्से के लिये उन्होंने कभी नहीं कहा।

श्री मोहनलाल गौतम---इस समय ४० एकड़ है। ५५ एकड़ करने का इरादा है और जबरदस्ती जिसके मायने हैं वह एक्वायर करने के हैं। यह निगोसियेशन से होता है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---इस फार्म के एक्वायर करने में और चलाने में सरकार का कितना रुपया लगा है ?

श्री मोहनलाल गौतम---२२,१३३ रुपये की ४० एकड़ जमीन खरीदी गई। बाकी के लिये सूचना की आवश्यकता है।

देवरिया जिले की सहकारी समितियां तथा सलेमपुर में सहकारी बैंक की आवश्यकता

*४---श्री उग्रसेन---क्या सहकारिता मंत्री देवरिया जिला सहकारी बैंक की एक शाखा सलेमपुर केन्द्र पर खोलने की व्यवस्था करने की कृपा करेंग ?

श्री मोहनलाल गौतम---जिला सहकारी बैंक देवरिया की एक शाखा सलेमपुर में खोलने का प्रश्न बैंक के संचालक मंडल के विचाराधीन है।

*५---श्री उग्रसेन---क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे १ जनवरी, १९५९ तक देवरिया जनपद में प्रति तहसील कितनी सहकारी समितियां संगठित की जा चुकी हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम--देवरिया जिले में १ जनवरी,१९५९ तक तहसीलवार संगठित की गई सहकारी समितियों की संख्या निम्न प्रकार है :

१--तहसील देवरिया	..	..	..	..	८४९
२--तहसील हाटा	..	..	..	..	६३७
३--तहसील सलेमपुर	..	..	..	..	७००
४--तहसील पडरौना	..	..	..	..	८७१

श्री उग्रसेन--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सलेमपुर में तुरन्त बैंक की शाखा खोलने में क्या कठिनाई है ?

श्री मोहन लाल गौतम--सरकार बैंक की शाखा नहीं खोलती है । जिला बैंक खोलेगा जो कि स्वतंत्र यूनिट है । उन्होंने फैसला किया है और इसकी जांच कर रहे हैं कि कार्य कैसे चलेगा ।

श्री उग्रसेन--तहसील हाटा और सलेमपुर में कम समितियां क्यों निर्माण हुई जब कि वहां सोसाइटी ब्लाक हैं, जैसे कि पडरौना और देवरिया तहसीलों में हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम--उसके बहुत से कारण हैं और यही है कि हम सब जगह नहीं खोल पायें हैं, प्रयत्न कर रहे हैं ।

*६--**श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)--[३० मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

*७--९--**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)--[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर २३ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये ।]

ब्रिक क्लिन ओनर्स यूनियन, लखनऊ को कोयले का परमिट

*१०--**श्री रामसिंह चौहान वैद्य** (जिला आगरा) (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि दिसम्बर, १९५८ में प्रोविंशियल आइरन स्टील कंट्रोलर के यहां से लखनऊ के ईटों के भट्ठों में इस्तेमाल करने के लिये ३५० वैगन कोयला का परमिट सेक्रेटरी, लखनऊ ब्रिक क्लिन ओनर्स यूनियन के नाम से प्राप्त हुआ था और जिला सप्लाई आफिसर ने उस परमिट को रद्द कराकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नाम मंगवाया है यदि हां, तो पिछले पांच, छः सालों से चलने वाली इस परम्परा को तोड़ने की क्या जरूरत पड़ी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--जी हां। यह सही है कि ३५० वैगन कोयले का एक परमिट मैसनरी कुओं की योजना के हेतु ब्रिकक्लिन ओनर्स यूनियन लखनऊके नाम जिलाधीश की सिफारिश पर प्रान्तीय लोहा तथा इस्पात नियंत्रक के यहां से आया था । लेकिन जैसे ही यह गलती मालूम हुई यह परमिट जिलाधीश के नाम करा दिया गया । परम्परा तो यही थी कि परमिट जिलाधीश के नाम से आवे अतएव परम्परा तोड़ी नहीं गयी अपितु उससे कायम रखने के लिये ही परमिट जिलाधीश के नाम बदल दिया गया ।

*११--**श्री रामसिंह चौहान वैद्य** (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि बाद में जिला सप्लाई आफिसर ने उस परमिट में से १७५ वैगन कोयला पुनः सेक्रेटरी, लखनऊ ब्रिक क्लिन यूनियन के मारफत स्थानीय कोल मर्चेन्ट्स के जरिये भट्ठे के मालिकों को दिलवाया और जिला सप्लाई आफीसर ने जो १७५ वैगन कोयला अपने मारफत सीधे कोल मर्चेन्ट्स के भट्ठे वालों में तकसीम करने के लिये दिया उसका दाम उन्होंने ब्रिक क्लिन ओनर्स यूनियन के द्वारा दिया गया, १७५ वैगन कोयले के मुकाबिले में आठ आने प्रति टन ज्यादा की दर से दिलवाया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

नोट--तारांकित प्रश्न १० व १२ श्री अवधेशप्रताप सिंह ने पूछे ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जी हां। यह सही है ब्रिक क्लिन ओनर्स यूनियन और कोल मरचेन्ट्स ऐसोसियेशन के बीच में कमीशन पर झगड़ा था। इस झगड़े को चुकाने के लिये दोनों की सहमति से यह तय किया गया कि १७५ वैगन यूनियन को दी जावे जिन पर ऐसोसियेशन कोई कमीशन न ले और १७५ वैगन दूसरों को दी जावे जिन पर ऐसोसियेशन ८ आना प्रति टन के हिसाब से कमीशन चार्ज कर ले। इस फैसले से दोनों की बात रह गई।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---जो यह पद्धति थी कि कलेक्टर के नाम परमिट इश्यू की जाती थी तो इस केस में उस पद्धति को तोड़ने का क्या कारण था?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---यह प्लानिंग डिपार्टमेंट की सिफारिश पर गयी और सीधे वहां से परमिट चली आयी। वह गलती हो गयी थी इसीलिये वह तोड़ी गयी।

श्री जगन्नाथ लहरी---क्या मंत्री महोदय को यह पता है कि गत ५ वर्षों से यह परमिट सिर्फ ब्रिक क्लिन ओनर्स ऐसोसियेशन को ही दी जाती थी, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के नाम नहीं?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---यह बात गलत है। जैसा मैंने कहा, कोई परम्परा तोड़ी नहीं गयी बल्कि जो परम्परा खराब हो रही थी उसको सही कर दिया गया।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---क्या सरकार इस बात की जानकारी हासिल करेगी कि सन् १९५४ से बराबर ईंटा पब्लिक एसोसियेशन के मंत्री के नाम ही परमिट आता रहा है और इस बार यह नयी व्यवस्था चलायी गयी?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---मैंने अपनी जानकारी की बात तो बता दी। अब अगर माननीय सदस्य को कुछ और पूछना है तो वे लिख कर देदें मैं मालूम कर लूंगा।

श्री जगन्नाथ लहरी---जब कि परिपाटी जिलाधीश के नाम परमिट बनाने की थी तो फिर ये १७५ वैगन एसोसियेशन के नाम क्यों कर दिये गये?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---मैंने अभी एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि प्लानिंग डिपार्टमेंट से मांग हुई थी और उन्होंने सीधे प्राविन्शियल आयरन कंट्रोलर को लिखा और उन्होंने उन्हीं के नाम परमिट कर दिया। वह गलती थी और उसको डी० एम० के नाम करा के सही किया गया।

श्री राजनारायण---क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि जिला सप्लाई आफिस की ओर से ईंटा मालिकों से कुछ द्रव्य सरकारी कार्यक्रम के लिये मांगा गया था और उन्होंने देने से इन्कार किया इसलिये उनके नाम का परमिट दूसरे को दिया गया?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---मुझे इसकी इत्तला नहीं है।

श्री राजनारायण---जो सरकार इसका क्या कारण समझती है कि एक ही कोयला कुछ लोगों को कुछ रेट से मगांने की इजाजत दी जाती है और दूसरे लोगों को दूसरे रेट से कमीशन दिया जाता है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---यह तो उनके समझौते की बात बतायी कि समझौता उन्होंने कर लिया तो उन्होंने कर दिया।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह सही नहीं है कि क्लिन ओनर्स एसोसियेशन के नाम से परमिट प्राप्त हुआ था जो बाद में रद्द कर दिया गया और उसके बाद जिलाधीश के नाम से मंगाया गया?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---यह तो सारा उत्तर ऐसा ही दिया गया है कि ऐसा हुआ कहा गया और सही किया गया।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस गलती का उन्हें पता कब लगा जिसका सुधार किया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जहां तक मेरा सवाल है मुझे तो अभी पता लगा जब प्रश्न हुआ, लेकिन मेरे से पहले वालों को उसी समय पता लग गया था और उन्होंने उसे ठीक कर दिया।

श्री अवधेशप्रतापसिंह (जिला फैजाबाद)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो समझौता हुआ था वह लिखित था या मौखिक था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---सही उत्तर के लिये तो सूचना की आवश्यकता होगी।

सरैया शुगर मिल पर कथित बकाया

*१२---**श्री रामसुन्दर पांड़ेय** (जिला आजमगढ़)---क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या ग्रामोन्नति सहकारी भंडार, कमल सागर, पोस्ट रामपुर, जिला आजमगढ़ का गन्ना विकास "मद" में किसानों की ईख से काटा हुआ लगभग ३ हजार रुपया ७ वर्षों का सरैया शूगर मिल, सरदार नगर, जिला गोरखपुर के जिम्मे बाकी है ?

श्री मोहनलाल गौतम---प्राप्त सूचनानुसार, "जी नहीं"।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि यह सूचना प्राप्त करने का साधन केवल मिल है या जिस सोसाइटी का रुपया बकाया है वह भी है ?

श्री मोहनलाल गौतम---यह कटौती है जो डैवलपमेंट कार्य की है डेवलपमेंट काउन्सिल में यह रुपया जमा है, फैक्ट्री में नहीं है। यह दोनों की सूचना के अनुसार है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---जब सोसाइटी बार-बार विकास के लिये पैसा मांगती है और बिल बनाकर काउन्सिल के पास भेजती है तो वह क्यों नहीं रुपया सोसाइटी को देता है ?

श्री मोहनलाल गौतम---काउन्सिल भी एक स्वतंत्र यूनिट है, सहकारी समिति है। दूसरा भी सहकारी समिति है। इन दोनों के आपस में क्या संबंध हैं, इसमें हम बहुत दखल नहीं देते हैं। लेकिन अगर विकास के लिये रुपया नहीं मिल रहा है और ऐसी शिकायत हमारे पास आवे तो हम उसमें सहायता कर सकते हैं।

श्री शिवप्रसाद नागर---डेवलपमेंट काउन्सिल के चेयरमैन कोई नानआफीशल हैं या कोई अफसर हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम---सूचना की अवश्यकता है।

यू० पी० कण्ट्रोल ऐन्ड एविक्शन ऐक्ट की धारा ७ के सम्बन्ध में माननीय जस्टिस धावन की सम्मति

*१३---**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस माननीय धावन ने गत २ दिसम्बर, १९५८ को यू० पी० कंट्रोल ऐन्ड एविक्शन ऐक्ट की धारा ७ (२) व ऐक्ट से संबंधित कोई निर्णय दिया है यदि हां, तो उसके संबंध में सरकार ने क्या कर्यवाही की ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जी हां। माननीय जस्टिस धावन ने अपनी सम्मति को अधिकार पूर्ण निर्णय के लिये हाई कोर्ट की full bench के संमुख प्रस्तुत किया है। full bench का निर्णय विदित होने पर ही कुछ कार्यवाही की जा सकेगी।

श्री देवनारायण भारतीय---क्या सरकार फुल बेंच का फैसला हो जाने के बाद सदन को सूचना देने की कृपा करेगी कि हाईकोर्ट के फुल बेंच ने क्या फैसला दिया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---यदि माननीय सदस्य पुनः उसका नोटिस देंगे तो दे देगी ।

*१४-१५---**श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह** तथा **श्री बलदेव सिंह** (जिला गोंडा)---

[१८वें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या १०३-१०४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

चिमनी से तैयार की गई ईंटें

*१६---**श्री मोहनलाल वर्मा** (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)---क्या सरकार ने चिमनी द्वारा कोयले से फूंकी हुई ईंटों पर कंट्रोल करके परमिट द्वारा बिकवाने का आदेश राज्य के सभी जिलों को भेजा है ? यदि हां तो कब और क्या सरकार उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जी नहीं । चिमनी द्वारा फुंकी हुई ईंटों पर कंट्रोल तो है लेकिन ऐसे आदेश नहीं हैं कि हर जिले में ऐसी ईंटें परमिट द्वारा बेची जायं ।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह चिमनी द्वारा तैयार की हुई ईंटों पर सरकार किस प्रकार का कंट्रोल लगाती है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---मैंने कहा कि कंट्रोल का आर्डर है मगर यह आदेश है कि परमिट द्वारा ईंटें न बिकें । जब फलड रिलीफ या किसी सरकारी काम के लिये जरूरत होती है तो लगा दिया जाता है ।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस प्रकार की ईंटों के लिये सरकार ने कोई भाव निश्चित कर दिया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जब परमिट नहीं है तो भाव भी क्या निश्चित है ?

श्री जगन्नाथ लहरी---क्या मंत्री जी को पता है कि सरकार द्वारा भट्टे पर एक नम्बर की ईंट का भाव २५ रुपये प्रति हजार निश्चित है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---मैंने बता दिया कि सार्वजनिक हित में और सार्वजनिक कार्य के लिये सरकार लेती है तो अपनी कंट्रोल प्राइस पर ही लेती है ।

श्री शिवप्रसाद नागर---अभी मंत्री जी ने जबाब दिया कि न परमिट है और न कुछ दाम ही निश्चित है तो फिर कंट्रोल किस बात का है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---मैंने बता दिया, शायद समझे नहीं । जब हमको जनहित के लिये और सार्वजनिक कार्य के लिये आवश्यकता पड़ती है तो परमिट भी है और कंट्रोल भी है ।

लखनऊ क्षेत्र के विकास संबंधी सेमिनार का स्थगन

*१७---**श्री सजीवन लाल** (जिला उन्नाव)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या लखनऊ डिवीजन का विकास संबंधी डिवीजनल सेमिनार, लखनऊ में तारीख १२ व १३ दिसम्बर को होना तय हुआ था और उसमें उन्नाव जिले के विकास क्षेत्रों के कुछ सभापतियों व ग्राम सहायकों को आमंत्रित किया गया था ?

श्री मोहन लाल गौतम---जी हां ।

नोट---तारांकित प्रश्न १६ श्री चन्द्रजीत यादव ने पूछा ।

*१८---**श्री सजीवन लाल**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त सेमिनार स्थगित कर दिया गया था और उसकी सूचना संबंधित व्यक्तियों को दे दी गई थी ? यदि नहीं, तो क्या जो व्यक्ति उक्त तारीखों में लखनऊ आये उनका मार्ग-व्यय देने की जिम्मेदारी सरकार पर है ?

श्री मोहनलाल गौतम---जी हां, यह सेमिनार स्थगित कर दिया गया था और इसकी सूचना संबंधित व्यक्तियों को समय पर दे दी गई । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

श्री सजीवन लाल---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सूचना किसके जरिये भेजवायी गयी थी और सेमिनार स्थागित कब हुआ ?

श्री मोहन लाल गौतम---जो सेमीनार १२, १३ दिसम्बर को होने वाला था उसके स्थगित करने की सूचना ४ दिसम्बर को दी गयी थी ।

श्री सजीवन लाल---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वह स्थगित क्यों किया गया ?

श्री मोहनलाल गौतम---सेमिनार जिन जिन जगहों पर करना था स्थान नहीं वे मिल सके, इसलिये उस दिन वह नहीं हो सका ।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या सहकारिता मंत्री इस बात की जांच कराने की कृपा करेंगे कि उन्नाव से १० व्यक्ति इसमें भाग लेने के लिये आये थे और उन्होंने सेमिनार अधिकारी के पास जाकर शिकायत की कि उनको इसके स्थगित करने की सूचना नहीं मिली जिससे वे लोग चले आये थे ?

श्री मोहनलाल गौतम---अगर मेरे पास कोई व्यक्ति यह लिख कर देगा कि वे आये थे तो मैं उसकी जांच करा लूंगा ।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वे कौन कौन से स्थान हैं जहां सेमिनार करने के लिये तय किया गया था और वे स्थान नहीं मिले ?

श्री मोहनलाल गौतम---कौंसिल हाउस का एक बड़ा कमरा है जिसे तिलक हाल कहते हैं, वह भी नहीं मिला और रायल होटल का लाउंज भी नहीं मिल सका । ये ही स्थान हैं जहां हम सेमिनार करते हैं, वे स्थान खाली नहीं थे ।

*१९-२०---**श्री अभयराम यादव** (जिला इटावा)---[३० मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये ।]

*२१---**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ** (जिला अलीगढ़)---[२३ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में सस्ते अनाज की दूकानें

*२२---**श्री रामदास आर्य** (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या सरकार सस्ते गल्ले की अधिक दूकानें पिछले बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में खुलवाने के लिये जिलाधीशों को आदेश भेजने का विचार कर रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---राज्य के ऐसे सभी क्षेत्रों में जहां सस्ते गल्ले की दूकानों की आवश्यकता समझी गई दूकाने खोल दी गई हैं, और स्थानीय आवश्यकताओं तथा गल्ले के स्टाक की स्थिति देखते हुए दूकानें बढ़ाने के प्रश्न पर भी समय समय पर विचार करते रहते हैं ।

श्री रामदास आर्य—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि समय समय पर विचार करने के पश्चात् बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में कितनी दूकानें अब तक खुली हुई हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जहां तक मेरा खयाल है जनवरी और फरवरी के महीने में लगभग ८०० दूकानें हमने खोली हैं, ठीक ठीक बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में कितनी हैं, इसकी सूचना इस समय मेरे पास नहीं है ।

श्री रामदास आर्य—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि जिला स्तर पर जो फूड कमेटी बनी हुई हैं वे बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में दूकानें खोलने में इसलिये असमर्थ रही हैं कि वहां यातायात का कोई साधन नहीं है और सरकार इस कठिनाई को देखते हुए वहां पर गल्ला पहुंचाने के लिये किसी दूसरी योजना पर विचार कर रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—उसके लिये तो केवल एक ही तरीका है कि जहां तक मोटरेबिल रोड्स होते हैं वहां तक तो विभाग गल्ला पहुंचा देता है, लेकिन उसके बाद फेयर प्राइस शाप वाले जो होते हैं वे स्वयं ही प्रबन्ध करते हैं ।

श्री उग्रसेन—क्या यह सही है कि बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में सन् १३६६ फसली में कुछ ती दूकानें खुली थीं मगर अब बन्द कर दी गई हैं ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इसवक्त कोई दूकान बन्द नहीं की गई है ।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मंत्री महोदय जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र के जिलाधीश और खाद्य समितियों को सरकार ने यह अधिकार दे रखा है कि यदि वे आवश्यक समझें तो वहां और दूकानें खोल सकती हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इस समय बाढ़ का कोई प्रश्न ही नहीं है, वह तो बरसात में आती है । इमर्जेंसी काल में तो यह अधिकार रहता ही है, लेकिन आजकल तो बरसात का समय नहीं है ।

*२३-२४—**श्री रामप्रसाद देशमुख** (जिला अलीगढ़)—[३० मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये ।]

*२५—**श्री देवनारायण भारतीय**—[३० मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

*२६—**कुमारी कमल कुमारी गोईंदी** (जिला इलाहाबाद)—[सत्रहवें सोमवार के लिये प्रश्न संख्या ३३ के अन्तर्गत निर्धारित किया गया ।]

*२७—**श्री महीलाल** (जिला मुरादाबाद)—[सोलहवें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ५७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

शाहजहांपुर जिले में सस्ते अनाज की दूकानें

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शाहजहांपुर जिले में सस्ते गल्ल की कुल कितनी दूकानों खुली हैं ? उनमें से कितनी नगरपालिका, शाहजहांपुर और तिलहर के क्षेत्र में हैं और कितनी जिले के देहती क्षेत्रों में और उनमें से प्रत्येक पर कितना-कितना गल्ला रोजाना वितरित होता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—शाहजहांपुर जिले में सस्ते गल्ले की कुल २० दूकानें खुली हैं । उसमें से १८ दूकानें नगरपालिका शाहजहांपुर और २ दूकानें तिलहर के क्षेत्र में हैं । जिले के देहाती क्षेत्र में फिलहाल कोई दूकान नहीं खुली है । उक्त प्रत्येक दूकान पर प्रतिदिन ३० मन गेहूं वितरित किया जाता है ।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार बतायेगी कि जिले के सभी क्षेत्रों में गतवर्ष वर्षा और बाढ़ के कारण खरीफ की फसल बरबाद हो गई थी फिर भी देहाती क्षेत्रों में कोई दूकान क्यों नहीं खोली गई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—कोई मांग नहीं आयी वहां से ।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार को मालूम है कि प्रश्नकर्त्ता ने जेल में रहते हुए भी जिलाधीश के द्वारा सरकार से यह मांग की थी कि जिले की अधिकांश जनता बाढ़ के कारण भूखों मर रही है लिहाजा शीघ्र से शीघ्र देहातों में सस्ते गल्ले की दूकानें खोली जायं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—यह तो मुझे मालूम नहीं कि आपने जेल से लिखा और सरकार के पास पहुंचा नहीं । परन्तु अगर वहां से कोई प्रार्थना-पत्र आपका आया होता तो जहां तक मेरा ख्याल है जिलाधीश और वहां की खाद्य समिति अवश्यमेव सरकार के पास भेजती ।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार को मालूम है कि जेल से छटने पर प्रश्नकर्त्ता ने जिलाधीश से इस बारे में बार बार कहा कि जिले की जनता अधिकांश रूप में भूखों मर रही है और वहां पर शीघ्र दूकान खोलने की जरूरत है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इसकी सूचना मुझे नहीं है कि आपके और जिलाधीश के बीच में क्या बातें हुईं ।

शाहजहांपुर जिले में लोहे की सरिया की कमी

*२९—**श्री देवनारायण भारतीय**—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि शाहजहांपुर के बाजार में लोहे की सरिया जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा वितरण हेतु प्राप्त नहीं है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी हां, इस समय शाहजहांपुर के बाजार में लोहे की सरिया जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा वितरण हेतु प्राप्त नहीं है । इस जिले को चार वैगन सरिया एलाट हो गयी है । उनके पहुंचने पर सरिया वितरण के लिये प्राप्त हो जावेगी ।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार बतायेगी कि शाहजहांपुर जिले में सरिया वितरण के लिये कब से प्राप्त नहीं है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—नवम्बर में १ वैगन तीन बटे आठ इंच राउन्ड वाला दिया गया था तब से नहीं है ।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार को मालूम है कि इस दरमियान में ब्लैक मार्केटिंग से सरिया बाजार में बड़ी से बड़ी संख्या में प्राप्त हो सकता है जिससे जिले में भ्रष्टाचार बड़ी तेजी से बढ़ रहा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—बीच में तो टाटा का कुछ लोहा आ जाने से और सस्ता हो गया था । अब हाल में कुछ बढ़ा है ।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार बतायेगी कि जब सरकारी सप्लाई विभाग से सरिया नहीं मिलता है तो बाजार में और जरियों से मिलने वाला सरिया का भाव कम हो जाने के बजाय बढ़ जाया करता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी हां बढ़ जाया करता है । हम भी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोहे का कोटा भारतीय सरकार हमें दे और जिलों को वितरित करें ।

*३०--श्री शिवराज बहादुर (जिला बरेली) [(अनुपस्थित)--[३० मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।

जिला सहकारी अधिकारी

*३१--श्री शिवराज बहादुर (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में कितने जिला सहकारी अधिकारी असिस्टेंट रजिस्ट्रार होने जा रहे हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम--यह मामला सरकार के विचाराधीन है ।

बरेली जिले में गाटर्स और सरिया की कमी

*३२--श्री शिवराज बहादुर (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५७ और ५८ में सरकार ने कितने गाटर्स और सरिया का कोटा बरेली जिले को दिया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--अप्रैल, १९५७ से दिसम्बर, १९५८ के मध्य में बरेली जिले को १३२ टन गाटर्स तथा ५०६ टन सरिया का कोटा दिया गया । जनवरी, १९५७ से मार्च, १९५७ तक के कोटे के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

श्री बाबूराम (जिला बरेली)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह कोटा वहां की जरूरत को देखते हुए कम दिया गया ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--उस जिले में नहीं बल्कि सारे प्रदेश भर में कोटा बहुत कम है । जैसा कि मैंने कहा हम केन्द्रीय सरकार से लिखा-पढ़ी कर रहे हैं कि हमारा कोटा बढ़ाया जाय ताकि हम जिलों को ज्यादा दे सकें ।

*३३-३४--श्री अब्दुल रउफ लारी (जिला गोरखपुर)--[३० मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये ।]

सहकारी निरीक्षकों का चुनाव

*३५--श्री भगवतीसिंह विशारद--क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मार्च सन् १९५८ में लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा २४० सहकारी निरीक्षक चुने गये हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम--२०० सहकारी निरीक्षक ट्रेनिंग के लिये चुने गये थे । इनके अतिरिक्त ४० नाम रिजर्व लिस्ट में थे ।

*३६--श्री भगवतीसिंह विशारद--क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त सहकारी निरीक्षकों में से कितनों ने निर्धारित अवधि के भीतर अपनी सेवायें आरम्भ कर दी हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम--उक्त सहकारी निरीक्षकों में से १२० प्रत्याशी प्रशिक्षण में हैं उनके परिणाम घोषित होने पर तदनुकूल नियुक्तियां की जायेंगी ।

*३७--श्री भगवतीसिंह विशारद--क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निर्धारित अवधि में प्रत्याशियों के न आने के कारण जो स्थान रिक्त रहे उनकी पूर्ति कब और कैसे की गयी ?

श्री मोहनलाल गौतम--उनकी पूर्ति अभी नहीं की गई है ।

नोट--तारांकित प्रश्न ३१ व ३२ श्री बाबूराम द्वारा पूछे गये ।

श्री भगवतीसिंह विशारद--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इसी बीच में १२० व्यक्ति जो प्रत्याशी थे उनके अतिरिक्त और रजिस्ट्रार के द्वारा भी कुछ व्यक्ति नियुक्त करके प्रशिक्षण के लिये भेजे गये हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम--मुझे इसकी जानकारी नहीं है । सूचना की आवश्यकता है ।

श्री भगवतीसिंह विशारद--क्या मंत्री जी इस तथ्य को सूचना मान कर, कि जो १२० व्यक्ति रह गये हैं उन्हें प्रशिक्षण में न भेज कर रजिस्ट्रार के यहां से कुछ नये व्यक्ति भेज दिये गये हैं, इसकी जानकारी प्राप्त करके इसके संबंध में उचित कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री मोहनलाल गौतम--जो पब्लिक सर्विस कमीशन से इंस्पेक्टर्स चुने जाते हैं उनके अलावा और भेजे गये होंगे तो देखने की बात है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किसी विभागीय नियम के अनुसार रजिस्ट्रार को भी प्रत्याशियों को लेने का अधिकार है ?

श्री मोहनलाल गौतम--जहां तक मुझे याद है, यह अधिकार नहीं है ।

*३८-४०--**श्री विश्राम राय** (जिला आजमगढ़)--[३० मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये ।]

*४१--**श्री ब्रजनारायण तिवारी** (जिला देवरिया)--[२३ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

गन्ने के विदेशी बीज

*४२--**श्री ब्रजनारायण तिवारी**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष में कृषि विभाग ने गन्ने के कौन-कौन से नये बीज बाहर से मंगाये हैं तथा किन-किन पुराने गन्ने के बीजों को बोने से मना किया है ?

श्री मोहनलाल गौतम--विदेशी गन्ने की जातियों की तथा कोयमबटूर सीडलिंग्स की जो १९५९-६० में ईख संवर्धन इन्स्टीट्यूट कोयमबटूर द्वारा ईख अनुसंधानशाला शाहजहांपुर में प्राप्त हुई सूची†, अनुक्रमणिका "अ", में दी है तथा बहराइच जिले में जरवल रोड चीनी मिल क्षेत्र में को० ४५३ गन्ने की जाति की पेड़ी रखना वर्जित किया गया और को० शा० ३२१ को शाहजहांपुर, पीलीभीत, बरेली, मुरादाबाद, बिजनौर, बदायूं, एटा, नैनीताल, रामपुर के जिलों में बोने से मना किया गया ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो गन्ना बोने से मना कर दिया है बिजनौर, एटा, नैनीताल, मुरादाबाद वगैरह जिलों में, इसका क्या कारण है ?

श्री मोहनलाल गौतम--वह वहां के अनुकूल नहीं है ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो ७०० नये किस्म के बीज प्राप्त होने वाले हैं, वह बीज कब तक प्राप्त हो जाएंगे ?

श्री मोहनलाल गौतम--यह तो लगातार चलता रहता है । बीज आते रहते हैं, उनकी देख-भाल होती रहती है । यह तो लगातार प्रासेस है ।

---

†सूची छापी नहीं गई ।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो जिले वर्जित कर दिये गये हैं, इनके अतिरिक्त भी उनके पास शिकायतें आई हैं जहां कि गन्ने की कुछ किस्में फसल आने के पहले सूख गई हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम---सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो गन्ने का बीज बोने से मना कर दिया गया है उसकी उपज अधिक होती है और उसका परसेन्टेज कम होता है ?

श्री मोहनलाल गौतम---इसके लिये भी सूचना की आवश्यकता होगी ।

***४३---४५-श्रीमती राजेन्द्र किशोरी** तथा **श्री गनेशी लाल चौधरी** (जिला बस्ती)---[३० मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये ।]

***४६---श्री चन्द्रिका प्रसाद** (जिला राय बरेली)---[२३ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

झांसी जिले में सस्ते अनाज की दूकानें

***४७---श्रीमती बेनीबाई** (जिला झांसी) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि झांसी शहर और देहात में अभी तक कितनी फेयर प्राइस शाप्स खोली गईं ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---झांसी शहर में ३२ और देहात में ९ फेयर प्राइस शाप्स अभी तक खोली गई हैं ।

***४८---श्री उल्फत सिंह** (जिला बदायूं)---[सत्रहवें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ८२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

***४९---श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)---[अठारहवें सोमवार के लिये स्थगित किया गया ।]

जौनपुर जिले में सस्ते अनाज की दूकाने

***५०---कुंवर श्रीपालसिंह**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में शहरी क्षेत्र में कितनी जन-संख्या पर एक सस्ते गल्ले की दूकान है तथा ग्रामीण क्षेत्र में कितनी जन-संख्या पर एक-एक दुकान है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---शहरी क्षेत्र में दूकानें आवश्यकतानुसार खोली गई हैं । इन दूकानों से गल्ला प्रति सप्ताह २ सेर प्रति यूनिट के हिसाब से वितरित करने के आदेश दिये गये हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में दो अदालती पंचायतों पर एक दूकान खोलने के आदेश दिये गये थे । बाद में गल्ले की कमी के तथा बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों की जरूरत के हिसाब से दूकानें बढ़ा दी गईं ।

***५१---कुंवर श्रीपालसिंह**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जौनपुर की तहसीलों में से कुछ में प्रति पंचायत अदालत क्षेत्र पर एक सस्ते गल्ले की दूकान से अधिक दूकानें हैं ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जौनपुर जिले की दो तहसीलों में अतिरिक्त दूकानों की आवश्यकता समझी गई तदनुसार ये दूकानें खोल दी गईं ।

कुंवर श्रीपालसिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जो प्रश्न था, उसके बाद जो जवाब मिला है वह कुछ सही नहीं मालूम पड़ता है। क्योंकि मैंने उसमें पूछा था कि शहरी क्षेत्र में कितनी जनसंख्या पर एक सस्ते गल्ले की दूकान खोली गई है और इसका जवाब जो दिया गया है वह केवल यह है कि आवश्यकतानुसार।

श्री अध्यक्ष---इसका मतलब यह है कि जनसंख्या के आधार पर नहीं खोली गई हैं। उनका मतलब यह है। उत्तर दे दिया गया, सही हो या गलत। आप उसको मानकर ही पूरक प्रश्न करें।

कुंवर श्रीपालसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह आवश्यकतानुसार दूकानें कितनी जनसंख्या पर खोली गई हैं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---उसमें जनसंख्या आधार नहीं है, दूकानें हम खोल देते हैं। २ सेर प्रति यूनिट के हिसाब से देते हैं और जितनी जरूरत होती है उसके अनुसार खोलते जाते हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आवश्यकता का निर्णय किस आधार पर किया जाता है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---पहले तो वहां के बाजार भाव को देखते हैं और यह कि कितने आदमियों को अन्न नहीं मिल पाता है, इस सब को देखकर तय करते हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शहरी क्षेत्रों में ६,००० जनसंख्या पर और ग्रामीण क्षेत्रों में ९,००० जनसंख्या पर दूकानें खोली जाती हैं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---हमने जनसंख्या का कोई आधार कहीं नहीं माना है। जौनपुर में पता नहीं कैसे अधिक खुल गई, वैसे प्रदेश भर में हर अदालती पंचायत पर एक दूकान है।

कुंवर श्रीपालसिंह---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में दूकानें बढ़ाई गई हैं वे किन-किन क्षेत्रों में बढ़ाई गई हैं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---वे गोमती के बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में बढ़ाई गई हैं।

श्री उग्रसेन---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पारसाल गोमती की बाढ़ के समय उस क्षेत्र में कई दूकानें खोली गई थीं जहां कि पानी भरा था?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---कुछ जिलों में तो दो-दो अदालती पंचायतों पर या तीन-तीन पर एक दूकान है, लेकिन जौनपुर में फी अदालती पंचायत पर एक दूकान पड़ती है। कितनी हैं इसके लिये सूचना चाहिये।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि बाढ़ क्षेत्र में जो सस्ते गल्ले की दूकानें खोली गई हैं उनमें कितना गेहूं और ज्वार दिया जाता है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---पश्चिमी जिलों में १५ मन गेहूं और २५ मन ज्वार दी जाती है और पूर्वी जिलों में ५ मन गेहूं और २५ मन ज्वार दी जाती है, अब गेहूं बढ़ाकर १० मन कर रहे हैं।

श्री ब्रजनारायण तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास शिकायत आई है कि सस्ते गल्ले की दूकानें जह खुलनी चाहिये उसके बाहर खोली गई हैं?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---अभी माननीय सदस्यों ने बताया कि तहकीकात हुई तो मालूम हुआ, ठीक ही है जैसी जरूरत थी वह ठीक ही हुआ।

कुंवर श्रीपालसिंह--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जैसा उन्होंने कहा कि २ तहसीलों में अधिक दूकाने खोली गई वह कौन-कौन सी तहसीलें हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—सूचना की अवश्यकता है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर का जफराबाद और हबेली का जो गोमती का बाढ़ क्षेत्र है उसकी तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया गया कि वास्तविक बाढ़ क्षेत्र पीड़ित होने के कारण वहां ज्यादा दूकाने खोली जायं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--यह तो जिला समितियां बैठकर तय करती रहती हैं आप लोगों ने जो निर्णय किया होगा वह हुआ होगा।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनको मालूम है कि इन दोनों परगनों के लिये मैंने स्वयं जिला अधिकारी को लिखा था और खाद्य मंत्री जी से बात भी की थी लेकिन इसके बावजूद भी वह दूकाने नहीं खोली गई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--वहां पर तो ऐडजस्टमेंट का सवाल उठता है, बढ़ाने का सवाल नहीं है, अब आप ही इसे अपनी जिला सलाहकार समिति में तय कर लें।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। ऐडजस्टमेंट ही सही, लेकिन जो मेरी उनकी बात हुई थी उसके बावजूद भी वहां ऐडजस्टमेंट नही हुआ है , बल्कि उसके स्थान पर दूसरी जगह जाकर दूकानें खोली गई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—मैंने बताया कि भाव गिराने की उस वक्त चेष्टा थी और प्रदेश के अन्दर कोई अन्न की कमी न पड़े यह मकसद था। उस रद्दोबदल से काम बिगड़ने की संभावना थी। अब यदि आप जरूरत समझें तो अपनी खाद्य समिति में यह कर लीजियेगा।

*५२-५३--**श्री मदन पांडेय** (जिला गोरखपुर)—[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित किये गये।]

जिला देवरिया से जौ के बीज की शिकायत

*५४--**श्री उग्रसेन**--क्या सहकारिता मन्त्री के पास देवरिया जिले से इस बात की शिकायत आई है कि सरकारी बीज गोदाम से क-१२ जौ का वितरण किया हुआ बीज दोषपूर्ण है और हजारों बीघे खेत में जौ के पौधे पीले पड़कर सूख गये ?

श्री मोहन लाल गौतम--जी नहीं। केवल बरहज ब्लाक के १४ किसानों से ए क शिकायत जिला नियोजन अधिकारी, देवरिया के कार्यालय में प्राप्त हुई थी। जांच से मालूम हुआ कि केवल ५० एकड़ में जौ के पौधे पीले पड़ने शुरू हो गये थे जिससे कोई विशेष हानि नहीं हुई है।

*५५—**श्री उग्रसेन**--क्या यह सही है कि उक्त क-१२ जौ में विभागीय अधिकारियों द्वारा "बलिया बार्ली" मिला दिया गया था ? यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग उठता ही नहीं।

श्री उग्रसेन—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन खेतों में सरकारी बीज गोदाम का क-१२ जौ का बीज दिया गया था उन्हीं के पौधे पीले पड़ गये थे ?

श्री मोहनलाल गौतम—इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री उग्रसेन—क्या यह सही है कि इस क–१२ जौ का संग्रह उन्हीं अधिकारियों के संरक्षण में हुआ था जो कि अरली और लेट पैडी के स्कैंडल में मुअत्तल हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि जितनी भी बीज की शिकायतें हों वह अगर मुझको उस वक्त मालूम हो जायं जबकि फसल खड़ी हुई हो तो मुझे जांच कराने में आसानी होगी। मैं इसके लिए सभी माननीय सदस्यों को निमंत्रण देता हूं कि अगर कहीं बीज खराब बंटा हो तो उसकी जांच करा ली जायगी। इस तरह के प्रश्नों से कुछ होता नहीं है। यह सही नहीं है कि उन्हीं अफसरों के जमाने में यह हुआ।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि मैंने स्वयं इस सम्बन्ध में मंत्री जी को लिखा था, जिस पर जांच हुई, तो किस टेक्नीकल अफसर द्वारा जांच करायी गयी ?

श्री मोहन लाल गौतम—यह जांच तो मुहकमे की ही मार्फत होती है और जांच जो करते हैं वह ऊपर के लोग करते हैं, जो खुद बांटते हैं वह नहीं करते।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो हजारों बीघा खेत जौ के पीले पड़ गये देवरिया में, अब उनकी क्या हालत है ?

श्री मोहनलाल गौतम—हजारों बीघा जमीन कहां से आयी, यह सूचना मुझे मालूम नहीं है। मैंने ५० एकड़ कहा है।

श्री अध्यक्ष—उनकी कवि-कल्पना है शायद।

श्री शिवप्रसाद नागर—चाहे ५० बीघे हों या ५० एकड़ हों, मैंने पूछा कि अब उनकी हालत क्या है ?

श्री मोहनलाल गौतम—उसको जांच के लिए भेजा गया था और वहां यह मालूम हुआ प्लांट पैथेलोजिस्ट के यहां कि उसमें खाद की कमी है, अमोनियम सल्फेट दे दिया गया। १ आने से २ आने तक की हानि मालूम होती है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय कृषि मंत्री जी बताने की कपा करेंगे कि उनके विचाराधीन कोई ऐसी योजना है कि बीज वितरण करने से पूर्व उसकी जांच करा दी जाया करे ?

श्री मोहनलाल गौतम—यह तो ठीक ही मालूम होता है कि बीज वितरण करने के पहले उसकी जांच करा ली जाय, करते भी हैं, लेकिन अगर कोई सजेशन हो तो मुझे दे दें।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि कभी जिलाधीश देवरिया को और माननीय मंत्री जी को मैंने भी क–१२ जौ के बारे में कहा था ?

श्री मोहनलाल गौतम—मेरी याददाश्त इतनी मजबूत नहीं है कि मैं हर पत्र को याद रख सकूं।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार ने कोई ऐसी जांच करायी है कि क–१२ जौ के बीच में 'बलिया बार्ली' भी मिला हुआ था जो कि किसानों को दिया गया था ?

श्री मोहनलाल गौतम—प्रश्न ५५ के उत्तर में जिसमें पूछा गया था कि "क्या यह सही है कि उक्त क–१२ जौ में विभागीय अधिकारियों द्वारा 'बलिया बार्ली' मिला दिया गया था ?" और उसका उत्तर दे चुका हूं "जी नहीं"।

श्री उग्रसेन—क्या यह सही है कि देवरिया के सभी बीज गोदामों से ५ हजार मन से अधिक क–१२ का बीज बांटा गया किन्तु सभी पौध पीले पड़ गये ?

श्री मोहनलाल गौतम—दोनों बातें गलत हैं। कुल बीज बांटा गया क–१२ का ३,८३० मन २१ सेर ८ छटांक और जो शिकायत आयी है वह सिर्फ ५० एकड़ के लिये आयी है।

सीतापुर जिले में धान को गंधी से हानि

*५६—**श्री छेदीलाल** (जिला खीरी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला सीतापुर विकास क्षेत्र हरगांव में सन् १९५७ ई० में धान की फसल में गन्धी लग जाने के कारण डी० डी० टी० छिड़कने हेतु जो जहाज भेजा गया उस पर सरकार का क्या खर्च हुआ ?

श्री मोहनलाल गौतम—जिला सीतापुर में धान की फसल में दवा छिड़कने के लिये सन् १९५७ ई० में कोई वायुयान नहीं भेजा गया।

*५७—**श्री छेदीलाल** (अनुपस्थित)—क्या यह सत्य है कि वह जहाज वहां की मांग की तारीख से बहुत देर में भेजा गया था जब कि वहां के काश्तकारों ने अपने-अपने खेतों में पाउडर छिड़कवाने को मना किया था ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया ?

श्री मोहनलाल गौतम—प्रश्न नहीं उठता।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या मंत्री जी को यह सूचना है कि १९५७ में जिला सीतापुर में गंधी लग जाने से धान की फसल को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा था ?

श्री मोहनलाल गौतम—इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जिला सीतापुर के इस विकास क्षेत्र से सरकार के पास इस बात का प्रार्थना-पत्र आया था कि वहां गंधी से फसल को बचाने के लिए डी० डी० टी० का छिड़काव किया जाय ? यदि हां, तो सरकार ने क्या व्यवस्था की ?

श्री मोहनलाल गौतम—इसके सम्बन्ध में मैं कई बार इस सदन में कह चुका हूं कि जहां-जहां कीड़े लगते हैं उसके दूर करने के लिए एक योजना है। हर ब्लाक में दवाएं रखी हुई हैं और वह करते हैं। जहां तक वायुयान का ताल्लुक है, जो मुख्य प्रश्न है वह सितम्बर, १९५८ में वायुयान द्वारा दवा छिड़की गयी थी, १९५७ में नहीं। इसमें यह कनफ्यूजन है।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वायुयान से जो डी० डी० टी० छिड़कने की योजना है सरकार उसको प्रदेश भर में जहां आवश्यकता हो लागू करने की कृपा करेगी ?

श्री मोहनलाल गौतम—दवा छिड़कने के लिए तीन रुपया लगता है। अगर किसान रुपया जमा कर देते हैं तो वह छिड़क दी जाती है। अगर इस तरह से सब लोग मिल कर जमा कर दें तो बड़ी सहूलियत होगी वायुयान से दवा छिड़कने में।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि तीन रुपये जो दवा छिड़कने के लिए लगते हैं वह सरकारी खजाने में जमा करने में कठिनाई पड़ती है, इसलिए लोग छिड़काव का लाभ नहीं उठा पाते ?

श्री मोहनलाल गौतम—अगर कोई दिक्कत होती है और उसको दूर किया जा सकता है तो उस पर विचार हो सकता है।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सितम्बर, १९५८ में सीतापुर जिले में कितने एकड़ पर वायुयान से दवा छिड़की गयी थी ?

नोट—तारांकित प्रश्न ५६—५७ श्री शिवप्रसाद नागर ने पूछे।

श्री मोहनलाल गौतम—जिला सीतापुर के हरगांव क्षेत्र में १,४८० एकड़ तथा बिसवां क्षेत्र में ६०० एकड़ क्षेत्रफल पर बी० एच० सी० चूर्ण द्वारा विनाश कार्य किया गया।

फतेहपुर जिले में गेहूं का बीज समय पर न मिलना

*५८—**श्री वासुदेव दीक्षित** (जिला फतेहपुर)—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि फतेहपुर जिले में सन् १९५८ ई० की रबी की बुवाई का उन्नतिशील गेहूं का बीज, बीज गोदामों में बुवाई के बाद पहुंचा है ?

श्री मोहनलाल गौतम—सूचना एकत्र की जा रही है। शीघ्र ही उत्तर दिया जायेगा।

श्री वासुदेव दीक्षित—क्या माननीय मंत्री जी सूचना एकत्रित करके इस सदन को देने की कृपा करेंगे ?

श्री मोहनलाल गौतम—अध्यक्ष महोदय, जितने हमारे सहकारी या ऐग्रीकल्चर बीज भंडार थे उनमें जो बीज था वह बांटा गया। जो हमको बाहर से लाना पड़ा उसमें बहुत दिक्कतें आयीं। पंजाब सरकार से जो बीज मिलने वाला था वह कुछ तो शुरू में मिल गया और बाकी के लिये बाद में चीफ मिनिस्टर और गवर्नर साहब से दरख्वास्त करनी पड़ी। उसके लाने में कुछ देर हुई। लेकिन कहां क्या-क्या हुआ उन सबके मैं आंकड़े इकट्ठे करा रहा हूं और देखूंगा कि कहां-कहां दिक्कतें हुई। लेकिन हमारा यह अन्दाज है कि हमारे पास सारा बीज था और उसमें बाकी है। हमें पंजाब से साढ़े ३ लाख मन मिला था जिसमें से २ लाख २ हजार २०२ मन बीज ही बंटा। हमारे पास काफी बीज था और इसलिये हमें आशा है कि कोई जमीन बिना बोये नहीं बची।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि यह बीज सिर्फ इसलिये नहीं बंट सका क्योंकि इसकी कीमत नकदी में देनी थी और किसानों के पास यह कीमत नहीं थी चूंकि उनकी आदत सवायी पर लेने की थी इसलिये बीज बंटने से रह गया ?

श्री मोहनलाल गौतम—मुझे खुशी है कि माननीय सदस्य ने यह जिक्र कर दिया कि किसानों ने सवाई लेने पर तरजीह दी नकदी से। नकदी के लिये हमने तकावी भी बांटी, लेकिन कहीं कोई किसान नहीं रहा जिसने तकावी की मांग की हो और उसे बीज के लिये तकावी नहीं मिली।

कोआपरेटिव यूनियन भटहट बाजार पर बकाया

*५९—**श्री अब्दुल रऊफ लारी**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कोआपरेटिव यूनियन, भटहट बाजार, जिला गोरखपुर के जिम्मे करीब दस हजार रुपया (१०,००० रुपया) कानपुर इंजीनियरिंग स्टोर, गोरखपुर का सन् १९५५ से बाकी है ?

श्री मोहनलाल गौतम—कोआपरेटिव यूनियन, भटहट बाजार, के जिम्मे केवल दो हजार तीन सौ बारह रुपये अठत्तर नये पैसे (२,३१२ रु० ७८ न० पै०) कानपुर इंजीनियरिंग स्टोर के बाकी हैं।

*६०—**श्री अब्दुल रऊफ लारी**—यदि हां, तो उपरोक्त रकम क्यों नहीं दी गयी है ?

श्री मोहनलाल गौतम—संघ के अन्य व्यापार में धन फंस जाने के कारण अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह धन कब से बाकी है ?

श्री मोहनलाल गौतम--अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात साफ कर दूं। यह कोआपरेटिव इंस्टीट्यूशन एक इंडिपेंडेंट बाडी है और इंजीनियरिंग वह एक अलग अपनी संस्था प्राइवेट है। इन दोनों के लेन-देन में सरकार बीच में कहीं आती नहीं, इसलिये सरकार को इससे मतलब नहीं है कि क्या बाकी है और क्यों बाकी है? अपना दावा वह करें, वसूल करें, दें, न दें, हम उसमें बीच में क्या करें?

*६१-६२--**श्री कल्याणचन्द मोहिले**--[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर २३ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

इंटरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५९

श्री अध्यक्ष--अब सचिव महोदय घोषणा करेंगे।

सचिव, विधान सभा--मैं घोषणा करता हूं कि इंटरमीडियेट (संशोधन) विधेयक, १९५९, पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १३ फरवरी, १९५९, की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २४ फरवरी, १९५९, की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति १२ मार्च, १९५९, को प्राप्त हो गयी और वह १९५९, का उत्तर प्रदेश का छठवां अधिनियम बन गया।

श्री राजनारायण के विरुद्ध श्री नेकराम शर्मा द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष--अब मैं जो विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न है श्री नेकराम शर्मा का और उसके बाद मुझे लिखित एक सज्जन ने और दिया था, लेकिन श्री नेकराम शर्मा जी का ही मैंने पहले लिया था तो उसी के ऊपर मैं आज अपना निर्णय देता हूं और साथ ही उसके श्री राजनारायण जी का नियम ५२ के अनुसार उसी विषय से संबंधित घटना के संबंध में जिसकी सूचना मुझे प्राप्त हुई थी उसके ऊपर भी मैं अपना निर्णय दे रहा हूं।

माननीय श्री नेकराम शर्मा ने ता० १२ को श्री राजनारायण द्वारा सदन में ता० ११ को कही हुई बातों की ओर ध्यान आकृष्ट करा कर मुझसे अपने और सदन के अवमान तथा विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की अनुमति चाही थी। उसी दिन नियम ५२ के अन्तर्गत माननीय राजनारायण जी ने ता० ११ की दारुलशफा की संबंधित घटना का जिक्र अपने लिखित वक्तव्य में देकर सरकार से अविलंबनीय तथा कथित सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर वक्तव्य दिलाने की प्रार्थना की थी। ता० ११ को एक अफवाह या सूचना के आधार पर माननीय राजनारायण जी ने दारुलशफा में किसी स्त्री पर बलात्कार की आशंका या उसकी हत्या या किसी स्त्री द्वारा आत्महत्या होने की संभावना की ओर संकेत करते हुए सदन से दारुलशफा के लिये प्रस्थान किया था। अब जो उनकी ओर से घटना का विवरण उनके वक्तव्य में दिया गया है उससे युक्त तीनों प्रकार की आशंकायें स्वयं ही निर्मूल सिद्ध होती हैं और विषय सार्वजनिक महत्व का नहीं रहता बल्कि केवल वैयक्तिक और शंका कुशंकाओं पर आधारित विषय रह जाता है जिस पर सरकार द्वारा वक्तव्य की मांग करना इस सदन की प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है और अनुचित है। इस कारण सरकार को वक्तव्य देने के लिये मैं नियम ५२ के अनुसार नहीं कहूंगा।

जहां तक विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न को उठाने के लिये श्री नेकराम शर्मा ने अनुमति चाही है उसे नियम ६४ के अनुसार देने में मैं अपने को महान धर्म संकट में पाता हूं। प्राक् दर्शन में उनका तथा सदन का अवमान होना प्रतीत होता है परन्तु यदि मैं इस प्रश्न को उठाने की अनुमति दे दूं तो उसे विशेषाधिकार समिति के सामने भेजना आवश्यक होगा और सदन के बाहर की अशोभनीय घटना भी छानबीन की परिधि में आ सकती है।

मैंने जो थोड़ी बहुत जानकारी दारुलशफा की ११ ता० की घटना की प्राप्त की है उससे मुझे यह प्रतीत होता है कि एक विवाहिता स्त्री और सुशिक्षित स्त्री जो कि एक इंटरमीडिएट कालेज की प्रिंसिपल है और जो एक भ्रातृतुल्य इस आदरणीय सदन के एक सदस्य के यहां अपने एक घर को किराये पर उठाने के लिये सहायता प्राप्त करने के लिये आई हुई थीं, उस विवाहिता स्त्री का अमान कुछ सदस्यों और अन्य व्यक्तियों के अपशब्दों द्वारा आवेश में और काल्पनिक आशंकाओं के आधार पर हो गया है। भारतीय देवियों के साथ जिस मर्यादा और अनुशासन के साथ वर्ताव करने का इस देश के पुरुषों का व्रत रहा है उस मर्यादा का उल्लंघन बड़े शोर-गुल के साथ हुआ है। इस कारण पुरुष होने के नाते और उच्च कोटि की सभ्यता, सद्-व्यवहार और सहिष्णुता के प्रतीक इस आदरणीय सदन का अध्यक्ष होने के नाते तथा इस सदन रूपी परिवार के एक सदस्य होने के नाते मेरा मस्तक लज्जा से झुक जाता है। इस देश की परम्परागत उक्त मर्यादा का पालन विशेषाधिकार समिति के सामने भी छानबीन के समय हो सकेगा इसकी मुझे आशा नहीं है। इस कारण मैं विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की अनुमति देना उचित नहीं समझता।

यह आवश्यक नहीं है कि हर परिस्थिति में जिसमें विशेषाधिकार की अवहेलना हुई हो उस प्रश्न को उठाने की अनुमति देना ही चाहिये। मुख्य प्रश्न इस आदरणीय सदन के सदस्यों और सदन की प्रतिष्ठा का है जिसकी ओर लक्ष्य देकर मैं अनुमति देना अनुचित समझता हूं।

हां, मेरे सामने एक प्रश्न अवश्य उपस्थित होता है कि एक निरपराधी स्त्री का अप-शब्दों द्वारा और शोरगुल द्वारा अपमान और बदनामी की गई है जिसके बारे में मेरे पास उसने शिकायत भेजी है और उसकी मां ने भी शिकायत भेजी है उसके लिये मैं सदन के ओर से क्या भरपाई कर सकता हूं। मैं लज्जित हूं और मुझे खेद है कि उसके साथ कुछ सदस्यों द्वारा ऐसा बुरा व्यवहार हुआ। जब कि मैं विशेषाधिकार के प्रश्न को उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूं, ऐसी परिस्थिति में उक्त घटना के संबंध में जिसकी मिसाल पार्लियामेंट्री इतिहास में शायद कहीं भी नहीं मिलेगी, मैं इस सदन की प्रतिष्ठा के लिये और पूज्य बापू गान्धी जी के सिद्धान्तों का सहारा लेकर यह अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि उस स्त्री तथा उसकी मां ने जो शिकायत तथा लिखित कथन भेजा है और बयान दिया है उसका संक्षेप में उद्धरण सदन की जानकारी के लिये पढ़ दूं या कह दूं जिससे सदन किसी गलतफहमी में न रहे और सही बात प्रकाश में आ जाय।

श्रीमती सत्या सक्सेना उसका नाम है। उसने मुझे यह पत्र लिखा है, जिसके कुछ उद्धरण देता हूं। कुछ शब्द क्रोध के आवेश में उसने जो लिखे हैं उनको मैं हटा देता हूं क्योंकि पार्लियामेंट्री पद्धति के अनुसार जो वाक्य अनुचित हों उनको नहीं पढ़ना चाहिये। पत्र के शब्द इस प्रकार हैं :—

"आदरणीय खेर साहब,

सादर नमस्ते।

आज परिस्थितियों से विवश होकर मैं आपको पत्र लिख रही हूं। आप मेरे पूज्य पिता के समान है। मुझे पूर्ण आशा है कि आप इसमें अंकित बातों पर ध्यान देंगे। दारुलशफा में ११ तारीख को मेरे साथ जो असभ्यता का बर्ताव एम० एल० ए० जिन्हें जनता का प्रतिनिधि कहा जाता है उन्होंने किया है उसका ज्ञान आपको हो ही गया होगा।

आप मुझसे स्वयं भी परिचित हैं। आपसे मैं कई बार मिल भी चुकी हूं। मालिनी जीजी, लीला जी तथा सुधा दीदी मुझे अच्छी तरह जानती हैं। (ये मेरी लड़कियों के नाम हैं। उनके साथ शायद पढ़ती होगी और कभी मेरे यहां उस समय आयी होगी इसलिये उसने उनका नाम दिया है।) शर्मा जी से भी मेरा आज का परिचय नहीं है। हम सभी लोग इन्हें १०, ११ वर्ष से जानते हैं। हम लोग सहपाठी ही नहीं बल्कि हमारे घर से इनका बहुत अधिक परिचय है। हमारी माता जी, पिता जी तथा हमारी बहनें सब इन्हें बहुत मानती हैं। माता जी इनके पास खाना नाश्ता आदि भेजती रहती हैं और समय-समय

[श्री अध्यक्ष]

पर बुलाती रहती हैं। वे हमारे घर के अपने आदमी हैं। हम लोग इन्हें बहुत मानते हैं। हमारी मां इन्हें अपने बेटे की भांति समझती हैं। हमारे घर का कोई आवश्यक काम हो तो यही किया करते हैं। कभी कोई जरूरत होती है तो इन्हें बुला लेते हैं। बहन की शादी में सब कीमती सामान इन्हीं के द्वारा खरीदा गया क्योंकि शर्मा जी की दूकानदारों से जान-पहचान भी है और चीजों की पहचान भी है। अतः इन्हें हमारे घर का एक सदस्य ही समझिये। मैं, मेरी छोटी बहन सभी उनके यहां अक्सर आते जाते हैं। हमारे दो मकान हैं जो कि अभी हम लोगों ने हाल ही में खरीदे हैं। उनमें से एक मकान हम किराये पर उठाना चाहते हैं। माता जी ने शर्मा जी को बुलाया और कहा कि आप किसी ऐसे विश्वसनीय व्यक्ति को मकान दिलवा दीजिए जिससे वह अलाटमेंट का प्रश्न न उठाये और सज्जन व्यक्ति हो और जब हमको जरूरत पड़े खाली करा सकें ऐसा आपकी जान पहचान का भला परिवार हो। शर्मा जी ३ व्यक्तियों को मकान दिखलाने लाये तथा डाक्टर पमार राजी हो गए और कहा कि किराया ७० रुपये कर दें तो ले लूंगा। डाक्टर पमार दारुलशफा डिस्पेन्सरी में ही डाक्टर हैं और उन्होंने १० तारीख की रात को आने को कहा था किन्तु नहीं आये। मैं उस दिन कालेज जा रही थी। सोचा शर्मा जी से पूछती आऊं कि डाक्टर पमार जी आ रहे हैं या नहीं। यदि न तैयार हों तो हमारी बहन के एक टीचर हैं उन्हें ही दे दें। मैं दारुलशफा पहुंची तो शर्मा जी कमरे में नहीं थे कमरा बन्द था। वहां एक लड़का बैठा था। मैंने उससे पूछा कि शर्मा जी कहां गये हैं। उसने कहा कि पार्टी मीटिंग में गये हैं, बुला दूं मैंने कहा बुला दीजिए। मैं जब तक हजरतगंज में कुछ काम है करके अभी वापस आती हूं। जब मैं वापस आई तो शर्मा जी मेरा इन्तजार कर रहे थे उन्होंने मुझे चाभी दी कि तुम कमरा खोलकर अन्दर बैठो। मैं अभी डाक्टर पमार के पास जाता हूं। उन्हें बुलाकर लाता हूं। मैं दरवाजा खोलकर भीतर चली गई। शर्मा जी १०-१५ मिनट में लौटकर आये और कहा कि डाक्टर ने कहा है कि वे पूछकर जवाब देते हैं। हम दोनों कमरे में बैठे बाते कर रहे थे कि बाहर से शोरगुल सुनाई पड़ा। शर्मा जी ने कहा कि किसी ने सिसचीफ कर दी। वे बाहर निकल गये। मैं घबरा गई कि न मालूम क्या मुसीबत है। कहीं कोई दंगा आदि तो नहीं हो गया है। अतः मैंने डर के मारे कमरा अन्दर से बन्द कर लिया। किन्तु जब मुझे आवाज सुनाई पड़ी, मैं राजनारायण हूं, हम सब सदन से आये हैं तो मैं एक दम कमरा खोलकर बाहर निकल आई, कमरे में भीड़ भर गई। कुछ औरतें भी थीं। मैंनें उनसे पूछा कि क्या बात है। राजनारायण जी और उनके साथी बुरी तरह से चिल्ला रहे थे। हमने सुना कि लड़की बन्द है इसलिये हम सब आये और भी आपस में शोरगुल कर रहे थे। जिस तरह से मुझसे अश्लील बातें कही गई मुझे उन्हें आपको लिखने में संकोच होता है। मैं एक स्त्री जाति होने के नाते कहूंगी कि हमारी भी इज्जत का सवाल है और स्त्री की इज्जत पुरुषों से अधिक होती है। मैं एक अकेली स्त्री इतनी बड़ी भीड़ में असहाय थी और ऐसा मालूम होता था कि डाकुओं का दल उमड़ आया है। मैंने उन लोगों से कहा कि मैं किसी काम से शर्मा जी से मिलने आई थी और आप लोग इस बदतमीजी से पेश आ रहे हैं। इतनी भीड़ इकठ्ठी करके हमारी इज्जत लेने आये हैं। इतने में एक पुलिस आफिसर आ गये, उन्होंने पूछा तुम कैसे आई, बेटी ? उन्हें मैंने सब बातें बतला दीं। उसके बाद वे नीचे तक मेरे साथ आये और मुझे नीचे छोड़ गये और मैं अकेली घर चली गई।

आदरणीय खेर साहब, देश के बड़े-बड़े नेता और हमारा संविधान स्त्रियों को समानता का अधिकार देने का दावा करता है किन्तु क्या समानता का यही अर्थ है कि यदि एक स्त्री किसी पुरुष से बात कर रही हो, उससे मिलने आये तो उसके साथ इतना निन्दनीय व्यवहार किया जाय। क्या जब पुरुष पुरुष से मिलने जाते हैं तो उनको इतनी भीड़ स्वागत करने जाती है या यह अत्याचार स्त्रियों के साथ ही किया जाता है ? जब जनता के प्रतिनिधियों के ही हाथ में हम अपनी मान मर्यादा, इज्जत सुरक्षित होने की आशा नहीं रख सकते तो जनता से हम

क्या आशा रख सकते हैं। क्या अब कोई भी भारतीय स्त्री दारुलसफा में जाने की बात सोचेगी। कृपया इस संबंध में माननीय श्री संपूर्णानन्द जी से भी मेरी प्रार्थना कर दें कि ऐसे व्यक्तियों को उचित दंड मिलना चाहिये क्योंकि यह मेरी इज्जत का सवाल नहीं, संपूर्ण स्त्री जाति की इज्जत का सवाल है। मैं एक शादी-शुदा लड़की हूं, एक कालेज की प्रिन्सिपल हूं। मुझे भी अपनी इज्जत, मान मर्यादा प्यारी है। और ऐसे व्यक्ति जो जनता के प्रतिनिधि बनने का दावा करते हैं, जनता की सेवा करने का दावा करते हैं, इस तरह से हमारी इज्जत लेने पर तुल जायं, यह कहां की मनुष्यता है।"

मैंने इनकी मां को अपने घर बुलाया था और उसने भी मुझे बयान दिया। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि मुझे उसे लिखित दो। तो उसके बाद किसी से लिखवाकर अपना दस्तखत करके उन्होंने मुझे यह पत्र दिया:—

"आदरणीय खेर साहब जी,

सादर नमस्ते।

मुझे अपनी लड़की के द्वारा, जो ११ तारीख को उसके साथ दारुलशफा में अश्लील तथा असभ्यता का व्यवहार एम० एल० ए० द्वारा किया गया है, पूरा हाल मालूम हुआ। मैंने अपनी लड़कियों को इतना पढ़ा लिखा कर इतना योग्य बनाया कि वे देश, जाति को कुछ सेवा करेंगी लेकिन जब स्त्री जाति के साथ जनता के प्रतिनिधि ही ऐसा व्यवहार करेंगे तो उन बच्चियों की सुरक्षा कौन करेगा।

नेकराम शर्मा, एम० एल० ए० को मैं अपने बेटे की तरह मानती हूं। उनका हर समय का हमारे घर आना जाना है। हमारे उनके आपस के संबंध इस प्रकार के हैं कि जिसमें हमें पूर्ण विश्वास है। मेरी लड़कियों से उनका भाई बहनों जैसा संबंध है। वे मेरी लड़की के पति को भी अच्छी तरह जानते हैं। मेरी छोटी लड़की की शादी में नेकराम शर्मा जी ने व मेरी लड़की के पति ने मिलकर सब सामान खरीदा था। क्योंकि मेरे कोई लड़का नहीं है। वे हमारी हर काम में मदद करते हैं। मेरी लड़कियां जब कोई खास काम होता है उनके यहां आती जाती व मदद लेती हैं। ११ तारीख को मैंने ही अपनी लड़की को उनके पास किरायेदार के बारे में पूछने को भेजा था। मेरी लड़की, सत्या के साथ वहां जो दुर्व्यवहार हुआ है उसका मुझे बड़ा दुख है। यहां पर हम लोगों की इज्जत का सवाल है। उसके पति और उसके खानदान की इज्जत का सवाल है। अतः मेरी आप से प्रार्थना है कि आप इस पर विचार करके उचित कार्यवाही करें जिससे हमारी इज्जत सुरक्षित रह सके।

(श्रीमती शान्ति देवी जौहरी)

माता श्रीमती सत्या सक्सेना।'

मैंने श्रीमती सत्या सक्सेना तथा उनकी माता जी से बातें कीं जब कि कल वे मेरे पास आई थीं। श्रीमती सत्या से मैंनें यह पूछा कि जब दो एक स्त्रियां उस घटनास्थल पर पहुंची थीं उन्होंने तुमसे कुछ बात कही और उन्होंने तुमसे कैसा व्यवहार किया? उसने जबाब दिया कि जो एक बूढ़ी स्त्री आयी थी उन्होंने मुझ से बड़े प्रेम से पूछा कि बेटी तुम यहां कैसे आयी हो। वह हमारी पूज्य सदस्या माननीय प्रकाशवती सूद थीं। उनके पूछने पर उस लड़की ने बताया कि वह अपने घर को किराये पर उठाने के लिये शर्मा जी के पास बात करने के लिये आयी थी। उसकी माता जी ने जो शिकायत मुझसे की थी, वह पहले उन्होंने बयान के रूप में मेरे सामने कही थी। मैंने उन्हें पूछताछ के लिये बुलाया था। बाद में मैंने उनसे अपना बयान लिख कर देने के लिये कहा। कल उन्होंने अपना कथन लिख कर अपना दस्तखत कर के मेरे पास भेज दिया।

मैंने डाक्टर पमार से भी, जो दारुलशफा में हैं, पूछा और उन्होंने यह बात स्वीकार की कि नेकराम शर्मा जी से उनसे बातचीत चल रही थी। तारीख ११ को ११ और १२ बजे के बीच

[श्री अध्यक्ष]

श्री नेकराम जी यह पूछने आये थे कि क्या उस मकान को ७० रुपये माहवार में लेने के लिये मैं तैयार हूं जिसपर मैंने (डाक्टर पमार ने) जबाब दिया था कि पूछ कर उत्तर दिया जायगा क्योंकि मकान उन्हें अपने मित्र डाक्टर भाके के लिये लेना था ।

मुझे आशा है कि सदन में इस प्रकार सच्ची परिस्थिति, जो मैंने स्पष्ट की है, प्रकट हो जाने से श्रीमती सत्या सक्सेना और उनके कुटुम्बियों को काफी संतोष होगा ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--श्रीमन्, मुझे कुछ निवेदन करने का अवसर प्राप्त होगा ?

श्री अध्यक्ष--इस विषय में नहीं ।

श्री राजनारायण---मैं दूसरे विषय में निवेदन करूंगा । आप मेरे लिये कोई रास्ता बतला दें, मैं आप से ही पूछना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--मैं आपको इस विषय पर निवेदन की इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री राजनारायण--इस संबंध में मैं नहीं कह रहा हूं । मैं क्या करूं, इस संबंध में पूछना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--इस विषय में मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं । पहले आप मेरे कमरे में आकर मुझसे बात कर ले ।

श्री राजनारायण--मेरी बात तो कही नहीं गयी । मैंने कहा था कि.....

श्री अध्यक्ष--आप फिर इस संबंध में कह रहे हैं । आप ही सब से ज्यादा अन्याय करने वाले हैं और जितनी बातें आपने की हैं मैंने उनका जिक्र भी नहीं किया है ।

श्री राजनारायण--आपको क्रोधित नहीं होना चाहिये आखिरकार सदन के अन्य सदस्यों की भी प्रतिष्ठा का सवाल है ।

श्री अध्यक्ष---आप सदन की अप्रतिष्ठा कर रहे हैं और अपनी भी अप्रतिष्ठा करा रहे हैं ।

श्री राजनारायण--मैं अपनी अप्रतिष्ठा नहीं कर रहा हूं, मैं देवियों के सम्मान की रक्षा करने वाला हूं । आप जरा इन परिस्थितियों को देखें । मैंने कमरे को बन्द नहीं किया था। आप रंज हो रहे हैं । मैंने सेवा भाव से यह किया था । मैंने देखा कि कमरा बन्द था । वह मैंने नहीं बन्द किया था ।

श्री अध्यक्ष--आप अपना स्थान ग्रहण कर लें । यदि आप नहीं बैठेंगे तो मैं आपको इंगित कर दूंगा ।

श्री राजनारायण--मैं इस समय इतना ही निवेदन करूंगा.....

श्री अध्यक्ष--मैं राजनारायण जी को इंगित करता हूं ।

श्री राजनारायण--मेरी सुन तो लीजिये ।

श्री अध्यक्ष--मैं आपको इंगित करता हूं यदि आप सदन से बाहर न जायंगे ।

श्री राजनारायण--कर दीजिये इंगित । सदन के सम्मान के लिये और जिस व्यक्ति ने ताला बन्द किया था उसके लिये मैं सदन के बाहर जा रहा हूं , लेकिन जिस सदस्य ने उस महिला को ताले में बन्द कर उसका अपमान किया मैं उसका पर्दा फाश करूंगा ।

श्री अध्यक्ष--मैं इंगित करता हूं इसके लिये कि आपने मेरा कहना नहीं माना ।

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, यह पहला मौका नहीं है कि जब माननीय राजनारायण जी द्वारा आपकी आज्ञायों की अवहेलना हुई हो और सदन की बेइज्जती हुई हो। इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि ३० अप्रैल, १९५९ तक के लिये माननीय राजनारायण जी इस सदन की सेवा से पृथक् कर दिये जायं।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि श्री राजनारायण जी को मेरी आज्ञा सदन के बाहर जाने की तथा न बोलने की जो हुई उसकी अवहेलना में ३० अप्रैल तक के लिये सदन की सेवा से वंचित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और श्री राजनारायण द्वारा विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी।)

श्री राजनारायण---अभी-अभी मैंने निवेदन किया कि जिसने ऐसा काम किया है उसको कठोर दंड मिलना चाहिये और मैंने इस संबंध में अभी पूरी छानबीन नहीं की है। आप खुद सोचें। मैं सदन को हमेशा के लिये त्याग देने के लिये तैयार हूं। मैं चाहता हूं कि सदस्यों की प्रतिष्ठा हो।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ :

पक्ष में---१३८,

विपक्ष में---३८।)

श्री अध्यक्ष---अब मैं श्री राजनारायण जी से प्रार्थना करूंगा कि वे सदन को त्याग कर चले जायं।

श्री राजनारायण---मैं न्याय और सदन के सम्मान की प्रतिष्ठा के लिये, महिला के चरित्र की प्रतिष्ठा के लिये, एम० एल० ए० की चरित्रहीनता का जो विस्फोट मैंने किया था, जो मैंने प्रकट किया था उसके लिये मैं सदन का त्याग करने के लिये तैयार हूं। आगे मैं कोई दूसरी परिस्थिति पैदा करना नहीं चाहता लेकिन मैं इतना जरूर निवेदन करूंगा कि अगर विधान सभा के सदस्यों की चरित्रहीनता छिपायी गयी तो प्रदेश का सत्यानाश हो कर रहेगा और उसकी जिम्मेदारी आप पर कुछ कम नहीं आयेगी।

श्री अध्यक्ष---आप कृपा कर जायं।

(श्री राजनारायण ने सदन का त्याग किया।)

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---माननीय मुख्य मंत्री जी ने श्री राजनारायण जी के विरुद्ध जो सत्य बात कहने, एक महिला के सम्मान की सुरक्षा करने व एक सदस्य के दुराचरण का विस्फोट करने के कारण सदन की सेवा से डेढ़ माह के लिये निलंवित करने का प्रस्ताव किया है उसके विरोध में मैं सदन का त्याग करता हूं।

श्री अध्यक्ष---मैं चाहता हूं कि आप खामोशी के साथ जायं। इस बात का बार-बार नाम लेकर जिक्र करना बहुत अनुचित है।

(श्री रामस्वरूप वर्मा ने सदन का त्याग किया।)

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---आपने हमारे दल के नेता श्री राजनारायण जी को इंगित करके ३० अप्रैल तक के लिये सदन के बाहर कर दिया है और उसके बाद हमारे उपनेता ने सदन का त्याग किया है, इसलिये मैं भी सदन का त्याग करता हूं।

(श्री देवनारायण भारतीय ने सदन का त्याग किया।)

श्री उग्रसेन---श्रीमन्, हमारे माननीय नेता राजनारायण जी को इस सदन में सत्य बात कहने के ऊपर इंगित किया गया है जिससे वे सदन को त्याग कर चले गये हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री उग्रसेन]

इसलिये उसके विरोध में हम सभी सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य आज के लिए सदन के बाहर जा रहे हैं। हमने कोई गुनाह नहीं किया है। क्या हमने किसी लड़की को या किसी महिला को बन्द किया था, अगर यहां न्याय नहीं मिलता है तो बाहर न्याय मिलेगा, हम हमेशा के लिये सदन छोड़ कर बाहर जाने के लिये तैयार हैं। सन् १९६२ में देख लेंगे।

(श्री उग्रसेन ने समाजवादी दल के अन्य सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया।)

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)---अध्यक्ष महोदय, मैं यह बहुत नम्रता-पूर्वक निवेदन करता हूं कि समाजवादी दल के माननीय नेता ने सदन का त्याग करते समय जो शब्द इस आदरणीय सदन के सदस्य और एम० एल० ए० को संकेत करते हुए लिया है, उसको इस सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---अभी इसके ऊपर मैं विचार करूंगा क्योंकि मैंने सम्पूर्ण परिस्थिति बतला दी है। पालीवाल जी के सामने श्री राजनारायण जी से मेरी बातचीत हुई थी। वे कहते थे कि जहां पर किसी स्त्री की बेइज्जती का सवाल है, मैं उनकी बेइज्जती नहीं चाहता। लेकिन वे इस बात को नहीं समझते कि चाहे श्री नेकराम शर्मा को ही बुरा कहा जाय उस स्त्री के सम्बन्ध में तब भी उस स्त्री की बेइज्जती है, चाहे उस स्त्री को खुद बुरा कहा जाय या न कहा जाय साथ ही श्री नेकराम शर्मा की भी बेइज्जती होगी। तो प्रश्न मेरे सामने यह है ऐसा कौन सा रास्ता है कि सदस्य की भी बेइज्जती न हो और उस स्त्री की भी बेइज्जती न हो और साथ-साथ श्री नेकराम शर्मा आज के राजनारायण जी के शब्दों पर बाद को कोई विशेषाधिकार का प्रश्न कहीं न उठा दें जिससे भी दिक्कत पैदा हो जायगी। कुंवर श्रीपालसिंह जी मेरे पास आये थे और उन्होंने बतलाया था कि श्री राजनारायण जी इसके लिये राजी नहीं हैं कि यों ही मामला खत्म हो। उनका प्रस्ताव था कि राजनारायण जी जिस बात को सत्य समझते हैं उसे नेकराम शर्मा जी कबूल करें और मेरे सामने आकर माफी मांगें। इस तरह की शर्त उन्होंने मेरे सामने रक्खी। मैंने इस चीज को बहुत अनुचित समझा कि जबरन किसी से कोई बात कहलाई जावे जो वह असत्य समझता है। दूसरे दिन उसकी मां मेरे सामने आयीं और रोयीं कि उक्त घटना से उनकी बड़ी बेइज्जती हुई। तब मुझे यही लगा और जब यह परिस्थिति मैंने देखी कि अगर यह विषय विशेषाधिकार समिति के सामने भेजा जायगा तो वहां पर उक्त घटना की छानबीन होगी और वहां फिर श्री नेकराम शर्मा के ऊपर जो चार्ज अभी श्री राजनारायण जी ने लगाया है उसको रिपीट किया जायगा इसीलिए मैंने उचित नहीं समझा कि विशेषाधिकार के प्रश्न उठाने की मैं इजाजत दूं। अब भी श्री राजनारायण जी के उक्त वाक्य कार्यवाही में से हटाने के पहले मैं श्री नेकराम शर्मा से जानना चाहता हूं कि वे उन वाक्यों के सम्बन्ध में कोई विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न लाना चाहते हैं। जब वे कोई इस तरह का प्रश्न लायेंगे तब तो मैं उसको हटाऊंगा नहीं। लेकिन अगर वे इस तरह का कोई प्रश्न नहीं लावेंगे तो मैं उन शब्दों का औचित्य देख कर कार्यवाही से हटा दूंगा।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---श्रीमन्, मैं इस तरह की कोई चीज नहीं लाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---तो मैं उन वाक्यों को, जैसा कि विरोधी दल के नेता ने कहा, वहां से हटा दूंगा।*

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, यह शुरू से लेकर इस समय तक आदि से अन्त तक जो घटना हुई उस पर मुझे बहुत खेद है? मैं

---

* यद्यपि श्री अध्यक्ष ने सदन में कहा था कि उक्त वाक्य कार्यवाही से हटा दिये जायंगे परन्तु जब उन बातों पर इतनी चर्चा हो गयी है इस कारण संदर्भ कायम रखने के लिए उक्त वाक्य कार्यवाही में कायम रखना ही अन्ततः श्री अध्यक्ष ने निश्चित किया।

आपकी और विरोधी दल के नेता की तथा सदन के नेता की इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि इस तरह की बातों की चर्चा सदन के भीतर नहीं होनी चाहिये और मैं चाहता था कि यह चर्चा शुरू में ही न उठाने दी जाती और उठाने के लिये जो शब्द कहे जाते उनको सदन की कार्यवाही से एक्सपंज कर दिया जाता, निकाल दिया जाता। यह हमारे सदन के लिये शोभनीय बात नहीं हुई कि शुरू से लेकर अब तक की चर्चा हमारी स्थायी कार्यवाही का एक अंग बनेगी। मैं खासतौर पर यह कहना चाहता हूं और आगे के लिये प्रार्थना करना चाहता हूं कि भविष्य में कोई भी सदस्य इस तरह का प्रश्न उठाये तो आप उसके उठाये जाने की इजाजत न दें और भविष्य में सदन की यही परम्परा रहे अगर कोई इस प्रश्न को उठाये तो कार्यवाही से एक्सपंज कर दिया जाय, क्योंकि यह बड़ा भयानक मामला है। जैसा आपने कहा इस तरह के हर प्रश्न के सम्बन्ध में एक महिला भी आती है और समाज में दुर्भाग्य से जो दुखद दोहरा मापदंड है उसमें दोषी भी हो पुरुष तो पुरुष का उतना नहीं बिगड़ता जितना महिला निर्दोष हो तब भी उसका बिगड़ जाता है। इसलिये इस तरह के प्रश्न की चर्चा भविष्य में सदन में उठायी जाय यह सदन की मर्यादा के विरुद्ध है सदस्यों के चरित्र और आचरण सम्बन्धी कीर्ति के विरुद्ध है और महिलाओं के साथ घोर अन्याय है। हमारे देश में नारी सम्मान की जो परम्परा है उसके प्रतिकूल है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि अब तक जो कुछ हुआ वह हुआ, लेकिन भविष्य में इस तरह का कोई प्रश्न उठावे तो आप उसके उठाने की इजाजत ही न दें।

श्री अध्यक्ष---मैं पूरी तरह से सहमत हूं आपसे और जिस वक्त उन्होंने पहले पहल जिक्र किया था उसी वक्त उन्हें बन्द कर देता। लेकिन उन्होंने उस समय भिन्न बात कही थी कि कोई स्त्री बन्द है, शायद उसको कोई मार डालने वाला है। मारने की आशंका या बलात्कार की कोई आशंका है, ऐसा उस वक्त उनके कथन से मालूम होता था। उसके बाद उस आशंका का रूप बदल कर किसी सदस्य के चरित्र पर हमला होगा यह तो मुझे उस समय कल्पना नहीं थी। इसलिये यह प्रश्न उठ गया। आयन्दा हम लोगों को सजग रहना चाहिये कि कोई सदस्य यदि पुनः इस प्रकार की बात कहें तो उसे पहले ही से रोक दूंगा। अनुभव से लाभ उठाना ही पड़ेगा।

श्री जंगबहादुर वर्मा द्वारा कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---एक कामरोको प्रस्ताव श्री जंगबहादुर वर्मा जी ने दिया था। इसको तो मैं नामंजूर करता हूं क्योंकि उन्होंने १६ फरवरी के नहर के वाकये के सम्बन्ध में दिया है, जो पुराना जिक्र है, कोई अर्जेन्सी का नहीं है। इसलिये मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूं।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ विषयों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष---दूसरा स्वामी विश्वेश्वरानन्द का नियम ५२ के अनुसार है। "तहसील किरावली, जिला आगरा के पचासों गांवों में हजारों एकड़ वाटर लागिंग हुआ है..।" इसके बारे में कई दफा जिक्र हो चुका है। मैं समझता हूं यह भी.....

स्वामी विश्वेश्वरानन्द (जिला आगरा)---आपकी आज्ञा हो तो एक बात कहना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष---आप बैठें। मैं बाद को मौका दूंगा।

इसी तरह से श्री उग्रसेन जी का है। "८ मार्च को सभापति, ग्राम सभा मंझौली, जिला देवरिया ने श्री जगदीश मल को बांध कर मारा.....।" यह व्यक्तिगत मामला है। सार्वजनिक महत्व का नहीं है। इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द---श्रीमन यह ठीक है वाटर लौगिंग है इसके बारे में काफी चर्चा हुई हैं, लेकिन प्रश्न इस वक्त यह है कि जैसा माल मंत्री जी ने कहा था कि उस जमीन की मालगुजारी वसूल नहीं होगी जो वाटर लोग्ड है, तो ऐसा नहीं हो रहा है। श्रीमन्, आज ही मुझे सूचना मिली है, तहसील किरावली से एक आदमी आया है और उसने बताया कि काफी सख्ती के साथ उस जमीन की मालगुजारी वसूल की जा रही है जब कि खरीफ में कुछ पैदा नहीं हुआ उस जमीन पर...

श्री अध्यक्ष---आप कृपा करके सम्बन्धित मंत्री को लिख कर भेज दें।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द---कई बार कह चुका हूं।

श्री अध्यक्ष---आपने कहा एक नई चीज पैदा हुई...

स्वामी विश्वेश्वरानन्द---नई चीज से मतलब यह है इस वक्त जो मालगुजारी वसूल की जा रही है उससे लोगों में परेशानी है। जिनके पास खाने को नहीं है, ऐसी हालत में मालगुजारी वसूल की जाय। और वाटर लागिंग की प्राबलम कई वर्षों से है, लेकिन इस वक्त जो समस्या है....

श्री अध्यक्ष---आप लिखित भेज दें। आपके प्रस्ताव को तो मैंने अस्वीकार कर दिया है।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द---जैसी आपकी इच्छा। यह तो बड़ी जबरदस्ती है।

श्रीमती कमलादेवी शुक्ल की मृत्यु के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष---श्री जंगबहादुर वर्मा द्वारा नियम ५२ के अन्तर्गत दी गई सूचना पर माननीय मुख्य मंत्री ने सूचना प्राप्त करके आज वक्तव्य देने को कहा था।

समाज कल्याण मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)---श्रीमन् यह श्री सियाराम शुक्ल और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कमला देवी शुक्ल ने काउन्सिल हाउस के सामने भूख हड़ताल की थी और २२ सितम्बर, १९५८ को रात्रि के ११ बजे भारतीय दंड विधान की धारा ३०९ के अन्तर्गत उनको यहां से गिरफ्तार किया गया और जेल में ले जाकर रक्खा गया। २२ नवम्बर को जब कि उनकी दशा कुछ अच्छी नहीं दिखाई दी जेल में तो दोनों को बलरामपुर अस्पताल में भेज दिया गया। १३ दिसम्बर, १९५८ को बलरामपुर अस्पताल के सुपरिन्टेडेंट डाक्टर डी० एन० शर्मा ने सूचित किया कि कमलादेवी की दशा अच्छी नहीं थी। २० दिसम्बर, १९५८ को उन पर से ३०९ का आरोप वापस ले लिया गया। २८ दिसम्बर, १९५८ को मुक्त कर दिया गया। २८ दिसम्बर, १९५८ से वह निरन्तर बलरामपुर अस्पताल में रहीं, क्योंकि बराबर अपने रोग का इलाज कराती रहीं। ३ मार्च, १९५९ को निमोनिया में जिसको अंग्रेजी में अनडिजाइड्ड निमोनिया कहते हैं, उससे उनकी मृत्यु हुई। जहां तक श्री सियाराम शुक्ल का प्रश्न है, यह अभी तक बलरामपुर अस्पताल में हैं। ४ जनवरी, १९५९ को इनको भी एक जाती मुचलके पर छोड़ दिया गया है। इस समय न जेल में हैं और न हिरासत में। अस्पताल में हैं और जो अनशन यह कहते थे कि मैंने प्रारम्भ किया है उसी अनशन से बराबर बताते हैं, लेकिन वह अपने हाथ से भोजन नहीं करते हैं। अगर अस्पताल का आदमी भोजन कराता है तो कर लेते हैं। अस्पताल का आदमी खिलाता है तो खा लेते हैं। इनके ऊपर दो आरोप हैं। एक तो ३०९ का, जिसमें मुचलके पर छोड़ा है। दूसरे, जेल में अनशन जारी रक्खा था इसलिये प्रिजन ऐक्ट की धारा ५२ का भी आरोप है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह कौन से कारण थे कि जिनको लेकर श्री सियाराम शुक्ल और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कमला देवी को अनशन करना पड़ा?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---यह दोनों ही व्यक्ति अमौली कलां, जिला बाराबंकी के निवासी थे। इन्होंने कुछ शिकायत वहां की लैण्ड मैनेजमेंट कमेटी के विरुद्ध बताई थीं और चाहते थे कि मुख्य मंत्री जी कुछ आश्वासन दें। यही कारण एक बतलाया था और कोई दूसरा नहीं मालूम है।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अनशन पर जाने के पहिले इन लोगों ने सरकार को अपने अनशन और मांगों के सम्बन्ध में कोई सूचना दी थी? यदि हां, तो सरकार ने उस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की थी?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---मुझे इसकी तो सूचना नहीं है कि इन्होंने कोई सूचना दी या नहीं, लेकिन काउन्सिल हाउस के सामने बैठकर अनशन किया।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अनशन करने वालों पर ३०९ की कभी कोई कार्यवाही देखी है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---अखबारों में पढ़ा है, कभी-कभी होता है। लेकिन कायदे के अनुसार धारा ३०९ में, जो आदमी आत्महत्या करने की कोशिश करे, उस पर कार्यवाही होती ही होगी, इसमें तो कोई दो राये नहीं हैं।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब वह लोग गिरफ्तार करके जेल में बन्द कर दिये गये, तो उनकी हालत खराब होने के बाद क्यों अस्पताल पहुंचाया गया?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---वह जेल में थे। कोई विशेष बात नहीं। जेल में तो रखना ही था, लेकिन जब वह इस योग्य हुए कि अस्पताल भेजे जांय तो भेज दिया गया।

१९५९-६० के आय-व्ययक में अनुदानों में लिये मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या ३०---लेखा शीर्षक: ४७---श्रम-प्रकीर्ण विभाग

†**मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)**---अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३०---श्रम---लेखा शीर्षक: ४७---प्रकीर्ण विभाग के अन्तर्गत १,५६,१०,१०० रुपए की मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय।

समय दूसरी बातों में बहुत चला गया इसलिये मैं उचित नहीं समझता कि इस मांग को पेश करते हुये कोई लम्बा भाषण दूं, केवल २-१ बातों की चर्चा करूंगा जिस से इस माननीय सदन को इस बात का अन्दाजा मिल जाय कि हम अगले साल खास तौर से क्या-क्या काम करना चाहते हैं। यह श्रम कल्याण केन्द्रों का काम बहुत ही आवश्यक कार्य है, इस दृष्टि से कि मजदूरों और उनके घर वालों को कुछ काम सीखने को मिल जाता है और साइकालोजीकल दृष्टि से भी उनका मनोरंजन आवश्यक है। हम इस साल थोड़ी बहुत इस काम में बृद्धि कर रहे हैं। पिछले साल में जहां १३ लाख ४१ हजार रुपया व्यय हो सका वहा अगले साल के लिये हम १५ लाख ८७ हजार रख रहे हैं यानी करीब ढाई लाख की वृद्धि कर रहे हैं। जहां हमारे यहां अब तक ५७ केन्द्र हैं वहां आगे उनकी तादाद ६२ हो जायगी। इसके अतिरिक्त अभी हमारे बहुत से केन्द्र किराये के मकानों में है अगले साल हम ५ और बनाना चाहते हैं और २ श्रम कल्याण केन्द्रों को हम सी० से बी० में लाना चाहते हैं जहां पर दवा आदि का ठीक प्रबन्ध होगा। मकानों

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को याद होगा कि आज से कुछ साल पहले शीरे का जो रुपया पड़ा था उसके सम्बन्ध में हमने तय किया था कि हम शक्कर के कारखानों के मजदूरों के लिये मकानों की व्यवस्था करेंगे। उसमें सवा ४५ लाख रुपये में १५०० मकान बनाने का निश्चय हुआ था और अब तक उसमें से १,२८४ मकान बन चुके हैं। यह मकान हमारे प्रदेश के ५८ कारखानों में हैं। हमारे और केन्द्रीय सरकार के बीच में जो समझौता हुआ था उसके अनुसार सबसिडाइज्ड हाउसिंग स्कीम में २०,६९० मकान बनने थे, उसमें से २०,६०६ अब तक बन चुके हैं। शेष ८४ भी जल्द बन जायेंगे। इनके अलावा थोड़े ही दिन में नैनी, मेरठ, गाजियाबाद और शिकोहाबाद में भी ४,८९८ और मकान बनने हैं।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि इन मकानों के लिये आधा रुपया केन्द्रीय सरकार सबसिडी के रूप में देती है और बाकी आधा रुपया गवर्नमेंट आफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट को लोन के रूप में देती है और उस वक्त तय हुआ था कि जो सूद व्याज देना है उस का हिसाब लगाकर दस रुपया किराया मकानों का लिया जायगा। उसके लिये अक्सर कहा जाता है कि वह मकान पूरे तौर से आकुपाइड नहीं हैं और कुछ खाली रहते हैं और यह भी कहा जाता है, ठीक ही कहा जाता है कि उन में कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जिनके लिये वह मकान नहीं बनाये गये हैं। हमें मालूम है कि वहा पर कुछ सी० ओ० डी० के कारीगर रहते हैं जिन के लिये वह नहीं बने हैं, कारण यह है कि जिन मजदूरों के लिये वह बने हैं वह आसानी से १० रुपया नहीं दे पाते और यह कारीगर लोग दस रुपया दे रहे हैं। अब चूंकि गवर्नमेंट आफ इंडिया का कर्ज देना है और सूद भी चुकाना है, इसलिये यह तो हो नहीं सकता था कि वह माफ किया जाता और टैक्सपेयर पर और बोझ बढ़ाया जाता तो हमने उन लोगों को मजबूरन वह मकान दिये जिनका अधिकार वाकई नहीं था, लेकिन हमारी अभी कोशिश है कि कोई रास्ता ऐसा निकल आये कि वह लोग ही उनमें रह सकें कि जिन के लिये वह बने हैं। अब गवर्नमेंट आफ इंडिया का जो कर्जा है अगर उसका कुछ हिस्सा सबसिडी में बदल दिया जाय तो यह बोझ कम हो सकता है। यही सूरत थी जो मैंने बतायी कि जिस के कारण वह मकान जिन के लिये बने थे उनको न देकर दूसरों को देने पड़े। इस गवर्नमेंट ने इस बात का इन्तजाम कर लिया है कि ऐसे जितने कारखाने है जिनमें सौ या सौ से ज्यादा मजदूर रहते हैं उनमें वर्क्स कौंसिल बन जायगी और इस वक्त ३७ में से २४ में बन चुकी है। उस दिन इंडस्ट्री के सिलसिले में यह बतला दिया गया था कि मजदूरों को भी हिस्सा दिया जाय प्रबन्ध में, इसको सिद्धान्ततः हमने मान लिया है। अब हमने प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट फैक्टरी में प्रतीक के रूप से किया है, लेकिन थोड़े दिनों में अब जितने सरकारी कारखाने हैं उनमें हन मजदूरों को हिस्सा देना चाहते हैं, हमने इस बात को मान लिया है कि उनको हिस्सा मिलना चाहिये।

इस चीज के ऊपर भी हमने ध्यान दिया कि मजदूर काम तो करते हैं लेकिन ट्रेड यूनियन का सिद्धान्त नहीं जानते, ट्रेड यूनियन के काम क्या हैं, अपने देश में और प्रदेश में किस तरह से काम करती हैं, मजदूरों के क्या अधिकार और कर्त्तव्य है, क्या कायदे-कानून हैं, उनको ठीक तरह से नहीं मालूम। इसलिये हमने मजदूरों की ट्रेनिंग का काम ले लिया। ८-१० दिन का सेमिनार रहेगा। पहला सेमिनार अक्तूबर, १९५८ में नैनीताल में हुआ था उसमें हमारे यहां काफी प्रदेशों के लोग जमा हुए। हमनें यह भी कोशिश की कि दूसरे प्रदेशों में जाकर देख आवें कि मजदूर वहां किस तरह से इन चीजों का फायदा उठाते हैं और १५ आदमी बम्बई, इन्दौर इत्यादि से सीख कर आये हैं कि वहां कैसे काम होता है जिससे ठिकाने से काम चल सके।

यहां ट्रेड यूनियन के पास अपना मकान नहीं है। कोई सांस्कृतिक काम करना चाहें, शिक्षा का काम करना चाहें, लेक्चर वगैरह तो उसके लिये हमने विचार किया कि ५ बड़े-बड़े शहरों में हाल बनाये जांय। वो ट्रेड यूनियन हाल इस साल बनाना चाहते हैं ताकि वहां वे मीटिंग कर सकें, कोई सांस्कृतिक काम कर सकें। वह सरकारी खर्चे से बनेंगे।

हमारा यह भी खयाल रहा, जैसा कि उन्नत देशों में है कि मजदूरों को छट्टी मिलती है तो इधर उधर चल जाती है। वह एक जगह जमा हो सकें, वहां अपना स्वास्थ्य सुधार सकें, अपनी शिक्षा ठीक कर सकें। तो हम सबसे पहले कुछ सुविधा सरकार के कारखानों में काम करने वालों के लिये दे रहे हैं, इसके लिये १,४७,००० रुपया हमने निकाला है। एक कमेटी बैठायी थी, उसने राय दी कि रानीखेत में अच्छा प्रबन्ध हो सकता है। हमको उम्मीद है कि शुगर वर्कर्स के लिये रानीखेत में रेस्ट हाउस बन जायेगा और आशा है कि दूसरे कारखाने वाले मजदूरों के लिये भी बन जायगा।

भगवान की कृपा से पिछले साल सब बातों को देखते हुए इंडस्ट्रियल रिलेशंस की हालत अच्छी रही। हमारे यहां बहुत थोड़ी हड़ताल रही। हड़तालों और लाक-आउट सब को मिलाकर १९५७ में ९३ हुई और पिछले साल सब मिलाकर ७० हुई और १९५७ में १८,००० मजदूरों पर असर पड़ा और पिछले साल १३,००० मजदूरों पर असर पड़ा। यह एक अच्छी बात है, लेकिन दो एक बातों की तरफ सब का खयाल जाता है कि कुछ कारखाने बन्द हैं। मैं ब्योरे की बात इसलिये नहीं कहता कि कई बार सदन में टेक्सटाइल मिल्स के बन्द होने के बारे में सवाल पूछे गये और कहा गया कि वह खोले जांय। हमने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं, तो आशा है कि महीने, दो महीने के अन्दर आथर्टन वेस्ट चल जायगा। अभी उसी की बात चल रही थी कि महेश्वरी जूट मिल के बन्द होने की बात सामने आ गयी। अगर इसमें हम किसी कायदे से मदद कर सके तो जरूर करेंगे। तब तक हम इतना ही कर सकते हैं कि मजदूरों का जो कायदे से हक है, जो उनको मिलना चाहिए वह हम दिला सकें।

"अमृत पत्रिका" के सम्बन्ध में उस दिन सदन में निवेदन कर दिय गया है, उसको दोहराना नहीं चाहता।

इत्तफाक से ऐसे मामलों में कुछ हंगर स्ट्राइक की बात सुनने में आती है। मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन इतना ही कहूंगा कि जैसा कि उस दिन निवेदन किया था कि किसी आदमी को अपनी बात के ऊपर यह विश्वास हो सकता है कि वह बिलकुल उचित है, लेकिन फिर भी ऐसे सार्वजनिक कामों के लिये हंगर स्ट्राइक करना, ऐसे मामलों में जिनका असर लाखों आदमियों पर पड़ सकता है और करोड़ों रुपये के जहां मामले हों तो उसके लिये हठ-पूर्वक एक आदमी कहे कि मैं अपने प्राण दे दूंगा, यह सर्वथा अनुचित होगा। मिसाल के लिये मैं जानता नहीं कि शिब्बनलाल जी हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं या नहीं, कुछ यहां भी विधान सभा के सदस्यों की हंगर स्ट्राइक की बात चली थी, खुशी की बात है कि वह बन्द हो गया। कहा जाता है कि उनकी कुछ मांगें थी। किस तरह की उनकी मांगें थीं। एक सबसे हलकी मांग यह थी कि जब तक वेज बोर्ड का फैसला न हो जाय तब तक मजदूरों की मजदूरी २५ परसेंट बढ़वा दीजिये। इस वक्त उत्तर प्रदेश में शक्कर के कारखानों में मजदूरों की मिनिमम वेज ५५ रुपये है। पहले ३६ रुपये थी और सन् १९३९ से बढ़ाकर ५५ करा दिया है। इससे सम्भव है ज्यादा मिलता हो लेकिन किसी को ५५ रुपये से कम नहीं मिलता। उनका कहना यह था कि २५ परसेंट बढ़वा दो अब ५५ रुपये का २५ परसेंट होता है पौने १४ रुपया। अभी तीन चार दिन हुये हैं वेजबोर्ड ने फैसला किया है कि बढ़ाया जाय, लेकिन ५ परसेंट और किसी हालत में ३ रुपये से अधिक न हो। ५५ का ५ परसेंट पौने तीन रुपया होता। खैर वह तीन रुपया हम दिला देंगे, लेकिन उनका कहना था कि वेज बोर्ड का इन्तजार न कीजिये। वेज बोर्ड में मजदूरों और मालिकों के सबके प्रतिनिधि होते हैं, वहां सबकी बातें सुनी जाती है और उनको सुनने के बाद उन्होंने ३ रुपये तय किया। अब अगर पौने १४ रुपये हमने दिलवा दिये होते तो वह कितने अन्याय की बात होती। अब वह ११ रुपये मजदूर कहां से वापस करते और यह उम्मीद करना कि मिल मालिक हजारों मजदूरों को इस हिसाब से चुपचाप देता रहे और बरदाश्त करता रहे यह मुश्किल बात है। कहीं न कहीं उसका असर पड़ता। वह शक्कर का दाम बढ़ाता और वह हम मध्यमवर्ग के खरीदने वालों पर पड़ता। मिल मालिक उसे अपने ऊपर लेने के लिये कभी तैयार नहीं होता।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

बोनस का जहां तक सिद्धांत है वे तो कहते हैं कि बोनस देना चाहिये, लेकिन कारखाने प्राइवेट हैं उनमें जो प्राफिट हो उस पर देना चाहिये। हमरे यहां शुगरकेन प्रोड्यूसर्स कहते हैं कि जितना गन्ना पेरा जाय उस पर दिया जाय। हम कहते हैं कि सिद्धान्तों की बात को छोड़ दीजिये। हमने एक ट्रिपार्टाइट कान्फ्रेन्स की जिसमें मजदूर और मिल मालिक आपस में राजी हों उनमें एक कमेटी बनवा देते हैं। वह कमेटी जो तय करती है उसके हिसाब से बोनस बढ़वा देते हैं। हम किसी सिद्धांत की बात नहीं कहते। मिल मालिक और मजदूर आपस में दोनों तय कर लें और नहीं होता तो वेज बोर्ड के सामने मामला चला जाता है। उनका सिद्धान्त है कि बोनस और वेज के मामले में एक समझौते के तरीके को वर्क आउट करना। जो वह तय कर देते हैं वह हम मान लेते हैं। अब जो चीज तय होने जा रही हो उसके लिये कोई कहे कि हम अनशन करते हैं तो मजबूरी है। मजदूरों की बात हम सहानुभूति के साथ सुनने के लिये तैयार रहते हैं। मुझे विश्वास है कि आम तौर से मजदूरों का हमारे ऊपर विश्वास है। मिल मालिकों को हम से शिकायत है कि हमें उत्तर प्रदेश में बिजीनेस करने में मुसीबत होती है इसलिये कि इनकी लेबर पालिसी हमारे खिलाफ जाती है, लेकिन मजदूरों को किसी खास बात पर गुस्सा आ जाय लेकिन आम तौर से मजदूरों का हमारे पर भरोसा है। वे जानते हैं कि यह सरकार मजदूरों की सेवा करना चाहती है और उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन इस तरह से हम दबाव डालकर काम करायें तो असम्भव हो जाय। इसलिये इस बात को समझा जाय और इस तरह दबाव डालने वाली टैक्टिक्स को काम में नहीं लाया जायगा।

मैं कुछ अधिक नहीं कहना चाहता। जो शिकायतें माननीय सदस्यों को होंगी उनका उत्तर बाद में उत्तर देते समय हो जायगा। मैं आशा करता हूं कि जो मांग मैंने पेश की है यह सदन उसको स्वीकार करेगा।

*श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३०—श्रम के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—नीति का ब्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है।

श्रम नीति का प्रदेश के श्रमिकों के हित में संशोधन न किया जाना जिससे छंटनी, प्लेआफ व बेकारी बढ़ रही है वह मजदूरों पर मिल मालिक का दबाव बढ़ रहा है, उदाहरणार्थ रामपुर की रजा व बुलन्द चीनी मिलों की स्थिति।

अध्यक्ष महोदय, आर्थिक और औद्योगिक विकास में मजदूरों का जो सम्मानपूर्ण स्थान है उसको स्वीकार करते हुये समाज ने मजदूरों को जो मान्यतायें और प्रतिष्ठायें प्रदान की हैं उनके आधार पर हमें उत्तर प्रदेश की सरकार की श्रम नीति को कसौटी पर कसना है और यह देखना है कि उन मान्यताओं और प्रतिष्ठाओं को क्या प्रदेशीय सरकार की श्रम नीति से किसी प्रकार की बढ़ोत्तरी, किसी प्रकार का उरोज या प्रस्फुरण प्राप्त हुआ है, लेकिन मैं निःसंकोच यह कहूंगा कि प्रदेशीय सरकार की जो श्रम नीति रही है वह निष्क्रिय और असफल रही है। किसी भी सफल श्रम नीति के लिये यह आवश्यक है कि उसमें कुछ मुख्य-मुख्य बातें निहित हों। उदाहरण के लिये कोई भी श्रम नीति तब सफल श्रम नीति कही जा सकती है जब उसमें मजदूरों में सामूहिक समझौता करने की प्रवृत्ति पैदा की गयी हो। अगर ऐसी श्रम नीति अपनायी गयी हो जिसके आधार पर एम्पलायमेंट का वैकुअम बढ़ा हो और उसके साथ-साथ औद्योगिक शान्ति भी बनी रही हो और औद्योगिक सम्बन्ध भी अच्छे रहे हों तो वह सफल श्रम नीति कही जायगी।

मान्यवर, इन्हीं बातों के आधार पर मैं एक-एक के ऊपर इस सरकार की जो श्रम नीति रही है उसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपना अनुदान

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रस्तुत करते हुये अभी यह बताया कि हमारे प्रदेश के औद्योगिक सम्बन्ध बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन मैं उनसे इस बात में सहमत नहीं हूं। हमारे प्रदेश में गत तीन वर्षों से जो स्थिति रही है उससे मैं कह सकता हूं कि तमाम औद्योगिक सम्बन्ध अच्छे नहीं रहे हैं। यद्यपि मजदूरों ने अपने उत्तरदायित्व को हर तरह से पूरा किया है लेकिन उद्योगपतियों ने अपने उत्तरदायित्व को नहीं निभाया है और इस बात को स्वीकार करते हुये मुख्य मंत्री जी ने स्वयं कहा कि हमारे प्रदेश में हड़तालें नहीं हुई लेकिन उसके प्रत्युत्तर में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में हड़तालें नहीं हुई लेकिन उसके बजाय लाक-आउट और तालाबन्दी अवश्य हुये हैं और इस प्रकार हमारे प्रदेश को कितना नुकसान हुआ है यह मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं। सन् १९५५ में १,१३३ फैक्टरियों में ८,७२१ मजदूरों की तालाबन्दी की गयी और उससे १०,८७,८८६ दिनों का नुकसान हुआ। सन् १९५६ में ८८० फैक्टरियों में तालाबन्दी हुई जिसमें ४३,२१५ मजदूरों पर प्रभाव पड़ा और ६,९२,२४८ दिनों का नुकसान हुआ। सन् १९५७ में १,१४४ फैक्टरियों में २,५९,५६६ मजदूरों के खिलाफ तालाबन्दी हुई जिसके फलस्वरूप १०,०८,७८३ दिनों का नुकसान हुआ। सन् १९५८ में तो इन फीगर्स में बहुत ही इजाफा हो जायगा, क्योंकि कानपुर में कई मिलें लगातार बन्द होती चली आ रही हैं। तो जहां मजदूरों ने हड़ताल नहीं की वहां मालिकों ने एक नया अस्त्र उठाया है मजदूरों को तंग करने के लिये लाक-आउट करने का।

मैं यह भी निवेदन करूंगा कि हमारे प्रदेश में एम्पलायमेंट का वैकुअम नहीं बढ़ा। सन् १९५५ में अपना नाम रजिस्टर कराने वाले बेकारों की संख्या ३,२१,८३० थी, वह सन् १९५६ में बढ़ कर ३,३४,३२३ हो गयी और सन् १९५७ में ३,८३,६६५ हो गयी और सन् १९५८ में ४,१४,३७२ हो गयी। तो इस तरह आप देखें कि बेकारों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और दिसम्बर सन् १९५८ के जो आकड़े हैं उसमें लगभग १,८५,००० मजदूर ऐसे हैं जिनका उस समय भी रजिस्ट्रेशन में नाम दर्ज था और उन्हें काम नहीं प्राप्त हुआ था।

सामूहिक समझौते की जहां तक बात है उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि उसका दिन पर दिन ह्रास होता जा रहा है। आज मजदूरों की वह प्रबल शक्ति जिसके आधार पर वे अपनी मांगों को मिल मालिकों से मनवा सकते थे सरकार के बीच में आ जाने के कारण उस शक्ति का भी ह्रास होता जा रहा है।

(इस समय १ बजे श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री हरीशचन्द्र अष्ठाना पीठासीन हुये।)

मैं यह भी कहने के लिये तैयार हूं कि सरकार आज इसको छीनने के लिये तत्पर होती जा रही है। अभी रामपुर में बुलन्द और रजा मिल की शुगर फैक्टरियों में हड़ताल हुई थी। मैं इस सन्दर्भ में नहीं जाना चाहता था, लेकिन श्रम मंत्री जी ने संकेत किया इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब सरकार का यह रुख है कि जब कोई भी हड़ताल हो तो उसकी वजह से किसी भी आदमी को विक्टेमाइज न किया जाय। जब रजा और बुलन्द शुगर मिल्स रामपुर के करीब तीन लाख मजदूरों ने हड़ताल में हिस्सा लिया तो ४९ आदमियों को विक्टेमाइज किया जा रहा है उसके लिये मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जैसा कि मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया है कि हम इस बात का सदैव प्रयत्न करेंगे कि मजदूरों को विक्टेमाइज न किया जाय, तो मैं आशा करूंगा कि उनकी किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होनी चाहिये। मैं यह भी निवेदन करूं कि जिस तरह से हड़ताल हुई और अनशन की परिस्थिति उत्पन्न हुई तो सब लोगों की जिम्मेदारी है। जहां पर मालिक ने चेष्टा की और उसने मजदूरों की बात नहीं मानी। पहले एक समझौता हुआ था तो आप देखें कि इस यूनियन को किसी भी तरह से मजदूरों की मेजारिटी प्राप्त नहीं थी तो ऐसा समझौता जो किसी भी संस्था के द्वारा किया गया हो वह यदि लागू किया जायगा तो मैं कहूंगा कि मजदूरों में सामूहिक शक्ति होनी चाहिये तो इस तरह से वह छीनी जा रही है और इस ओर हमारी सरकार का ध्यान जाना चाहिये।

[श्री भगवतीसिंह विशारद]

श्रीमन्, यह घटना कोई नयी नहीं है। इसी तरह का प्रश्न मोदीनगर में भी उठ चुका है। अब मजदूरों के लिये चारा ही क्या रह गया है ? जब कि वह हड़ताल न करें, अनशन न करें तो फिर कैसे दबाव डाला जा सकता है उनका मामला न तो कंसीलियेशन बोर्ड में और न एडजूडिकेशन में भेजा जाता है। अगर रजा और ब्रुलन्द मिल्स का मामला वहाँ भेज दिया गया होता तो मामला तूल न पकड़ता और चर्चा करने की आवश्यकता न पड़ती। मजदूर लगातार अपने उत्तरदायित्व को बराबर निभा रहे हैं। इस बात का मंत्री जी ने भी जब कि उद्योग का अनुदान प्रस्तुत किया था, जिक्र किया था कि हमारे प्रदेश का उत्पादन बढ़ रहा है और वह मजदूरों की महनत और हिम्मत से बढ़ रहा है। जब मजदूरों की मेहनत और हिम्मत से उत्पादन बढ़ता है तो हमें उसी अनुपात से उसको मजदूरी और महंगाई भत्ता देना चाहिये। मुझे शिकायत है कि मजदूरों की मेहनत के बावजूद जो लाभ उन्हें प्राप्त होना चाहिये वह नहीं हो रहा है।

हमारे प्रदेश में १९५५-५६ में ६·७७ करोड़ नगर की आमदनी थी और उसके आधार पर हर व्यक्ति की ७४३ रुपये वार्षिक आमदनी थी। १९५६-५७ में ६·०४ करोड़ हुई और हर व्यक्ति की ६५६ रुपये वार्षिक हुई और १९५७-५८ में ६·१४ करोड़ हुई और उसके आधार पर हर व्यक्ति की आमदनी ६५९ रुपये हुई। इस तरह से आप देखें कि मजदूरों की आमदनी बराबर कम होती जा रही है। उसका मुख्य कारण यह है कि उपभोक्ता सूचनांक दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन मजदूरों की रियल वेजेज नहीं बढ़ रही हैं। मजदूरों का महंगाई भत्ता का बेसिस निम्बर कमेटी की रिपोर्ट माना गया है और ३३ प्रतिशत कम करके भत्ता दिया जाता है, लेकिन बम्बई में शत प्रतिशत दिया जाता है। इसी प्रश्न को लेकर मद्रास के मजदूरों ने मुकद्दमा दायर किया था और उनको अब ८० प्रतिशत मिलता है। इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि यहां के मजदूरों को शत प्रतिशत भत्ता मिलना चाहिये।

इसी सन्दर्भ में मैं यह निवेदन करूंगा कि जिस तरह से उद्योग के मजदूरों की यह स्थिति है उसी तरह से जो कर्मचारी वितरण के काम में लगे हुये हैं उनकी स्थिति भी बहुत ही नाजुक है। उनको बाजार कर्मचारियों के नाम से सम्बोधित किया जाता है। उनको ११ साल हो चुके हैं और उन पर कर्मचारी कानून लागू है। लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि इस कर्मचारी कानून से कर्मचारी को किसी तरह की राहत नहीं मिली है, बल्कि उनकी तकलीफें बढ़ गयी हैं। यह कर्मचारी कानून पहले २५ जगहों में लागू किया गया था। इसके लिये १५ इंस्पेक्टर्स जांच करने वाले थे। और उन्होंने २५ हजार ४ सौ७२ इंस्पेक्शन्स किये। १९५८ में ६८ इंस्पेक्टर्स थे। यह कर्मचारी कानून लगभग ७३ जगहों में लागू है। लेकिन उन्होंने ६१ हजार ७ सौ २० इंस्पेक्शन्स किये। तो इस विभाग की एफीशियेंसी कितनी बढ़ती जा रही है यह इससे पता चलता है। पहले एक इंस्पेक्टर एक दिन में पांच इंस्पेक्शन्स करता था और अब केवल तीन ही करता है। मैं समझ नहीं पाया कि क्या कर्मचारी कानून के मानने वाले ज्यादा हो गये हैं या जांच करने वालों में एफीशियेंसी कम हो गयी है। इसलिये सरकारी कर्मचारियों की व्यवस्था को सुधारने के लिये कर्मचारी कानून में परिवर्तन किया जाय और इसके साथ-साथ उनके औद्योगिक विवादों को तय करने के लिये जो कंसीलिएशन और ऐडजुडिकेशन होता है उसके बजाय त्रिदलीय समिति बनायी जाय, जिसमें बाजार कर्मचारियों के प्रतिनिधि, दूकानदारों के प्रतिनिधि और सरकारी प्रतिनिधि हों, क्योंकि जो मामले कंसीलिएशन में जाते हैं तो कंसीलिएशन आफिसर यह समझते हैं कि यह छोटे लोगों का मामला है इसमें ज्यादा इंटरफियर नहीं करना चाहिये। मैं यह भी कहता हूं कि सिर्फ एक ही दो मामले ऐसे होंगे जो आज तक ऐडजुडिकेशन में गये होंगे। यह दूकानदार सब साधारण दूकानदार नहीं होते। इनमें ऐसे दूकानदार भी हैं जो बड़े-बड़े मिल और कंसर्न्स चलाते हैं। मिल वाले मजदूरों को सुविधायें प्राप्त हैं, परन्तु इनके कर्मचारियों को प्राप्त नहीं है। इसलिये आवश्यकता यह है कि कानून में परिवर्तन किया जाय, त्रिदलीय समिति बनायी जाय

और प्राविडेंट फंड की योजना लागू करने की सिफारिश केंद्रीय सरकार के पास प्रांतीय सरकार को भेजना चाहिये।

मान्यवर, जिस तरह से उद्योगपतियों के यहां मजदूरों की स्थिति खराब है उससे ज्यादा क्यनीय स्थिति सरकारी प्रतिष्ठानों के काम करने वाले मजदूरों की है। सिंचाई विभाग में ८ वर्कशाप्स हैं। इनके मजदूरों को एक रुपया दस आने रोज मिलता है। उनको किसी तरह की छुट्टी नहीं दी जाती। यह मजदूर १५-१६ साल से काम कर रहे हैं डेली वेजेज पर काम कर रहे हैं और न वेतन में किसी तरह की बढ़ोत्तरी की जा रही है न इनको परमानेंट किया जा रहा है और न महंगाई का भत्ता दिया जा रहा है। आज कैसा में जो मजदूर हैं, उनके श्रमहितकारी केंद्रों पर पहले जितना पैसा खर्च होता था अब उससे कम खर्च करने की कोशिश की जा रही है। उनकी यह मांग है कि उनको भी आवासगृहों की सुविधा दी जाय। इस पर कहा जाता है कि यह केवल उद्योगों में लगे हुए मजदूरों को यह सुविधा प्रदान की जाती है। मैं निवेदन करूंगा कि कसा स्वयं इस लायक ह कि वह अपने मजदूरों को सुविधा प्रदान कर सके। अगर सरकारी प्रतिष्ठानों में सुविधायें प्रदान नहीं की जायंगी तो उसका उदाहरण मिल मालिक लेंगे। सरकार को खुद माडेल एम्प्लायर बनने की कोशिश करनी चाहिये ताकि दूसरे लोग उसकी नकल कर सकें और मजदूरों को अवसर मिल सके यह कहने का कि चूंकि सरकारी प्रतिष्ठानों में यह सुविधा है इसलिये हमको भी मिलनी चाहिये। उत्तर प्रदेश में दो जूट मिले हैं। कानपुर में दो जूट मिलें हैं। उनमें से एक की बन्द होने की चर्चा है और बन्द सी हो गई है।

मजदूरों ने कई बार हड़ताल की कम से कम, मिनिमम, वेजेज लागू किये जाने के लिये और ऐसा नहीं हो सकता तो मजदूरों का कहना है कि ऐडजुडिकेशन को उनका मामला भेज दिया जाय। ऐडजुडिकेशन को भेजने में सरकार को किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं करना चाहिये और उनके इस प्रश्न को ऐडजुडिकेशन में भेज देना चाहिये। यह मालिकों और कर्मचारियों का काम है कि वह अपने इस प्रश्न के औचित्य को सिद्ध करें।

औद्योगिक आवासों के संबंध में माननीय मंत्री जी ने कुछ बताया। आवास जो बन रहे हैं और जो बने हुये हैं उनका किराया बहुत ज्यादा है। दस रुपये से लेकर १३ रुपये तक का किराया मजदूरों से वसूल किया जाता है। स्वयं हमारे डिप्टी मिनिस्टर साहब जिस समय वह असेम्बली के मेम्बर थे और डिप्टी मिनिस्टर नहीं थे और मजदूरों के नेता की हैसियत से काम करते थे उन्होंने शिकायत की कि मजदूरों से १० रुपया ११ रुपया या १३ रुपया किराया लेना ज्यादा है। मैं प्रार्थना करूंगा कि चितरंजन का आवासों के बारे में अनुकरण किया जाय---वहां मजदूरों से किराया कम लिया जाता है---और जहां सम्भव हो सके वहां हायर-पर्चेज सिस्टम को चालू किया जाय। इससे वह मजदूर जो इस तरह की सुविधा उठा सकते हैं वह सुविधायें प्राप्त करेंगे। यह मकान उठते क्यों नहीं हैं, इसका कारण यह है कि इनका किराया ज्यादा है। मजदूर अच्छी जगह रहना चाहता है, लेकिन जो उसकी आमदनी है उसके अन्दर उसे रहना है। तो मैं चाहता हूं कि इसका किराया कम किया जाय।

सरकार का एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है। इस विभाग के कर्मचारियों की स्थिति अच्छी नहीं है। वहां आदमी पांच-छः साल से अस्थायी पदों पर काम करते हैं। अस्थायी हालत में आदमी का काम करने का जी नहीं लगता, क्योंकि उसे डर लगा रहता है कि पता नहीं कब निकाल दिया जावे। इसके साथ ही जब सरकार इस तरह अस्थायी लोगों को रखकर काम कराती है तो फिर मिल और फैक्टरी वालों से उन्हें स्थायी करने के लिये कैसे कहा जा सकता है। वह कोट करते हैं कि जब सरकारी प्रतिष्ठान में लोग इतने साल तक अस्थायी रूप से कार्य करते हैं तो फिर मिल और फैक्टरी में क्यों न करें। तो मैं चाहता हूं कि इन कर्मचारियों को स्थायी किया जाय। इसके साथ ही साथ इस विभाग के कर्मचारियों के लिये कोई सर्विस रूल्स नहीं बने हैं। सर्विस रूल्स न बने होने के कारण बहुत

[श्री भगवतीसिंह विशारद]

कुछ अधिकारियों की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार कर्मचारियों के साथ बर्ताव करें। इनके सर्विस रूल्स बनाये जायं।

शुगर फैक्टरियों के बारे में हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताया। इससे पहले भी उन्होंने इस सदन में आश्वासन दिये थे कि कुछ उनको इंटेरिम रिलीफ प्राप्त होगी। मैं कहूंगा कि यह रिलीफ इंटेरिम न करके स्थाई रूप से की जाय, क्योंकि जो सुविधायें प्राप्त हैं और जिस आधार पर यह सुविधायें दी जा रही हैं वे इंटेरिम नहीं हैं। इसे स्थायी होना चाहिये। बोनस का भी जिस तरह से उन्होंने जिक्र किया ठीक है, लेकिन मैं उनस अनुरोध करूंगा कि बिहार प्रदेश क मजदूरों की हालत हमारे यहां क मजदूरों से अच्छी है। मैं यह निःसंकोच कह सकता हूं कि वहां मजदूरों को जो बोनस पिछले १० सालों में मिला है वह हमारे यहां के मजदूरों को जो उपलब्ध हुआ है इससे कहीं अधिक मिला है। तो मैं चाहूंगा कि यहां के मजदूरों की स्थिति बिहार के मजदूरों से अच्छी रहनी चाहिये। इस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी का आश्वासन होना चाहिये।

कानपुर ही इस प्रदेश का एक ऐसा औद्योगिक नगर है जहां काफी मिल, कारखाने हैं और फैक्टरी हैं। अगर वहां की स्थिति बिगड़ी है तो मैं समझता हूं कि हम जो औद्योगीकरण की बात कर रहे हैं वह ज्यादा सफल नहीं हो सकती। वहां के मजदूरों की हालत दयनीय हो रही है। रैशनलाइजेशन की योजना सरकार नहीं चाहती, लेकिन फिर भी लागू हो रही है। अब उसको, मैं तो यही कहूंगा कि सरकार का अप्रत्यक्ष इस बात में हाथ है कि रैशनलाइजेशन की योजना किसी न किसी तरह से लागू हो और उसी का परिणाम है कि यह योजना धीरे-धीरे हर कारखाने में लागू हो रही है और मजदूरों को बिन्ध्यवासनी रिपोर्ट के आधार पर जो वेतन उपलब्ध होना चाहिये वह नहीं प्राप्त हो रहा है। अभी इसी सदन के एक माननीय सदस्य कानपुर के श्री उमाशंकर जी के प्रश्नोत्तर में यह बताया गया था कि मिलों में किस तरह से अभिनवीकरण की योजना लागू हो रही है और उसके आधार पर मजदूरों को जो विन्ध्य-वासनी रिपोर्ट के आधार पर वेतन मिलना चाहिये वह क्यों नहीं दिया जा रहा है। मैं यह निवेदन करूंगा कि किसी चीज को आधार बना कर क कि केन्द्रीय सरकार कोई वेज बोर्ड बनाना चाहती है और उसका जो इस संबंध में फैसला होगा उसके आधार पर वेतन मिलेगा, इस तरह से जो मिल मालिक शोषण कर रहे हैं उसमें सरकार का भी समर्थन प्राप्त हो जाता है। मैं यह अनुरोध करूंगा कि जहां पर जिस स्टेज में रैशन-लाइजेशन की योजना आगे बढ़ रही है उसी तरह से, मजदूरों को उसका एवज प्राप्त होना चाहिये और उनके वेतन में उसी तरह से बढ़ोत्तरी होनी चाहिये। हमारे प्रदेश में केन्द्रीय सरकार की ओर से और प्रांतीय सरकार की सिफारिश से. . . . । मैं माध्यवर, आपसे निवेदन करूं कि इसी समय मुझे जो कुछ कहना है वह कह लूंगा और बाद में जो उत्तर देने का समय मिलता है उसमें मैं बहुत कम समय लूंगा।

श्री अधिष्ठाता--आप कितना समय और चाहते हैं ?

श्री भगवतीसिंह विशारद--यही दस-पांच मिनट और लूंगा।

श्री अधिष्ठाता--ठीक है आप सात मिनट और बोल लीजिये।

श्री भगवतीसिंह विशारद--प्राविडेंट फंड की योजना लागू की गई है। मैं निवेदन करूंगा कि प्राविडेंट फंड की योजना को और व्यापक रूप से लागू करना चाहिये। अभी यह नियम बनाया गया है कि केवल ५० आदमी तक जहां पर काम कर रहे हैं उन फैक्टरियों में और कुछ खास-खास जिलों में उसको लागू किया जायगा। मेरा अनुरोध है कि इसको और व्यापक बनाया जाना चाहिये, क्योंकि इस योजना को अगर हम व्यापक नहीं बनायेंगे तो जो ऐसे व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं जहां पर कि इसको लागू करने से कर्मचारियों की स्थिति सुधरेगी,

वहां के कर्मचारी इस लाभ से वंचित रह जायेंगे और उनकी नौकरियों में भी स्थायित्व नहीं आयेगा। अगर हम प्राविडेंट फंड की योजना को लागू करें तो उनकी नौकरियों में कुछ न कुछ स्थायित्व आ जायगा। बाजार कर्मचारियों के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो स्वदेशी काटन मिल है या दूसरी मिल हैं उनके चलाने वाले जो डाइरेक्टर हैं उन्हीं के मैनेजिंग एजेंट्स के कर्मचारियों के लिये यह व्यवस्था नहीं है, क्योंकि यह कहा जाता है कि वह इस लायक नहीं हैं कि वह इस बोझ को वहन कर सकें। उन्हीं मैनेजिंग एजेंट्स द्वारा संचालित मिल के कर्मचारियों पर यह योजना लागू की जाय, लेकिन मैनेजिंग एजेंट्स के कर्मचारियों पर यह योजना लागू न की जाय, मैं इससे सहमत नहीं हूं। मेरा अनुरोध है कि इसको उनके लिये भी लागू किया जाना चाहिये जिससे ऐसी जगहों पर जहां बाजार कर्मचारी हैं या छोटे-छोटे कर्मचारी हैं काम करते हैं उनको भी इसका फायदा मिल सके।

श्रम कल्याण केंद्रों के संबंध में मेरा यह अनुरोध है कि जहां पर दवाखाने वगैरह हैं वहां मजदूरों को उससे लाभ नहीं हो रहा है खास तौर से उन जगहों पर जहां पर महिलायें रोगिणी के रूप में जाती हैं, क्योंकि इन श्रम कल्याण केंद्रों में जो दवाखाने हैं उनमें बहुत जगहों पर लेडी डाक्टर्स नहीं है। लेडी डाक्टर्स की वहां नितान्त आवश्यकता है और इस संबंध में मैं अनुरोध करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा डाक्टर ऐसे अस्पतालों में रखे जायं।

ऐडजूडिकेशन और कंसीलियेशन के जो प्रश्न हैं वह जहां पर चल रहे हैं उनसे मजदूरों को लाभ नहीं हो पाता, क्योंकि कंसिलियेशन में जब मामला जाता है तो मिल मालिक या उद्योगपति यह समझ लेता है कि हम चाहे वहां जायं चाहे न जायं वह हमारा कुछ बना बिगाड़ नहीं सकते। इससे उसका परिणाम जो होना चाहिये वह नहीं हो पाता है। मैं अनुरोध करूंगा कि कंसीलियेशन आफिसर्स के कुछ इस तरह के पावर्स बढ़ने चाहिये जिनके आधार पर वह पार्टीज को कम्पल्सरी रूप से बुला सकें। ऐडजूडिकेशन में जो मामले जाते हैं उनकी संख्या कम है। आवश्यकता इस बात की है कि इनकी संख्या और ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जाय और सभी मामले ऐडजुडिकेशन में जो कंसीलियेशन स्टेज से पार हो जाते हैं, भेज दिये जायं। ऐडजुडिकेशन में जो मामला जाता है और उसके बाद इंडस्ट्रियल ट्रिब्युनल से अवार्ड हो जाता है तो उसको भी बहुत से लोग नहीं मानते हैं। जो आपस में सेटिलमेंट हो जाता है उसको भी कुछ लोग नहीं मान रहे हैं। इलाहाबाद और बनारस में मार्टिन बर्न कम्पनी, एक इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल अवार्ड है, उसको अभी तक नहीं मान रही है। इस बात की आवश्यकता है कि जो फैसले हों उन फैसलों को सही रूप में कार्यान्वित करना चाहिये अगर फैसले को कार्यान्वित नहीं किया गया तो सम्भव है कि उद्योगपति या दूसरा पक्ष जिसके पक्ष में यह फैसले हुये हैं उनसे हट जायें। इस तरह के जो फैसले होते हैं उनकी वह अवहेलना करते रहें और फिर मजदूरों को क्षति पहुंचे।

मान्यवर, आज से दो तीन दिन पहले यहां पर पूर्ण रूप से अखबारों ने हड़ताल की थी और हम सभी लोग समाचार पत्रों के अवगत होने से वंचित रह गये। इसका मुख्य कारण यह था कि इलाहाबाद के अमृत बाजार पत्रिका के बन्द होने से यह परिस्थिति सामने आई। पहले भी इस सदन में इसकी चर्चा हो चुकी है। मैं आपके द्वारा माननीय श्रम मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि श्रमजीवी पत्रकारों का प्रश्न बड़े महत्व का है और इस पर बड़ी गहराई के साथ विचार होना चाहिये और उनके प्रश्न को सुलझाने के लिये श्रम मंत्री जी को खासतौर से जागरुक रहना चाहिये। अब इलाहाबाद में जो यह अमृत बाजार पत्रिका बन्द हुई तो उसके मामले में माननीय मुख्य मंत्री जी पंच के रूप में बीच में पड़े। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि क्या यह टेक्नीक इस बात की नहीं है कि अमृत बाजार पत्रिका के जो संचालक हैं वह वेज बोर्ड से आने वाले उत्तरदायित्वों से अलग होने के लिये यह सब कर रहे हैं। मैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि प्रदेश के तमाम पत्रों के संचालक आज इस बात की प्रतीक्षा में है कि अमृत बाजार पत्रिका का मामला किस तरह से निपटता है। अगर इस मामले में जरा भी ढील दी गई

[श्री भगवतीसिंह विशारद]

और इस मामले में थोड़ा कड़ाई के साथ काम नहीं लिया गया तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह तमाम समाचर पत्रों के संचालक अपने-अपने अखबारों में वेज बोर्ड से आने वाले उत्तरदायित्वों से मुक्त होने के लिये यह सब कार्यवाही करेंगे। अभी तक ऐसी ही कार्यवाही हुई है जिसके संबंध में सरकार कार्यवाही कर सकती थी, लेकिन मुझे दुःख है कि इस सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। एक प्रेस, जिसने डिक्लेरेशन किसी अखबार के लिये नहीं दिया था उस प्रेस की तरफ से बिना किसी डिक्लेरेशन के दाखिल हुये अखबार निकाला गया। यह गैर कानूनी था। इस तरह से अखबार निकालने पर सख्त कार्यवाही हो सकती है, लेकिन मुझे दुःख है कि सरकार ने इस तरह की कोई कार्यवाही नहीं की। इसी तरह से इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल की धारा १० के अनुसार इस मामले को आगे भेजा जा सकता था, लेकिन इस मामले को आगे नहीं भेजा गया। यह सब ऐसी बातें हैं जिसके संबंध में अगर इस समय कड़ाई के साथ काम नहीं लिया गया और इस प्रश्न को अगर महत्व नहीं दिया गया तो मैं कहूंगा कि इस प्रदेश के जितने श्रमजीवी पत्रकार हैं उनकी स्थिति बहुत खराब हो जायगी, क्योंकि पत्रों के संचालक आज इस प्रतीक्षा में हैं कि अमृत बाजार पत्रिका का मामला इस तरह से निपटा तो उनमें एक होड़ लग जायगी और तमाम अखबारों में इस तरह का झंझट पैदा होगा। इसलिये मेरा अनुरोध है कि सरकार इस मामले में सख्त कार्यवाही करे; यहां पर किसी श्रमिक नीति का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि उससे मजदूरों को कितना लाभ पहुंच रहा है। हमारे प्रदेश की श्रमनीति से मजदूरों का लाभ नहीं हुआ है बल्कि नुकसान हुआ है। वह पूंजीपतियों के पक्ष में ज्यादा रही है और मजदूरों के पक्ष में कम रही है। इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं और मुझे विश्वास है कि यह सदन इसका स्वागत करेगा।

श्री अधिष्ठाता—इससे पहले कि मैं किसी सदस्य को बोलने के लिये बुलाऊं मैं जिन लोगों के कटौती के प्रस्ताव हैं उनको पहले बुलाता हूं। जो माननीय सदस्य उपस्थित होंगे उनके कटौती के प्रस्ताव उपस्थित किये गये मान लिये जायेंगे।

[श्री माता प्रसाद सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—नीति का व्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है।

भूमिहीन एवं खेतिहर मजदूरों की दुर्व्यवस्था की ओर ध्यान आकर्षित करना।

श्री नारायणदास पासी सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है।

सूती तथा अन्य कारखानों के गरीब मजदूरों की हीन दशा और पूंजीपतियों की श्रमिकों के प्रति उपेक्षा पर प्रकाश डालना।]

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)—मान्यवर, हमारे प्रदेश में दो तरह के मजदूर हैं एक तो नगरों में रहने वाले और दूसरे देहातों में रहने वाले खेतिहर मजदूर। सरकार का ध्यान ज्यादातर शहरों में रहने वाले मजदूरों की ओर ही रहता है। यद्यपि उनकी हालत

[ ] ये कटौती के प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत नहीं किये गये किन्तु श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार सदन में प्रस्तुत किये गये मान लिये गये।

भी उतनी अच्छी नहीं है लेकिन खेतिहर मजदूरों की हालत आज बहुत ही दयनीय है। यही कारण है कि इनमें बड़ी संख्या में वे लोग नगरों में जाते हैं और वहां भी वे एक समस्या बन जाते हैं। हमारे प्रदेश में ३६,१२,२०९ मजदूर या उनके परिवार देहातों में रहते हैं। देहातों में वे एक विचित्र प्रकार से मजदूरी पर रहते हैं। जौनपुर इत्यादि पूर्वी जिलों में वे विशेष प्रकार से रखे जाते हैं। ज्यादातर १०,२० या ५० रुपये कोई बड़ा आदमी कर्ज देता है और उसके व्याज में वे बड़े आदमी की हलवाही करते हैं जिसकी मजदूरी उसे दोपहर तक तीन पाव और दिन भर शाम तक, बल्कि दो, तीन घंटे रात गये तक वे काम करते हैं और ५ पाव मजदूरी मिलती है। बड़ी तौल जो कि पहले ९६ रुपये की थी उससे यह मजदूरी पहले मिलती थी मगर अब ८० रुपये की तौल होने से उसी हिसाब से मिलने लगी है और इस प्रकार वह मजदूरी भी कम हो गई है। मजदूरी में भी उन्हें सांवा या कोदो या और निकृष्ट अन्न दिया जाता है जिसे मनुष्य नहीं खा सकता।

खेतिहर मजदूरों के लिये भी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू होने के बारे में एक बार प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने कहा था कि ऐसी कोई शिकायत उनके पास नहीं आई है कि इतनी कम मजदूरी उनको दी जाती है। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वे चाहें जिस गांव में चले जावें या कोई कमेटी अथवा कमीशन नियुक्त कर दें जो जांच करे कि इन मजदूरों की क्या हालत है। कुछ जिलों में श्रम इंसपेक्टर भी नियुक्त हैं मगर वे भी खेतिहर मजदूरों की ओर ध्यान नहीं देते जिससे उनकी हालत वे सरकार से बता सकें। इसका मूल कारण यही है कि शहरों में मजदूर संगठित होते हैं और अपनी मांगों को सरकार से मंगवा लेते हैं। लेकिन देहातों में रहने वाले मजदूर ज्यादातर अशिक्षित और गरीब होते हैं, इसलिये सरकार का ध्यान भी उधर नहीं जाता है। तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जब तक इन मजदूरों की हालत नहीं सुधरती है जिन पर खेती की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तब तक हमारे समाज का एक बहुत बड़ा अंग इसी तरह से पड़ा रहेगा। मैं चाहता हूं कि जैसे शहरों में रहने वाले मजदूरों के लिये हिस्सा या प्राविडेंट फंड की सुविधायें दी जाती हैं, उसी तरह से देहातों में रहने वाले मजदूरों के लिये भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि उनका पैदावार में कुछ हिस्सा हो। देहात के मजदूर ज्यादातर ऐसे लोगों की मजदूरी करते हैं जो स्वयं खेती नहीं करते हैं, नौकरी करते हैं या दूसरी जगहों पर रहते हैं। मजदूर अच्छी तरह से काम भी नहीं करते हैं और कुछ इधर उधर हल चला देते हैं। अगर उनका हिस्सा पैदावार में रहेगा तो वे परिश्रम के साथ काफी पैदावार करेंगे।

देहातों में रहने वाले मजदूरों की बहुत बड़ी संख्या हरिजन हैं। हरिजनों के लिये मैं अनुरोध करूंगा कि एम्पलायमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन के लिये उन्हें विशेष सुविधा देनी चाहिये क्योंकि उसमें बहुत अड़चनें पड़ती हैं। बहुत से जिलों में, खासतौर से पूरब के, जहां एम्पलायमेंट के आफिस नहीं हैं वहां सरकारी अधिकारी जावें और हरिजनों का रजिस्ट्रेशन करें ताकि उन्हें बड़े-बड़े शहरों में, जैसे इलाहाबाद, वाराणसी हैं, इनमें न जाना पड़े। महीने में कुछ दिन इसके लिये निश्चित कर दें। जैसा कि उधर के माननीय सदस्य ने बताया, करीब ४५ लाख से ऊपर इस समय बेकार हैं, इसमें सन् १९५८ में हरिजनों की संख्या २२,२३२ थी और सन् १९५७ में १७,८३३ थी। कभी कभी हमसे कहा जाता है कि योग्य हरिजन नहीं मिलते और उनके प्रार्थनापत्र नहीं आते हैं। लेकिन एम्पलायमेंट एक्सचेंज में इतनी बड़ी संख्या है और उनको जगह नहीं दी जाती है। मैं यह चाहूंगा कि खेतिहर मजदूरों की समस्या हल करने के लिये, उनके ऋण की समस्या हल करने के लिये सरकार कुछ अवश्य करे। अगर एक बार खेतिहर मजदूर महाजनों के या ऐसे और लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं तो वे कभी भी निकल नहीं पाते हैं। इसलिये सरकार ऐसी कोई व्यवस्था करे जिससे इस बोझ से वे गरीब मजदूर निकल सकें।

[श्री माताप्रसाद]

जौनपुर और दूसरे पूर्वी जिलों के लोग कानपुर, कलकत्ता और बम्बई इत्यादि नगरों में मजदूरी के लिये जाते हैं। वहां भी उन्हें मजदूरी नहीं मिलती है और देहातों में भी नहीं मिलती है। उनके सामने एक समस्या उपस्थित हो जाती है। मैं विकास के कार्यों का विरोधी नहीं हूं लेकिन जहां नहरें या ट्यूबवेल बन रहे हैं या यंत्रों से खेती करने का प्रयत्न किया जा रहा है वहां पर इन खेतिहर मजदूरों की हालत और भी बदतर होती जा रही है। इसलिये सरकार को चाहिये कि नौकरी सबसे पहले इन खेतिहर भूमिहीन मजदूरों को दे यह बड़ी विचित्र बात है कि जिनके यहां ज्यादा खेती होती है या दूसरा रोजगार करते रहते हैं उनकी ज्यादा पहुंच होती है और वे नौकरी पा जाते हैं। ऐसे लोगों के लिये जिनके खाने का कोई ठिकाना नहीं है या किसी दूसरे उद्योग या रोजी का साधन नहीं है, सरकार को चाहिये कि सबसे पहले उन्हें नौकरी पर लगावें, और उसके बाद उनको लगावें जिनके पास खाने के अन्य साधन हैं।

श्री ब्रजभूषणशरण (जिला देहरादून)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, कटौती का मुख्य प्रस्ताव पेश करने वाले जो प्रस्तावक महोदय हैं वे आज इस सदन में मौजूद नहीं हैं। तो जो कुछ उन्होंने कहा था उसका जवाब भी इधर से या किसी मिनिस्टर की तरफ से दिया जायगा और वे हैं नहीं, तो फिर इस पर आप की क्या व्यवस्था है?

श्री अधिष्ठाता--उनकी पार्टी के सदस्य मौजूद हैं। संविधान के अन्दर यह आवश्यक नहीं है कि उनको यहां अवश्य रहना ही चाहिये।

***श्री हरीसिंह** (जिला मेरठ)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने श्रम मंत्री जी को इस अनुदान के पेश करके लिये धन्यवाद देता हूं। इसका कारण यह है कि आज मजदूर वर्ग को सब से बड़ी खुशी और विश्वास यह है कि हमारे मजदूरों का शुभचिन्तक एक नौजवान डिप्टी मिनिस्टर मौजूद है जो हमारी आवाज को बुलन्द करने वाला है और जो मजदूरों की मुसीबतों से अच्छी तरह से परिचित है। उसको इस बात का ज्ञान भी है कि मजदूरों को क्या-क्या तकलीफें और मुसीबतें होती हैं। यही नहीं, इन दो-चार वर्षों के अवकाश में साथ रह कर भी मैंने उनको अच्छी तरह से नजदीक से देखा है और मैं परिचित हूं कि उनके हृदय में मजदूरों के प्रति एक आग है और वे कुछ करना चाहते हैं। जहां तक उनसे बन पड़ा है इन दो-चार वर्षों के काल में उन्होंने मजदूरों के लिये काफी प्रयत्न किया है और उससे मजदूरों को कुछ सफलता मिली है। जैसे कि मिल मजदूर ही हैं, वैसे तो मिल मजदूरों में उन लखपतियों को भी गिनती है जो लखपति घराने के होने पर भी मिलों में नौकरी करते हैं, लेकिन उनके साथ-साथ उन मजदूरों को वे सुविधायें उनके द्वारा प्रदान की गई हैं जिनका हमें कभी स्वप्न में भी ध्यान नहीं था। जब मैं उनके साथ मजदूरों की एक कालोनी में गया और उनके क्वार्टरों को देखा तो उनको देख कर मुझे बड़ा ही अचम्भा हुआ। हमने कभी स्वप्न में यह सोचा भी नहीं था कि मजदूरों को इस तरह की सुविधायें भी दी जा सकेंगी, क्योंकि उस वक्त का नज्जारा दूसरा था। लेकिन आज की हालत को जब मैं देखता हूं कि हमारे नेताओं के विचारों द्वारा उनकी उन्नति के लिये सफल प्रयत्न किया गया है उसको देख कर मुझे अत्यन्त प्रसन्नता है। मैंने उन क्वार्टरों को देख कर उनसे प्रश्न भी पूछा कि क्या ये क्वार्टर्स उन मजदूरों के लिये हैं जो मिलों में काम करते हैं या जो बड़े-बड़े आफिसर या इंजीनियर लोग हैं, उनके लिये हैं? मुझे अपने पूज्य मुख्य मंत्री और अपने माननीय उपमंत्री द्वारा यह मालूम हुआ कि ये क्वार्टर्स उन मजदूरों के लिये ही हैं जो कि कल-कारखाने में काम करते हैं। यह जानकर मुझे सन्तोष हुआ कि मजदूरों को किराये के रूप में कुछ भत्ता भी दिया जाता है। इस बात को सोच कर मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस तरह से मजदूरों का कल्याण होगा और कल्याण हो भी चुका।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकिन जिस वक्त मैं शहरों में गया तो वहां की हालत देख कर मैं सोचने लगा कि शहरों के मजदूरों की हालत तो अच्छी है और उनके स्टैंडर्ड को उठाया गया है। जो वाल्मीकि मैले का कार्य करते हैं उनके लिये भी हमारी सरकार के द्वारा प्रबन्ध हुआ और म्युनिसिपैलिटियों में उनके लिये क्वार्टर्स मौजूद हैं, उनकी शिक्षा का भी पूरा प्रबन्ध है, उनके लिये कई और अनुदान भी मौजूद हैं और फिर भी सरकार उनकी सहायता के लिए हरदम तत्पर रहती है। परन्तु जब देहात के मजदूरों की हालत को हमने देखा तो मालूम हुआ कि उनकी तरफ सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। ऐसे सरकार का ध्यान उधर कुछ गया तो है लेकिन उतना नहीं गया है जितना कि जाना चाहिये था। और यहीं तक नहीं, आज वहां का दारोमदार किसानों की खेती पर निर्भर था क्योंकि वहां कोई उद्योग-धंधा आज तक खुला तो था नहीं जहां वे मजदूर लगे रहते। अधिष्ठाता महोदय, आप के द्वारा मैं माननीय मंत्री जी से यह दरख्वास्त करता हूं और उनको बतला देना चाहता हूं कि यदि वे हमारे साथ देहात का भ्रमण करें तो शायद हम यहां भाषण देने के बजाय जो शहरों के मजदूरों के बारे में दिये गये, उनकी दिक्कत हम उनको दिखलाने की कोशिश करते हमारे जो मंत्री जी हैं वे तो इलाहाबाद में रहते हैं। मुसीबत यह है कि देहात के मजदूरों से वे उतने परिचित नहीं हैं जितने हम लोग हैं। मैं यह नहीं कहता कि उन्हें ज्ञान नहीं है। ज्ञान उन्हें खेतिहर मजदूरों का भी है और शहरी मजदूरों का तो है ही। लेकिन जहां तक खेतिहर मजदूरों का प्रश्न है उनके लिये जितना होना चाहिये उतना हमारी सरकार की तरफ से प्रबन्ध नहीं किया गया। न रोजगार का, न शिक्षा का, न दवादारू का कोई प्रबन्ध है और न मजदूरी की कोई सीमा निर्धारित है। पिछले वर्ष जब बजट पर हम बोल रहे थे तो हमने कहा कि सरकार ने शहर के मजदूरों की मजदूरी निश्चित कर दी है, लेकिन गांवों के मजदूरों की नहीं निश्चित की। मालूम हुआ कि १ रु० रोज एक मजदूर की मजदूरी सरकार ने निश्चित की है। बड़ी तारीफ़ की। अब अगर हिसाब लगाया जाय तो एक मजदूर के ४, ५ बच्चे होते हैं और मियां, बीबी खुद। अनाज कितना आता है १ रु० का डेढ़ सेर जब कि ३, ४ सेर रोज का खर्च है। उनके तन पर कपड़ा भी नहीं है। यह सरकार के द्वारा मजदूरी निश्चित की गई थी।

डाक्टर जयगोपाल साहब महलों में रहने वाले, लेकिन लीडर बनते हैं मजदूरों के। कुछ लीडर ऐसे हैं जिनका काम ही केवल हड़ताल करा देना है। खेतिहर मजदूरों की तरफ़ किसी मजदूर लीडर का ध्यान नहीं गया। करते क्या हैं कि किसान और मजदूर को लड़ाते रहते हैं कि इन किसानों से लड़ते रहो और जमीन बांटते रहो। समझ में नहीं आता कि यह जमीन कहां तक बटती रहेगी। कोई रबड़ तो है नहीं कि खींच कर सब में बांट दोगे। क्यों नहीं आप गांवों में उद्योग स्थापित करते हैं? आप सहकारिता के द्वारा खेती करायें मैं उसका समर्थन करता हूं। लेकिन कितनी जमीन आप उन लोगों को दे देंगे? जो शेष बचते हैं उन्हें तो छोटे-छोटे उद्योग करायें। आप सहकारी फार्म तुरन्त कायम कीजिये चाहे जैसे भी हो ताकि मजदूरों की कुछ समस्या हल हो।

अब जहां तक मजदूरी का प्रश्न है पूरब में बहुत कम, पश्चिम में दुगनी, तिगुनी के हिसाब से। लेकिन मालूम हुआ कि पूरब और पश्चिम की मजदूरी एक है। पश्चिम वाले गेहूं खाते हैं, मेहनत करते हैं। उधर कितने लोग मेहनत करते हैं। तो वहां की मजदूरी आज भी २, ३ रुपये से कम नहीं है। हमारे यहां के किसान मौजूद हैं माननीय वीरेन्द्र वर्मा जी, क्या २ रुपये से कम देते हैं? लेकिन उधर नहीं। सरकार ने सब जगह की मजदूरी एक कर दी तो मैं आप के द्वारा अपने उप-मंत्री जी से कहूंगा कि आपने शहरों के मजदूरों के लिये बहुत किया और कर रहे हैं। अब आप का ध्यान खेतिहर मजदूरों की तरफ होना चाहिए। यदि आपने खेतिहर मजदूर की समस्या हल कर दी तो हमें दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि हमारे जो प्रतिनिधि थे उन्होंने खेतिहर मजदूरों के लिये कुछ किया, और हमारी सरकार ने ग्रामों में जहां मजदूरों की संख्या अधिक है कुछ उनके लिये किया। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से ग्रामों में कोई

[श्री हरीसिंह]

काम नहीं हुआ है। देहातों में श्रमिकों के लिये मकानों की व्यवस्था नहीं है क्योंकि सरकार ने उसके ऊपर आज ११ वर्ष के बाद भी ध्यान नहीं दिया है। मैं फिर यह निवेदन करूंगा आप के द्वारा कि आप मजदूर हैं, आप उनकी पीड़ा को जानते हैं, उनकी ओर ध्यान दीजिये।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय भगवती सिंह द्वारा जो प्रस्ताव कटौती का पेश किया गया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, सब से पहली बात मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि सरकार की श्रम नीति जहां तक मैं समझ पाया हूं, वह ठीक नहीं चल रही है। श्रम का और उद्योग का बहुत गहरा संबंध है, और न तो श्रम नीति ठीक है न उद्योग की नीति सही है। हम देखते हैं मान्यवर, सरकार की निगाह जो है वह पब्लिक सेक्टर की तरफ न होकर प्राइवेट सेक्टर की तरफ चली जा रही है क्योंकि दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमारे सूबे में पब्लिक सेक्टर के ऊपर २३ करोड़ रुपया खर्च करने को कहा गया था, लेकिन उसमें से साढ़े ग्यारह करोड़ रुपया बड़े-बड़े पूंजीपतियों को हमारी सरकार ने दे दिया है। आज भी सरकार का जितना ध्यान उधर जाना चाहिए, उतना नहीं गया है। सिर्फ एक सीमेंट फैक्टरी मिर्जापुर में और एक इंस्ट्रूमेंट्स फैक्टरी लखनऊ में है।

मान्यवर, आज हमारे सूबे में मजदूरों की जो हालत है उससे आप परिचित हैं। अभी एक प्रश्न के उत्तर में माननीय बहुगुणा जी ने बताया कि करीब ६/७ हजार मजदूर बेकार हैं, मिल बन्द हो गया। इसमें मैंने एक ही कारण समझा है कि सरकार की जो नीति है वह मजदूरों के प्रति उपेक्षापूर्ण नीति है। क्योंकि मिल मालिक कारखाना बन्द कर देते हैं तो सरकार की हिम्मत नहीं पड़ती कि उसे सरकार ले ले और मजदूरों की कोआपरेटिव बनाकर चलावे। अगर सरकार ऐसा करती तो मिल-मालिक हिम्मत न करते कि कारखाना बन्द कर देते और मजदूर बेकार हो जांय। उसी का नतीजा है कि आज कानपुर के अन्दर दो मिल बन्द हैं, और भी बहुत सी मिलें बन्द हैं।

माननीय मंत्री जी ने इशारा किया कि जूट मिल बन्द होने वाली हैं। जूट मिल २४ मार्च को बन्द होने जा रही है। अगर आपने इंतजाम नहीं किया तो १,३००/१,४०० मजदूर बेकार हो जायेंगे।

एक सदस्य--क्या इन्तजाम करें बता दें।

श्री ऊदल--जूट मिल एसोसियेशन इसे बेचने जा रही है किसी कलकत्ता की कम्पनी को। इसलिये सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि १,३०० मजदूर खतरे में पड़ने वाले हैं। इसलिये सरकार अभी से जूट मिल एसोसियेशन को कड़ाई के साथ लिखे कि इसको जो बेचने वाले हैं उसे रोके। नहीं तो, १,३००/१,४०० मजदूर बेकार हो जाएंगे। मान्यवर, इस महेश्वरी जूट मिल में करीब ५--६ हजार मजदूर काम करते हैं। मेरी समझ से इतनी तादाद में मजदूर बेकार नहीं होने चाहिये।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान भदोही के जो कालीन मजदूर ६५ हजार की संख्या में हैं उनकी तरफ भी दिलाना चाहता हूं। एक साल पहले उनकी हड़ताल चली थी और उसके बाद सरकार की तरफ से एक समिति बनाई गई थी लेकिन आज तक जब एक भी बैठक नहीं हुई है, उनकी छोटी-मोटी मांगों की तरफ भी ध्यान नहीं दिया जाता है। वहां के मजदूर आज भी ६ आना और दस आना मजदूरी पाते हैं और दिन भर काम करते हैं। उनकी हालत इस मंहगाई के जमाने में आप समझ सकते हैं कि क्या होगी।

काटन मिल बनारस के बारे में भी मैं अर्ज करूंगा। माननीय मंत्री जी ने उसके विषय में कहा था कि वह अब तेजी से चल रही है, लेकिन उसका केवल एक अंग ही चल रहा है और बाकी मिल बेकार बन्द पड़ी है। वहां के मिल मालिक मजदूरों के हित के लिये जो फैक्ट री ऐक्ट है उसको लागू नहीं करते हैं, वहां पर काम भी अधिक ले रहे हैं और ज्यादती कर रहे हैं। अतः उसकी चेक-रेज सरकार करे।

शुगर मिल के बारे में भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिक्र किया। हम चाहते हैं कि सरकार इन मिलों के मजदूरों का वेतन बढ़ाये, उनका वेतन बहुत कम है। मंत्री जी ने बताया कि ५५ रुपया वेतन मिलता है। मैं मांग करता हूं कि चीनी मिल के मालिकों ने बहुत रुपया कमाया है, वह पहले १ रुपया १२ आना मन गन्ना लेते थे तो चीनी २८ रुपया मन बेचते थे और जब अब भाव गन्ने का १ रुपया ५ आना मन है तो चीनी ३७ रुपया और ४० रुपया मन बिक रही है इसलिये मिल मालिकों ने खूब पैसा कमाया है। इसलिये सरकार ५५ रुपया की जगह १०० रुपया मजदूरों का वेतन करावे, जब सरकार मानती है कि किसी की आय १०० रुपया माह से कम नहीं होना चाहिये और वह स्वयं रोडवेज में कनडक्टर्स को १०० रुपया देती है तो कम से कम १०० रुपया तो चीनी मिल मजदूरों को भी दिया जाय।

एक बात मैं और कहूंगा कि चीनी मिल में जो वहां की नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस है उसका सरकार पक्षपात करती है। माननीय मंत्री जी ने बताया कि उसका निर्वाचन सन् १९५० में हुआ था और उसमें नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस हार चुकी थी और मजदूरों ने उस वक्त चीनी मजदूर मिल फेडरेशन के हक में बहुमत दिया था, मंत्री जी ने कहा कि उस वक्त हड़ताल चल रही थी इसलिये मजदूरों का दिमाग खराब था इसीलिये वोट उन्होंने उधर दे दिया। मेरा कहना है कि जब मजदूरों ने फेडरेशन के हक में फैसला दिया तो उसको मान्यता क्यों नहीं दी जाती और क्यों ट्रेड यूनियन कांग्रेस का पक्ष किया जाता है? अगर आप सन् १९५० के निर्णय को नहीं मानते तो फिर से चुनाव करा लें और देखें कि किस तरफ मजदूरों का बहुमत है। जिसकी तरफ बहुमत है उसी संस्था को मान्यता मिलनी चाहिये और उसी के सुझाव माने जाने चाहिये।

इसके साथ-साथ एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि पंच-निर्णय के सम्बन्ध में बहुत से मजदूर बेचारे सरकार के पास प्रार्थना करते हैं कि सरकार हमारे मामले पंच-निर्णय के लिये भेजे, लेकिन सरकार कुछ नहीं करती और उनकी मांग को ठुकरा देती है। मैं चाहता हूं कि फैक्टरी ऐक्ट में ऐसा संशोधन किया जाय कि जिससे मजदूरों की पंच-निर्णय की मांग स्वीकार हो सके यानी मजदूरों का जो कानून बना रखा है उसमें तरमीम होना चाहिये। मैं यही समझता हूं।

मान्यवर, एक बात मुझे और कहनी है। जैसा कि हमारे माननीय माता प्रसाद जी ने कहा कि इस सरकार की नीति ठीक नहीं है, क्योंकि इसका ध्यान खेतिहर मजदूरों की तरफ नहीं गया है, तो मैं बार-बार यह प्रश्न उठाना उचित नहीं समझता। अगर सरकार मजदूरों को कुछ राहत पहुंचाना चाहती है तो खेतिहर मजदूरों का जो बहुत दिनों से मामला लटका हुआ है उसकी तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिए। मैंने स्वयं चकिया, बनारस के अन्दर देखा कि किसी काश्तकार के पास २,८०० बीघा भूमि है किसी के पास ३,००० बीघा है और वहीं एक मजदूर को ३ पाव मजदूरी मिलती है। अगर सरकार सर्वे कराये तो मालूम हो कि कितने खेतिहर मजदूर सूबे के अन्दर हैं और चकिया के मजदूरों के सम्बन्ध में जरूर सर्वे होना चाहिए और मजदूरी निश्चित होनी चाहिये।

हमारे माननीय मंत्री जी बार-बार इस बात का जिक्र करते हैं कि मिलें इसलिये बन्द होती चली जा रही हैं कि मिलों के पास बहुत ज्यादा कपड़ा भरा हुआ है और बिक नहीं पाता है। कानपुर में एक कपड़ा कमेटी बनी हुई है उसने मांग की कि इस सरकार से कि किस किस्म का कपड़ा मिलों के अन्दर स्टाक में है, लेकिन न तो सरकार बताती है कि कौन-सा कपड़ा वहां है और न वहां के मिल मालिक बताते हैं। उनकी एक मांग और है कि १० फीसदी की अगर छूट मिल जाय तो वह कपड़ा बिक जायगा। मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि यह सरकार पूंजीपतियों की है, क्योंकि वही मिल-मालिक जो कि एक तरफ यह कहते फिरते हैं कि हमारे यहां कपड़ों का स्टाक है वही सेल्स टैक्स से बचने के लिए १०-१२-२० नम्बर तक का सूत बुनते हैं और मोटा कपड़ा बुनते चले जा रहे हैं। फ़लालैन जो ६ आने गज में तैयार होती है, मिल

[श्री ऊदल]

मालिक उसे २० आने, डेढ़ रुपया और एक रुपया गज के हिसाब से बेचते चले जा रहे हैं। कटपीस के लिये छूट दे दी गई है। कटपीस में ४० परसेंट यों ही छूट दे दी जाती है और ३० परसेंट उनको कटपीस की वजह से छूट मिलती है। अभी हाल में मैं बनारस गया था, पहले वहां एक भी दूकानदार कटपीस का नहीं था, अब ३०,४० हो गये हैं और इसका नतीजा यह हो रहा है कि एक तरफ मजदूर की छटनी हो रही है, मजदूर को तनख्वाह काटी जा रही है और एक तरफ मिल-मालिक कटपीस का कपड़ा तैयार कर के ७० फीसदी मुनाफा कमा रहे हैं और सरकार उनको छूट देती चली जा रही है। इसलिये हमारा सरकार के ऊपर चार्ज है कि वह पूंजीपतियों की सरकार है।

यही नहीं आज कानपुर के मिल-मालिकों के ऊपर ४६ लाख रुपया बिजली का बकाया है और यह सरकार कान में तेल डाले बैठी है और वसूल करने का नाम नहीं लेती। यदि ५ रुपया किसान लगान नहीं देता है तो घर पर वारन्ट कट कर पहुंच जाता है, उसके साथ जुल्म किया जाता है, जेल में भेजा जाता है लेकिन बड़े-बड़े पूंजीपति लाखों रुपया सरकार और जनता का दबाये बैठे ह पर सरकार की हिम्मत नहीं होती कि उनके खिलाफ कार्यवाही करे। चीनी के कारखानों के ऊपर मुख्यमंत्री जी ने बताया कि ३ करोड़ रुपया बकाया है और उन्हीं मिल-मालिकों को यह सरकार कर्जा भी देती चली जा रही है। आज कानपुर के बड़े-बड़े मिल-मालिकों को २० करोड़ रुपया सरकार ने कर्जा दिया है। इससे साफ जाहिर है कि सरकार पूंजीपतियों की है, मजदूर-किसानों की नहीं है। इसलिये मैं मांग करता हूं कि सरकार अपने दिमाग को ठीक करे और मजदूरों की तरफ ध्यान दे।

श्री उमाशंकर शुक्ल (ज़िला कानपुर)--मान्यवर, जो मंत्री महोदय ने श्रम सम्बन्धी अनुदान प्रस्तुत की है उसका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और हमारे मित्र माननीय भगवतीसिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उसका मैं घोर विरोध करता हूं। उसकी वजह यह है कि उन्होंने कहा है कि सारा अनुदान घटाकर १ रुपया कर दिया जाय। सुझाव उन्होंने करीब ३० दिये हैं जिनके लिये यह कहा है कि उन सब को लागू किया जाय और मजदूरों को सुविधा दी जाय। वह कहां से दी जायगी? एक रुपये में कैसे दी जा सकेगी? मैं उनकी सद्-भावनाओं का विरोध नहीं करना चाहता, लेकिन जो उनके शब्द हैं उनका विरोध करता हूं।

सब से पहले मैं श्रम कानूनों के सम्बन्ध में कुछ मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं। श्रम कानूनों में कुछ ऐसे लैकुना हैं, कुछ ऐसी कमियां हैं जिनकी वजह से आज मजदूर वर्ग को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है और सरकार को भी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। मैं प्ले आफ कम्पेंन्सेशन की बात रखता हूं। उसमें एक लैकुना यह है कि ४५ दिन गुजर जाने के बाद यदि एक हफ्ते से ज्यादा प्ले आफ हो तो मजदूरों को कम्पेंसेशन मिलेगा। लेकिन होता क्या है? आमतौर पर मालिकों ने रवैया बना दिया है कि वह हफ्ते में ५ दिन तो प्ले आफ कर देते हैं और १ दिन काम दे देते हैं। मोटे तौर से कहा जाय तो महीने में ४ दिन काम होगा। यानी दूसरी जगह वह काम भी नहीं कर सकते हैं। ऐसी मुसीबतों में उनको गुजारा करना पड़ता है। श्रम मंत्री जी कानून के पंडित हैं। मेरी बात को उन्होंने समझा होगा और मुझे आशा है कि वह इस मुसीबत को जरूर दूर करेंगे।

दूसरी बात, मजदूरों के जो मुकदमें होते हैं उनमें यहां की अदालतों में वक्त लगता है। ऐडजुडिकेशन में रिफरेंस के लिये जाते हैं तो उनमें देर लगती है। उसके साथ ही मिल मालिक जब रिट फाइल कर देता है उसके बाद वह सुप्रीम कोर्ट तक जाने की कोशिश करता है। नतीजा यह है कि मजदूर बेचारा पिट जाता है। इसलिये कानून में ऐसा सुधार होना चाहिये कि या तो मजदूर सम्बन्धी मामले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न भेजे जायं या इसके लिये फिर हाई कोर्ट की एक स्पेशल बेंच बनायी जाय ताकि मजदूरों के मामले जल्दी हल हो जायं।

साथ ही समझौते का पालन मिल वाले नहीं करते। उदाहरण के तौर पर शाप्स ऐंड कामर्शियल इस्टैब्लिशमेंट के अन्तर्गत मजदूरों को दिक्कते हैं पर मैं मिल मालिकों के बारे में कहना चाहता हूं और वह यह है कि जो भी फैसला होता है उसका पालन नहीं होता। नमूने के लिये मैं म्योर मिल का एक केस कोट करता हूं। एक कानून है कि मजदूरों का पैसा लैन्ड रेवेन्यू की तरह से वसूल होगा। कानून बहुत उत्तम है लेकिन जब सिटी मैजिस्ट्रेट साहब पैसा वसूल करने गये तो मिल मालिक ने कहा कि देखो मैंने रिट हाईकोर्ट में दाखिल कर दिया है वह अपना मुंह लेकर चले आये। तो यह दिक्कतें हैं जिनकी तरफ मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

इसके अलावा एक बड़ा सवाल है और वह यह कि मिल मालिकान बुड्ढे आदमियों की छटनी कर देते हैं। उस सम्बन्ध में अभी तक कोई कानून नहीं बना है। उन्होंने यह देखा कि इतने आदमियों को निकालना है तो उसको सिविल सर्जन के पास मेडिकल एक्जामिनेशन के लिये भेजते हैं। मेरे पास उसके प्रमाण हैं। सिविल सर्जन ने एक मजदूर को फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया। मेरे पास कागज मौजूद हैं, मैं पूरे सबूत के साथ कह सकता हूं। उसको दोबारा फिर सिविल सर्जन के पास भेजा गया। सिविल सर्जन ने उनको अनफिट कर दिया और मिलमालिक ने उनको रिटायर कर दिया। ऐसी हालतों में से मजदूरों को गुजरना पड़ता है। इस तरह कोई न कोई कानून बनना चाहिये ताकि मिल मालिक बुड्ढे आदमियों को न निकालें, यदि निकालें तो छटनी का मुआवजा दें।

इसके आलावा औद्योगिक विवादों का जहां तक सम्बन्ध है उसमें दिक्कत यह पड़ती है कि पचासों केसेज इलाहाबाद, बरेली, लखनऊ में होते हैं जिनके लिये उनको इधर-उधर दौड़ना पड़ता है। मिल वाले तो अपने लेबर आफिसर को भेज देते हैं। लेबर वेलफेयर आफिसर को सरकार मुकर्रर करती है, वेतन मिल मालिक देता है। वह लेबर वेलफेयर आफिसर क्या है ? उसको तो लेबर वेलफेयर आफिसर या कल्याण अधिकारी कहना तो कुछ सही नहीं समझ में आता। उनको अगर मालिक का दलाल कहा जाय सीधे-सीधे तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि मालिकों की ओर से वे मजदूरों के खिलाफ मुकदमा लड़ने जाते हैं। इसलिये सरकार का ध्यान मैं इस ओर दिलाना चाहता हूं कि अगर उसमें कुछ सुधार वह न कर सकें तो कम से कम मजदूरों को अदालतों में जाने के वक्त उस दिन का वेतन और आने-जाने का भाड़ा जरूर दिलायें।

इसके अलावा मैं एक बात इन कानूनों के सिलसिले में और कहना चाहता हूं। एक तो बड़ी दिक्कत से मजदूर अपने मामलों को अदालत में ले जा पाता है। फिर उसके मामले जो बहुत लम्बे जाते हैं उनकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये।

मकानों के सिलसिले में भी कई साथियों ने जिक्र किया। श्रम मंत्री ने कहा कि चूंकि मकानों को दूसरे लोग नहीं लेते थे इसलिये उन्हें सरकारी कर्मचारियों को दे दिया गया। मैं यह कहता हूं कि कोशिश यह होनी चाहिये सरकार की कि कोई भी मिल मालिक जब कारखाना खोले तो उसके पहले वह मजदूरों के लिये सेटिलमेन्ट बनवाये और सरकार को भी उसी का अनुकरण करना चाहिये। सरकारी कारखानों के मजदूर अगर उन क्वार्टरों में रहते हैं तो उनकी दशा क्या उन मजदूरों से बहुत बेहतर है जिनको यह होता है कि उनको मकानों से निकाल दिया जाय ? श्रम मंत्री जी इस पर ध्यान दें बल्कि जो भगवती सिंह जी ने हायर पर्चेज का सिस्टम सजेस्ट किया वह बेहतर है। परसाल मैंने इसके बारे में सरकार को काफी लम्बे सुझाव दिये थे, लेकिन सरकार ने शायद उन पर विचार नहीं किया या करना नहीं चाहती।

इसके अलावा जो सरकार ने घोषणा की कि सरकारी कारखानों में मजदूरों को साझेदारी दी जायगी उसका मैं स्वागत करता हूं। किन्तु साथ ही साथ सरकार से यह भी अनुरोध करता हूं कि जो प्राइवेट मिल मालिक हैं उन पर भी यह कानून लागू करें और उनको प्रेस करें। जब तक मजदूरों को कारखानों में साझेदारी नहीं मिलेगी तब तक इन कारखानों में शांति

[श्री उमाशंकर शुक्ल]

और अमन की कितनी ही दुहाई दी जाय शांति कायम नहीं हो सकती। इसलिये सरकार को चाहिये कि फौरन इस ओर तवज्जह दे।

वेलफेयर के सिलसिले में एक बात की ओर मैं श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। स्टेट इन्श्योरेंस मजदूरों की फैमिलीज़ पर लागू हो गया है और अब जो दवाखाने हैं वे प्राय: एक तरह से बेकार से हो जायेंगे इसलिये स्टेट इन्श्योरेंस के साथ उनको भी मिला या जाय या कोई दूसरी व्यवस्था की जाय क्योंकि उस पर अधिक खर्च करना इस वक्त मेरी समझ में उपयुक्त नहीं मालूम होता।

हमारे मित्र ने राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय बातों पर काफी प्रकाश डाला है। बदकिस्मती से मैं कानपुर का रहने वाला हूं और वहीं से मैं चुन कर भी आया हूं इसलिये मेरी मजबूरी है कि और बातों पर न जा कर मुझे कानपुर पर ही आना पड़ेगा। मेरे मित्र ने इस पर अधिक जोर दिया कि सरकार एक आदर्श मिलमालिक बने। बहुत अच्छी बात है, मैं उनकी बात की ताईद करता हूं। पर उन्होंने इस ओर कम ध्यान दिया कि प्राइवेट मिलमालिक मजदूरों के प्रति कैसा बरताव कर रहे हैं। मैं पहले तो श्रम मंत्री को इसलिये बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने पारसाल जो म्योर मिल बन्द हो रही थी उसको किसी तरह से चालू किया। एथर्टन वेस्ट के बारे में भी उन्होंने विश्वास दिलाया है कि सरकार उसको स्वयं ले कर चलायेगी। कानपुर काटन मिल की हालत बहुत बदतर है। पर इनकी बात तो यहीं रही एक ताजा मामला और उठ खड़ा हुआ है जूट मिल का जिसका अभी माननीय सदस्य ने जिक्र किया है। यह जूट मिल सन् १९३६ के लगभग शुरू हुआ था। इसमें पहले डेढ़ हजार मजदूर काम करते थे, लेकिन आज मुश्किल से १,३०० मजदूर उसमें काम करते हैं। उत्पादन का जहां तक सवाल है, मेरी जानकारी है कि वह पहले से दूना कर रहे हैं। इस मिल को लगाने में मिल मालिक ने मुश्किल से ८५ हजार रुपया लगाया था और लाखों रुपया कमा लिया है और इसी की बदौलत बम्बई आदि कई जगहों पर मिल खोल लिये हैं। अभी मंत्री जी भूले न होंगे पारसाल म्योर मिल का जिक्र आया था कि किस तरह से इसके मालिक ने मजदूरों को परेशान किया और उनके बहुत से अधिकार और रुपया हड़प लिया और शायद ही कोई कानून बचा हो जिसको इसने न तोड़ा हो। मजदूरों का वेतन नहीं दिया और जो पैसा स्टेट इन्श्योरेंस का मजदूरों का काट लिया था वह भी नहीं दिया। इसके अलावा प्राविडेंट फंड का पैसा नहीं दिया और सरकारी बिजली तथा पानी का भी पैसा हजम कर गया।

मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में १८ कानून होने के बावजूद इस मिल के मालिक ने मजदूरों का रुपया हड़प लिया जिसका विवाद सरकार के समक्ष है। कानून में कोई खामी नहीं है और सरकार ने भी पैसा वसूल करने की काफी कोशिश की। लेकिन कानून का चक्कर अजीब है और बावजूद डिग्री हो जाने के रुपया वसूल नहीं हुआ और अभी तक मजदूरों का रुपया पड़ा हुआ है। मिल मालिक शेर बनकर कानपुर में बैठा बैठा दूसरा मिल चला रहा है, अब इस मिल की भी बारी आ गई है और उसने नोटिस दे दिया है कि इसी महीने की २४ तारीख से मिल बंद हो जायगा। मैं मानता हूं कि श्रम मंत्री जी ने काफी कोशिश की लेकिन मिल मालिक नहीं माना और वह प्रेशर टैक्टिक्स डालना चाहता है। एक तो वह लम्बा लोन चाहता है। दूसरे वह यह समझता है कि सरकार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि इतना रुपया मजदूरों का हजम करके भी मूंछों पर ताव दिये हुये बैठा रहा और सरकार कुछ नहीं कर सकी। इसलिये वह समझता है कि जब सरकार पहले कुछ नहीं कर सकी तो अब क्या कर सकती है? मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह मजदूरों को तीन महीने का कम्पेंसेशन देता जो तीन लाख के करीब होता है। क्यों न कायदे के अन्दर उनको कम्पेंसेशन दिलाया जाय जो पौने छः लाख के करीब होता है। हम एश्योरेंस चाहते हैं कि मिल बंद होने से पहले मजदूरों का कम्पेंसेशन दिला दिया जायगा। मिल मालिक मिल के कई विभाग बन्द कर चुका है। मिल के मजदूरों का सात लाख रुपया प्रावीडेंट फंड का जमा है और ६ लाख कम्पेंन्सेशन का हो गया।

इसलिये मंत्री जी मजदूरों का रुपया दिलायें और इसको कोआपरेटिव बेसिस पर चलायें तो इससे न सिर्फ मजदूरों को रोजी मिलेगी बल्कि यह मिल मालिक जो रोज मिल बन्द करने की धमकी देते हैं वह बात भी खत्म हो जायगी। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मजदूर इस मिल के शेयर खरीद लेंगे। इस मिल के मजदूर बहुत कम वेतन पाते हैं। फिर भी कुछ और तनख्वाह से कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं कि कोई प्रयत्न हो जिससे मजदूर बेकार न होने पायें। मैं केवल माननीय मंत्री के कानूनों की आलोचना नहीं करना चाहता बल्कि प्रजातंत्र और समाजवादी ढांचे के लिये भी यह जरूरी है कि मंत्री महोदय विश्वास दिलायें कि मजदूरों के साथ अत्याचार नहीं हो पायेगा क्योंकि अगर मिल मालिक जैसे पहले रुपया हजम करके बैठ गया है और फिर हजम करके बैठ जायगा तो मजदूर और समाज की आस्था सरकार से हट जायगी और वह समझेंगे कि सरकार अपंगु और निस्सहाय है। ऐसी अवस्था में मैं चाहता हूं कि सरकार की भी प्रतिष्ठा कायम रहे और इस देश में समाजवादी ढांचे की सरकार और प्रजातंत्र दोनों की रक्षा हो सके। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि इस मिल को किसी तरह से बन्द होने से रोकें।

इसके अलावा मैं एक बात और मंत्री महोदय की नोटिस में लाना चाहता हूं। अगर इस तरफ तवज्जह नहीं की गयी तो हालत यह होगी कि अमन खतरे में पड़ेगा क्योंकि मजदूर काफी हद तक सीख चुका है। जब सरकारी कानून बना हुआ है कि कम्पेंसेशन मिल मालिक दे और मिल मालिक नहीं देता है तो इसके साफ मानी हैं कि वह कानून तोड़ता है। सरकार के पास ऐसा अधिकार है कि क्रिमिनल आफेंस में उसको जेल में डाल दे और मिल मालिक के मिल जब्त करके बेच कर कम्पेन्सेशन दे दे। इस दशा में सरकार कदम उठाये। मैं मंत्री महोदय को पुनः धन्यवाद देते हुये उनके अनुदान का समर्थन करता हूं।

(इस समय २ बजकर १७ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुये।)

*श्री सैयद जरगाम हैदर (जिला बहराइच)--श्रीमन्, जो कटौती का प्रस्ताव भगवतीसिंह जी ने इस हाउस के सामने पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझ से पहले कांग्रेस पार्टी के जिन सज्जन ने यहां पर तकरीर की उन्होंने इस बात की पूरी तरह से हिमायत की है कि सरकार की पालिसी में सिर्फ तब्दीली की ही नहीं बल्कि रैडिकल चेंज की जरूरत है। हम लोग जो बात सरकार के सामने पेश करते हैं वह तो सरकार यह समझ कर आम तौर पर ठुकरा देती है कि हम लोग उनके हर काम की मुखालिफत करने के आदी हो गये हैं। लेकिन माननीय मंत्री जी थोड़ी देर के लिये भगवती सिंह जी की बातों की तरफ ध्यान न दें यह सोच कर कि उनके सुझाव एक ऐसे दल की तरफ से आये हैं जो विरोधी दल है तो कम से कम उन आदमियों की बात पर ध्यान दें जो आपके साथ उठने-बैठने वाले हैं और जहां तक मुझे पता है आपके साथ काम किये हुये साथियों में से हैं।

जो चार्ज गवर्नमेन्ट की लेबर पालिसी के खिलाफ लगाया गया है मैं भी उसी को दोहराता हूं। और वह यह है कि सरकार की पालिसी लेबर की जो है वह किसी तरह से लेबर की मुआफिकत में नहीं है बल्कि इंडस्ट्रियलिस्ट्स की मुआफिकत में है। अगर आप इजाजत दें तो मैं यहां तक कहूंगा कि जो सरकार की मौजूदा लेबर पालिसी है वह एंटी कैपिटलिस्ट और प्रो-इंडस्ट्रियलिस्ट है। इसके मुख्तलिफ वजूहात हैं। आजकल पोजीशन क्या है? जो लेबर के हकूक हैं, जब लेबर उसका मतालबा करता है और सरकार मिल मालिकों के जरिये उनको पूरा कराने में नाकामयाब रहती है तो लेबर के सामने बजुज इसके और कोई चारा नहीं रह जाता कि वह हड़ताल करे। लेकिन उस वक्त सरकार क्या करती है? अपनी पूरी शक्ति के साथ अपनी पूरी कुवत के साथ, अपनी पुलिस के जरिये लेबर के मूवमेन्ट को दबाती है, क्रश करती है, बाज वक्त फाइरिंग करती है लेकिन जब इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसी सूरत पैदा कर देते हैं, लाकआउट कर देते

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सैयद जरगाम हैदर]

हैं, मिलों को वह बन्द कर देते हैं, उस वक्त हमारी सरकार खामोश रहती है। अभी जब श्री ऊदल जी तकरीर कर रहे थे तो हमारे मंत्री जी ने पूछा था कि आखिर आप इसका इलाज क्या बताते हैं ? मैं गुजारिश करूंगा कि मिनिस्टर को मिल मालिक के सामने इस तरीके से हथियार छोड़कर सर झुकाकर नहीं बैठना चाहिये और यह नहीं कहना चाहिये कि मिल मालिक के लिये इलाज नहीं है। कानून बनाना आपका फर्ज है इसलिये जो परेशानियां और दुश्वारियां पैदा होती हैं उनका इलाज निकालना भी आपका फर्ज है। इसलिये मेरी आपसे गुजारिश है और जैसा कि अभी आपके ही एक सज्जन ने कहा मुख्य मंत्री जी उसी पर अमल करें। अगर कोई मिल मालिक लाक आउट डिक्लेयर करता है तो उसकी फैक्ट्री कानफिस्केट कर लीजिए। क्या दुश्वारियां हैं सरकार के सामने ? क्या आप एक काटन मिल जहां पर हजारों इंसान बेकार हो रहे हैं, क्या इतनी बड़ी एक मिल को सरकार चलाने में अपनी नाकामयाबी का इजहार कर रही हैं ? क्या यह सरकार को जेबा देता है कि कोई यह कह दे कि मिल मालिक को अख्तियार है कि वह हजारों आदमियों को बेकार कर दे और हमें यह अधिकार नहीं है कि हम मिल मालिक को मजबूर कर सकें या कोई तरीका निकालें जिससे उन हजार-बारह सौ आदमियों की रोटी का कोई इंतजाम हो सके।

(व्यवधान)

मंत्री जी को याद दिलाऊं कि संविधान के बारे में जब जमींदारी एबालिशन बिल सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश था तो वजीर आजम पं० जवाहर लाल जी ने यह कहा था कि मुल्क की तरक्की के सामने आईन और अदालतें नहीं आ सकतीं। अगर कोई कांस्टीट्यूशनल डिफेन्ट है तो आप उनको भी हल कर सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि आपके सामने कंपेनसेशन की दिक्कत है तो उसके लिये कंपेनसेशन का क्लाज जस्टीफाइएबुल नहीं है। आप जो कंपेनसेशन मुनासिब समझें दें और वह अदालतों में चैलेंज नहीं किया जा सकता।

अब दूसरी चीज है लेबर पालिसी। यही नहीं कि हमारी सरकार की लेबर पालिसी ऐन्टी लेबर है बल्कि जब हम और जगहों की लेबर से मुकाबिला करते हैं तो पता चलता है कि हमारी सरकार और दूसरी जगहों की सरकारों से बहुत पीछे है और मैं जो आपके स्टेटिस्टिकस हैं उन्हें निकाल रहा हूं और उसके जरिये यह साबित कर देता हूं। बम्बई में एक मजदूर की माहवारी ऐवरेज आमदनी है ११४ रु० जिसमें डियरनेस एलाउन्स वगैरह शामिल हैं। अहमदाबाद में १०१ रु० और बड़ौदा में ९९ रु० हैं लेकिन हमारे यहां कानपुर में ९३.१२ नये पैसे हैं। माननीय मंत्री जी कहेंगे कि और कामों में हमने इनिशिएटिव लिया, पंचायत राज ऐक्ट पहले बनाया, जमींदारी एबालिशन पहले किया। मैं कहता हूं कि आप जरा लेबर के मामले में भी एक मर्तबा तवज्जह कीजिये और कोशिश कीजिये।

मुझे एक बात और अर्ज करना है कि जो छोटी-छोटी फैक्टरीज हैं वहां के लोग अपने एकाउन्ट्स रखने में, रजिस्टरों के मेन्टेन करने में बड़ी बंगलिंग करते हैं और जो इंस्पेक्टर होते हैं यह उनसे बेहतर नहीं होते जैसा कि अभी आपके एक सज्जन ने कहा कि जो लेबर आफिसर्स होते हैं वे मिलों के दलाल का काम करते हैं। यह इंस्पेक्टर भी कमो बेश उन्हीं की तरह होते हैं। जो लेबर लाज हैं उन पर वह अमल नहीं करते। मिल मालिक साजिश करके लेबर लाज को वायोलेट करते हैं और लेबर इंस्पेक्टर्स उनके खिलाफ कोई ऐक्शन नहीं लेते। सिर्फ यही नहीं है बल्कि लेबर लाज का सारा इम्पलीमेंटेशन जो होता है वह लेबर के खिलाफ आम तौर से एक्सरसाइज होता है। उसका सबब यही है कि इमीडिएट गार्जियन जो उनके हैं बड़े-बड़े मुकामात पर लेबर आफिसर और छोटी-छोटी जगहों पर लेबर इंस्पेक्टर्स वह अपने फरायज को पूरी तरह से अदा नहीं करते। असल मकसद लेबर आफिसर्स और लेबर इंस्पेक्टर्स का सिर्फ यह है कि वह लेबर के फायदे की चीजें देखें। लेकिन आम तौर पर उनका तरीका यह होता है कि लेबर के फायदे की बात पर वह बिल्कुल ध्यान नहीं देते। बल्कि जो लेबर मूवमेन्ट डेवलप होने वाला होता है, जब मिल मालिकों के खिलाफ कोई जज्बा पैदा होता है तो उसको रोकने में, कम करने में हर तरीके

से लेबर को दबा करके उस मूवमेन्ट को पस्त करने की कोशिश करते हैं और हर मामले में बजाय इसके कि लेबर की जायज मांग में वह इमदाद करें वह मिल मालिकों की इमदाद करते हैं।

जो आपके एम्प्लायमेन्ट एक्सचेंज हैं उसके बारे में यह गुजारिश करनी है कि ऐसी मिसालें बहुत मिलती हैं जहां पर कि ऐसे लोगों का एप्वाइन्टमेन्ट हो जाता है जो कि एम्प्लायमेंट आफिस में रजिस्टर्ड नहीं होते। यह गवर्नमेन्ट इसके ऊपर ठीक तरीके से अमल नहीं करती। लोकल बाडीज में इस पर अमल नहीं होता। इस किस्म की चीजों पर ठीक तरीके से अमल नहीं होता है और मेरी गवर्नमेन्ट से गुजारिश है कि इस तरफ खास तौर से ध्यान देना चाहिये। इससे फेवरिटिज्म बढ़ता है और हम जिस आदमी को नौकर रखना चाहते हैं उसको रख लेते हैं। लोकल बाडीज में यह चीज आम तौर पर रायज है। गवर्नमेन्ट में भी यह चीज है। जो पंचायत राज डिपार्टमेन्ट है या सेक्रेटरीज जो उसमें रखे जाते हैं वह आम तौर पर आफिसर्स जिसको चाहते हैं रख लेते हैं। वह अपनी एक प्राइवेट लिस्ट रखते हैं और एक एम्प्लायमेन्ट एक्सचेंज से आई हुई लिस्ट। अपने आदमियों को वह रख लेते हैं। गवर्नमेन्ट को इस तरफ भी खास तौर से ध्यान देना चाहिये।

एक बात मुझे और मजदूरों के बारे में कहनी है। मजदूर जो झगड़ों में बरख्वास्त कर दिये जाते हैं उसमें जिस तरीके से कि गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट के लिये रूल है कि सस्पेंशन एलाउन्स उसको मिलता है। उसी तरीके से मजदूरों को भी सस्पेंशन एलाउन्स मिलने लगे तो लेबर को इससे बहुत कुछ फायदा पहुंच सकता है।

हमारे साथी भगवती सिंह जी ने जो प्रस्ताव किया, जो सुझाव दिया आपके सामने वह बहुत ही मुनासिब सुझाव है कि पहले स्टेट को खुद एक आइडियल एम्प्लायर बनना चाहिये और जब तक कि स्टेट खुद आइडियल एम्प्लायर नहीं बनती है, लोगों के सामने मिसाल पेश नहीं करती है कि लेबर को इस तरह की सुविधा मिल सकती है, इस तरीके से लेबर को रहना चाहिये, इस तरीके से उसको मकान मिलना चाहिये, उस वक्त तक निहायत आसानी से जो प्राइवेट कंसर्न्स हैं वह गवर्नमेन्ट के लेबर लाज को वायलेट कर सकती हैं। इसलिये मेरी गुजारिश होगी मंत्री जी से कि जहां-जहां पर आपकी इंडस्ट्रीज हैं, मसलन मिर्जापुर है कानपुर की इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी है, इन सब मुकामात पर आपकी नीति ऐसी होनी चाहिये जिससे लेबर को सारी सुविधायें मिल सकें।

लेबर क्वार्टर्स के बारे में मंत्री जी ने कहा कि सब लोग चूंकि उसको आक्यूपाई नहीं कर सके इसलिये हम मजबूर हैं कि औरों को दें। मैं उनकी इस बात को मानता हूं, सही है, वह मकान खाली नहीं रहने चाहिये। इससे किसी न किसी को तो वह मिलते ही हैं और आपके किराये का भी सवाल है। लेकिन मैं यह इल्जाम जरूर लगाता हूं कि जब आपको लेबर की एवरेज इनकम का पता है तो इतने कास्टली क्वार्टर्स क्यों बनाये जिससे कि उनको यह दुश्वारी पैदा हो रही है? १० रुपये से कम पर आप दे नहीं सकते क्योंकि गवर्नमेन्ट आफ इंडिया का लोन देना है और इंटरेस्ट अदा करना है। तो इससे जो आब्जेक्टिव है वह पूरा नहीं होता। गवर्नमेन्ट को मकान बनाने के पहले मजदूरों की किराया देने की कैपेसिटी का अन्दाजा कर लेना चाहिये था और जाहिर है कि जब एवरेज ९३ रुपया इनकम एक मजदूर की है तो आप उसको कैसे मजबूर कर सकते हैं कि वह जरूरी तौर पर १० रुपये माहवार किराया दे। इन सब चीजों का लिहाज रखते हुये मैं इन सब बातों को माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं। उनको खासतौर से फिर याद दिलाना चाहता हूं कि इधर या उधर से दोनों तरफ से जो तकरीरें हुई हैं अगर उनका खुलासा निकाला जाय तो यह मानना पड़ेगा कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में तमाम आदमी, जिनका लेबर से ताल्लुक है, वह इस पालिसी से मुतमइन नहीं हैं। उस पर ठंडे दिल से गौर करना चाहिये और सरकार को रेडिकल चेंजेज उस पालिसी में करना चाहिये और माकूल तरीके से उसको ध्यान देना चाहिये।

डाक्टर जयगोपाल (जिला सहारनपुर)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं, जो मुख्य मंत्री जी ने लेबर के मुताल्लिक ग्रान्ट पेश की है, उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस साल जो बजट की तकरीर हुई उसमें लेबर के मुताल्लिक कोई जिक्र नहीं किया गया जबकि इससे पहले दो सालों में इसका बराबर जिक्र आता रहा और यह एक अहम शोबा होते हुये भी बजट में जगह नहीं पा सका यह अफसोस की बात है, हालांकि इस साल मजदूरों की एक बहुत बड़ी मांग मंजूर हुई है और वह यह कि बीमा योजना के मातहत उनके बाल-बच्चों को भी वे दवायें मिलेंगी उसी प्रीमियम से जो कि वह देते आये हैं। इन सब बातों के होते हुये मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह जो हमारी बीमा योजना है इसमें जो डाक्टर साहबान रखे जाते हैं उनके बारे में एक चीज यह देखी गई है कि जैसे वह बेगार में पकड़े गये हों। जिस दिन उनका वहां से ट्रांसफर होता है तो वे बड़े खुश होते हैं। तो उनको परमानेन्ट सर्वेन्ट के तौर पर कर दिया जाना चाहिये ताकि वे इस काम में दिलचस्पी ले सकें।

मजदूरों की हम बहुत मामलों में मदद करना चाहते हैं परन्तु उसमें बहुत से मामलों में मुमकिन नहीं होता कि मदद की जा सके। तो मेरी अपनी यह दरख्वास्त है कि इस बीमा योजना के मातहत अगर फैमिली प्लानिंग उनमें जारी की जा सके तो वह उनकी इक्तसादी हालत को सम्भालने में मदद देगा। तो मैं यह दरख्वास्त करूंगा कि अगर माननीय मंत्री जी इस राय के हों तो वह ऐसा करने के लिये जरूर कोशिश करें।

दूसरी चीज मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि बीमा योजना के मातहत जो रुपया मजदूरों में लेते हैं, हमारे यहां लार्ड कृष्णा शुगर मिल में यह चल रहा है कि वह रुपया भी जमा नहीं किया जा सका। इस वजह से मजदूरों को बाद में जो तिब्बी इमदाद मिलनी चाहिये वह नहीं मिलती और वह परेशान रहते हैं। इसके मुताल्लिक उस महकमें ने कार्यवाही जरूर की पर वह बेहतर साबित नहीं हुई है। शिकायत बराबर कायम है। इस साल सरकार की तरफ से कई तालीम के काम किये गये ताकि वे मजदूर जो ट्रेड यूनियन के अन्दर तब्दीली आ गई है उसकी वह अपटू डेट तालीम ले सकें। वह मुकर्रर हुये। उससे मजदूरों को बड़ी रोशनी मिली मगर उसमें सब से बड़ी दिक्कत यह है कि हमारे यहां जो मिल मालिक उस टाइम के लिये मय तनख्वाह छट्टी देना पसन्द नहीं करते। इसके लिये सरकार को कोई कदम उठाना चाहिये ताकि उन मजदूरों को छट्टी मिल सके और इस बजट में जो ज्यादा रुपये का प्राविजन किया गया है मजदूर लोग उससे फायदा उठा सकें।

हमारे सामने एक मसला और बहुत सख्ती से आया हुआ है जिसके बारे में माननीय विशारद जी ने जिक्र किया है। वह अमृतबाजार पत्रिका का मामला ह। जहां तक इस मसले का ताल्लुक है मैं यह समझता हूं कि कोई भी मजदूर या मजदूरों से ताल्लुक रखने वाली संस्था उससे पूरी हमदर्दी रखेगी। जहां तक मेरा खयाल है सरकार को भी उसके प्रति हमदर्दी है। मगर चूंकि यह मामला हमारे सूबे की सरकार से ताल्लुक नहीं रखता इसलिये वह इसमें कोई बाअसर कदम उठाने से मजबूर है। मगर मैं यह उम्मीद करता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री जी इस मामले को नेशनल ट्रिब्यूनल को सिपुर्द कर देंगे। मैं यह आशा करता हूं कि तुषारकान्ति घोष जी बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं। वे इस मामले को ट्रिब्यूनल के सामने जाना पसन्द करेंगे और इस तरह से इस विवाद को खत्म करने में मदद करेंगे। इम्प्लायमेंट एक्सजेंज की रिपोर्ट को मैंने देखा। उनका काम काफी तरक्कीबख्श रहा है और इस साल जो कदम उन्होंने उठाये हैं वे काफी तरक्की पसंद और अच्छे हैं। दो बातें उसमें दिक्कत की हैं। एक तो यह कि जो बेकारों के फोगर्स आते हैं उसमें पार्शियल बेकार भी शामिल होते हैं और उस वजह से ऐसा मालूम होता है कि हमारे यहां बेकारी बहुत ज्यादा है। इसका कुछ इंतजाम होना चाहिये। दूसरे, हुनरमंदों की ट्रेनिंग के लिये अगर सेन्टर्स उन्हीं के जिले में हैं तो ठीक रहता है नहीं तो उन पर बेकार का खर्चा पड़ जाता है और मुकामी आदमियों के सेलेक्शन कमेटी में न

होने की वजह से उस जिले के आदमी रह जाते हैं। इसलिये बेहतर हो कि सेलेक्शन कमेटी उसी जिले में चली जाय या वहां के आदमी उसमें रखे जायं और कोई अफसर उनके साथ शामिल हो कर उन लड़कों का सेलेक्शन कर ले।

जहां तक एक्सचेन्ज के द्वारा नौकरी दिलाने के फीगर्स का ताल्लुक है, ऐसा मालूम होता है कि पिछले सालों से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। एक काम उन्होंने और किया कि कानपुर में एक कमेटी बना कर इस बात का सर्वे किया कि किस-किस तरह की और किस हद तक मुलाजिमत मिल सकती है और कौन रोजगार हैं कि जिनमें ज्यादा मुलाजिमत की गुंजायश है और किन में कम। खुशी की बात है कि यह स्कीम और मजीद शहरों में भी चलायी जा रही है। इस सर्वे ने जो तजुर्बा दिया और और किस किस्म के टेक्निकल हैन्ड्स की मांग है उनके लिये कुछ इंतजाम करके उस जरूरत को पूरा करने में महकमे को मदद देनी चाहिये।

अभी हमारे एक दोस्त ने लेबर पालिसी के मुताल्लिक बात की और मुझ से पहले माननीय हैदर साहब तकरीर फरमा रहे थे। उन्होंने कहा कि इस गवर्नमेन्ट की पालिसी ऐन्टी लेबर है। मैं कहना चाहता हूं कि मेरे दोस्त को शायद लेबर या उसकी पालिसी के मुताल्लिक कतई भी इत्तला नहीं है वरना वह ऐसी बात न कहते। मैंने जहां तक इस रिपोर्ट और दूसरी बातों को देखा उससे मैं कह सकता हूं कि हमारे प्रदेश की सरकार की लेबर पालिसी हमारे देश के दूसरे सूबों में चल रही लेबर पालिसी से ज्यादा प्रोग्रेसिव है, ज्यादा बेहतर है, अच्छी है, कामयाब है और मैं उन भाई से पूछना चाहता हूं कि वह इस बात की भी फेहरिस्त पेश करें कि जिनमें गोलियां चली हों, लाठीचार्ज हुए हों या जबरदस्ती की गयी हो। गवर्नमेन्ट इतनी फराखदिली से काम लेती है कि आज तक कितने ही गैर कानूनी स्ट्राइक होने के बावजूद भी किसी पर केस नहीं चलाया गया। जब इस तरह की बात है तो उस किस्म की बात कहना बिलकुल गलत है, जबकि ऐक्ट में ऐसा प्राविजन है। मेरे भाई विशारद जी ने रुड़की और कानपुर के मामले में जो कहा है मैं उससे इत्तफाक करता हूं। वह दोनों चीजें ऐसी हैं कि जिन पर सरकार को तवज्जह देनी चाहिये। आपने जो रामपुर का मामला पेश किया है वह बहुत अफसोसनाक है। उसके अन्दर लेबर कांफरेंस के किये गये फैसलों को बिलकुल तोड़ दिया गया है। उसके अन्दर अभी हाल में किये गये पंच फैसलों के बावजूद यह चाहे कि चीजें एडजुडिकेशन में भेज दी जायं। दो लफ्जों में यह कहा जा सकता है कि वह लेबर की जरूरत के मातहत हड़ताल नहीं थी, बल्कि लीडरशिप को जिन्दा रखने के लिये हड़ताल की गयी थी। यह कहां तक उचित है यह हमारे भाई ही सोचें। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि गवर्नमेन्ट ने उसमें फराखदिली से काम लिया और एक और समझदारी उसने यह बरती कि उसने पूरी बातें सामने नहीं रखीं। अगर कहीं वह तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स शाया की जातीं तो शायद हमारे भाई को ज्यादा तकलीफ पहुंचती।

यहां पर खेतिहर मजदूरों के मुताल्लिक बात की गयी। उनके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी जो हमारे सामने कोआपरेटिव फार्मिंग आ रही है उसके बाद भी अगर यह समस्या हल न हुई तो मैं समझता हूं कि हमारी सरकार उसके अन्दर एक्टिवली हिस्सा लेगी और काम करेगी।

एक साहब ने कहा कि अहमदाबाद, बम्बई और बड़ौदा में तनख्वाहें ज्यादा हैं। अगर इस चार्ट को आप देखेंगे तो उसमें दो हिस्से हैं तनख्वाहों के। एक है बेसिक पे और दूसरा महंगाई भत्ता। हमारे यहां न्यूट्रेलाइजेशन चूंकि ६३ फीसदी है इसलिये यह कम नजर आ रही है। हमारे भाई ने जो न्यूट्रेलाइजेशन बढ़ाने की मांग की है उसकी मैं ताईद करता हूं, लेकिन इसमें सरकार को कुछ करने का नहीं है, बल्कि ट्रेड यूनियन के करने की बात है। हमें इस चीज पर विचार करना चाहिये और देखना चाहिये।

कई चीजें और हैं जिनको मैं पेश कर सकता हूं लेकिन चूंकि लाल बत्ती हो गयी है, वह इजाजत नहीं देती। सिर्फ एक चीज और कहूंगा कि लेबर के महकमे ने इस साल रिपोर्ट तो बहुत अच्छी तैयार की है पिछले सालों के बनिस्बत लेकिन फिर भी दो तीन बातें हैं जिनकी

[डाक्टर जयगोपाल]

तरफ तवज्जेह दिलाना चाहता हूं। पहले तो, करेक्शन नहीं किये गये हैं। सहारनपुर में आर० सी० ओ० का दफ्तर है जिसका कहीं जिक्र नहीं किया गया है। इसके अलावा रिट्रेन्चमेंट के फीगर्स उन्होंने दिये लेकिन इनके साथ अगर दूसरे स्टेट्स के साथ कंपेरेटिव फीगर्स भी दिये होते हो हमारी पालिसी कितनी कामयाब रही इसका पता चलता। स्ट्राइक्स के फीगर्स दिये गये जिनको महकमे की कोशिश से नहीं होने दिया गया या समझौता करा दिया गया। इसके लिये भी स्टेट-वाइज कंपरेटिव फीगर्स होने चाहिये थे। एक जगह यह लिखा गया कि पब्लिक सेक्टर में कंसीलियेशन के लिये फलां बोर्ड बना दिया गया। उस सम्बन्ध में इतने मामले आये और वह फलां गवर्नमेन्ट आर्डर के मातहत तय कर दिये गये। उससे क्या यह पता लग सकता है कि वह हक में तय हुये या बेहक में। इसके साथ ही पब्लिक सेक्टर में सरकार की पालिसी क्या है उस पर इसमें कोई रोशनी नहीं डाली गयी। तो इन चीजों को सफाई के साथ यहां रखा जाना चाहिये था।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय भगवतीसिंह जी बिशारद के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। कब्ल इसके कि मैं उनका समर्थन करूं मैं अपने उस पक्ष के भाई, जो कानपुर से आये हैं और जिन्होंने अभी इसके समर्थन में बोला है, उनका हार्दिक समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि अगर इधर की बातें उन्हें उचित नहीं लगतीं और कड़वी मालूम होती हैं तो कम से कम अपने पक्ष की बातों को गौर से सुन कर और वह भी एक ऐसे सदस्य की बात को जो कानपुर में रह कर मजदूरों की बातों को अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं और अपनी बात जिन्होंने बड़ी सहृदयता से मंत्री जी के सामने रखी है, उस पर अमल करें और उनकी बातों की तरफ अपना ध्यान दें।

श्रीमन् एक ऐसी सरकार के लिये जो अपने को कल्याणकारी सरकार कहे, समाजवादी सरकार कहे, यह अच्छा नहीं लगता कि वह मिल मालिकों की वकालत करे। मिल मालिक लक्ष्मी पति हैं, उनके पास पैसा है, वह प्रदेश के अच्छे से अच्छे दिमाग को खरीद सकते हैं और उस से मदद ले सकते हैं और अपने लिये कानूनी बचाव की चीजें पैदा कर लेते हैं। गरीब मजदूर जिसके पास खाने को पैसा नहीं है, तरह-तरह की तकलीफें उसे उठानी पड़ती हैं वह भला उनके मुकाबिले में कैसे ठहर सकते हैं। सरकार को कम से कम मजदूरों की तकलीफों की तरफ देखना चाहिये और विरोधीपक्ष के लोग इस सम्बन्ध में जो बातें कहें उनकी वास्तविकता को समझ कर ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिये न कि उलटा उनके जवाब में अच्छी से अच्छी बातें तराश कर के सब का जवाब दे दिया जाय। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के उस बात से सहमत हूं कि वहां मजदूरों के रहने के लिये क्वार्टर का भी प्रबंध है लेकिन जैसा अभी हमारे भाई बिशारद जी ने बतलाया कि उसका किराया इतना ज्यादा रखा गया है कि जो कम तनख्वाह पाने वाले गरीब मजदूर हैं उसको किसी तरह से बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो उसके लिये मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि जहां आपने इतनी रियायत दी है वहां यह करें कि वे मकान लौंग टर्म किस्त पर मजदूरों को दें और उनकी तनख्वाह से मामूली रकम काटते जायं और बाद को उनके वे मकान हो जायं।

श्रीमन्, हमारे सामने मजदूरों के मामले इस ढंग से लाये गये हैं जिसको तोड़-मरोड़ कर कहा जाय तो कोई अनुचित नहीं होगा वास्तविकता यह है कि वे मजदूर यूनियनें सरकार के खिलाफ हैं या सरकार से अलग दूसरी यूनियन बनाना चाहती हैं उसके रजिस्ट्रेशन ४ महीनों, ६ महीनों, साल दो साल तक पड़े रह जाते हैं। रजिस्टर्ड नहीं होतीं और जहां बहुमत है, सारा मजदूर वर्ग चाहता है और कहता है कि मैं इस फलां यूनियन में अपने को रजिस्टर्ड कराना चाहता है तो उसके रजिस्ट्रेशन में सालों लग जाते हैं और जहां आई०एन०टी० यू० सी० का मामला आता है, वहां उसका रजिस्ट्रेशन महीने १५ दिन के अन्दर ही हो जाता है। तो इस तरह का भेदभाव नहीं रहना चाहिये। यह बहुत अनुचित है।

दूसरी चीज मैं माननीय मंत्री जी से यह कहूंगा कि वे मजदूरों के लिये मजदूर अदालत कायम करें जिसके अन्दर मजदूरों के सारे मामले लाये जायं और वह उसको देख कर फैसले करें। उसको कंडम कर देना या फाइनल रिपोर्ट लगा देना मजदूरों के हक में बहुत बुरा है, क्योंकि मजदूर इस पोजीशन में नहीं होता है कि वह मिल मालिकों के मुकाबिले में रुपया जमा करके उसको हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट में ले जायं।

हमको माननीय मुख्य मंत्री जी ने उस रोज प्रश्नों के सम्बन्ध में बतलाया था कि रामपुर की रजा चीनी मिल और बुलन्द चीनी मिल में जो मजदूरों की हड़ताल चल रही थी वह खतम हो गयी है और वहां मजदूरों के साथ किसी किस्म की सख्ती का काम नहीं होगा। मुझे दुख है कि उनके इस आश्वासन के बावजूद मिल मालिकों ने वहां के ४९ आदमियों के खिलाफ कार्यवाही की है और १२० उन मजदूरों को जो कि एवजी थे, उनको कतई निकाल दिया है। यह नहीं होना चाहिये, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को कहूंगा कि इस ओर ध्यान दें। बातें वही रहनी चाहिये जो वास्तविक हों। बार-बार मेरे सामने यह बात सरकार द्वारा कही गयी कि मिल मालिकों को किस तरह से दबाया जाय, अभी माननीय मंत्री जी ने श्री ऊदल जी से प्रश्न किया था कि क्या किया जाय? यह बात जरा सोचने की है कि जब यह सरकार अपने को इतना कमजोर समझेगी और माननीय मंत्री जी जब अपने को इतना कमजोर समझने लगेंगे तो मिल मालिकों का बहुत दिमाग बढ़ जायगा और वे पैसे वाले होते हैं वे किसी तरह से भी मजदूरों के सामने झुकने को तैयार नहीं होंगे। अगर संविधान से कोई अड़चन पड़ती हो, या कहीं कोई कमजोरी आती हो तो सेंट्रल गवर्नमेन्ट द्वारा उसमें परिवर्तन करानी चाहिये ताकि मिल मालिकों को दबाया जा सके, और मजदूरों के खिलाफ अगर मिल मालिक ज्यादती करें या उनके साथ किसी तरह की जबरदस्ती करें, तालाबन्दी करें तो उनको मिल से अलग कर दिया जाय और मिल को बन्द कर के मजदूरों से कहा जाय कि वे सोसायटी आदि बना कर मिल को चालू करें तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मजदूर आधी मजदूरी लेकर भी उस मिल को चालू कर देंगे और तब मैं समझता हूं कि उस उद्योग को मिल मालिक मजदूरों से न छीन सकेंगे और मजदूरों पर किसी तरह का जुल्म व ज्यादती भी न हो सकेगी। साथ ही साथ इस तरह से मिलों का राष्ट्रीयकरण भी होता जायगा। इसलिये माननीय मंत्री जी से मैं कहूंगा कि वे इस तरफ पूरा ध्यान दें। अगर उनको संविधान की वजह से किसी तरह की दिक्कत महसूस हो तो सेंट्रल गवर्नमेन्ट से कह कर कोई उसमें संशोधन करावें ताकि इस तरह की ज्यादतियां बन्द हों। अगर यह चीज नहीं होती है तो मैं यही कहूंगा कि जैसे हाथी के दांत खाने के लिये और तथा दिखाने के लिये और होते हैं उसी तरह सरकार के भी हैं। मजदूरों के साथ जुल्म हो रहा है। सरकार दिखलाने के लिये चाहे जितना कहे कि वह मजदूरों के लिये सब कुछ कर रही है, लेकिन मिल मालिक जब कोई ज्यादती मजदूरों के साथ करते हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती है।

श्रीमन्, श्रमजीवी पत्रकारों के मामले भी हमारे सामने परसों आये थे। आपने देखा कि यह कितना अहम मामला है। वेजबोर्ड ने एक तरीका तैयार किया कि कुछ तनख्वाह श्रमजीवी पत्रकारों की बढ़े, लेकिन अखबार के मालिकों ने किस तरह से पैंतरेबाजी बदली और वे उससे बचकर अलग हो गये। कितने अफसोस की बात है कि सरकार एक कानून बनावें और उससे पूंजीपति अपने को बचा लें और सरकार उनके खिलाफ कुछ भी न कर सके। मैं कहूंगा कि सरकार को चाहिये कि वह इस मामले को एक नेशनल ट्रिब्यूनल के पास भेजने की सेन्ट्रल सरकार से सिफारिश करे और संविधान में ऐसा संशोधन करे कि यदि मिल मालिक या अखबार मालिक कानून के खिलाफ कोई काम करें तो उनके मील या उनका प्रेस जब्त कर लिया जाय। मैं कहूंगा कि वह प्रैस जब्त कर लिया जाय और श्रमजीवी पत्रकारों को दे दिया जाय, अमृतबाजार पत्रिका और अमृत पत्रिका प्रेस दोनों अखबारों का सम्पादन उनके जिम्मे दे दिया जाय और कहा जाय कि वे चलावें। अगर इस पत्र के मालिक कहते हैं कि नुकसान हो रहा है तो उनसे कहा जाय अच्छी बात है आप अलग हो जांय। श्रीमन्, ३०,००,००० रु० कमाने

[श्री अब्दुल रऊफ लारी]

वाला मालिक कहता है हमको नुकसान हो रहा है, हम प्रेस नहीं चलायेंगे, क्योंकि वह समझता है गरीब मजदूर मजबूर है जिस तरह से चाहेंगे हम उससे काम लेंगे । इस वक्त पत्रकारों का हमदर्द सिवाय सरकार के और कोई दूसरा नहीं है । अगर सरकार अपने को कमजोर कर देगी तो बड़ी मुसीबत होगी । अमृत पत्रिका और अमृत बाजार पत्रिका के मालिक एक मंत्री जी के पिता जी हैं । जब मंत्री के पिता की यह हालत रहेगी तो दूसरे मिल मालिक उनसे प्रोत्साहन पायेंगे मजदूरों को सताने में और कोशिश करेंगे, कहेंगे कि अपने घर का इंतजाम क्यों नहीं करते हो । इसलिये मैं मंत्री जी से कहूंगा कि यह मामला बड़ा गम्भीर है इस लांछन को अपने सिर से हटाना आवश्यक है । यह मैं मानता हूं कि डिप्टी मिनिस्टर साहब इसमें शामिल नहीं हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी के यहां न हों, दूसरे प्रान्त के हों मिनिस्टर हैं उसके वे पिता हैं .....

श्री उपाध्यक्ष---दूसरे प्रान्त के मंत्रियों से हम लोगों का क्या सम्बन्ध ? आप आगे कहें ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी---इसके अलावा सरकारी पक्ष से जो कारखाने चल रहे हैं उनके लिये मैं कहूंगा कि नमूने के तौर पर उनको पहले सामने आना चाहिये, वहां जो मजदूरों की तकलीफें हैं उनको दूर करके नमूना बन करके दूसरे मिल मालिकों के सामने आना चाहिए ताकि दूसरे मिल मालिक सबक सीखें और मजबूर हो करके उस रास्ते पर चलें । इन मामलात में मंत्री जी दिलचस्पी लें और मजदूरों के सहायक बनें, मिल मालिकों के नहीं ।

अभी वैद्य जी ने कहा कि लिस्ट पेश करें कि कहां गोली चलीं, कहां डंडे चले ? मेरे ख्याल में उनको पता होगा, सदस्य होने के नाते, कानपुर में इधर कई सालों से लगातार यह झमेले हो रहे हैं, लाठी चार्ज भी हुआ है, गोली भी चलती रही है, मिलों में तालाबन्दी भी हुई है । इसको मान कर मंत्री जी को मजदूरों की तरफ सहयोग देना चाहिये ।

अभी चन्द दिन का मामला है जब रामपुर के हमारे गणेशदत्त जी वाजपेयी ने अनशन किया था और अब तोड़ा है । हमारी समझ में नहीं आता अगर मजदूर हड़ताल करते हैं तो कहा जाता है हड़ताल क्यों कर दी यह नाजायज है । मजदूर लीडर अनशन करते हैं तो कहा जाता है कि यह गलत है । आखिर कौन सा तरीका है जिससे मजदूर की तकलीफों को सरकार के सामने रखा जाय ? सीधे सीधे पत्रों के जरिये, प्रस्तावों के जरिये, मीटिंगों के जरिये अगर सरकार से कहा जाता है तो उसके कान पर जूं नहीं रेंगती । अभी तीन आदमी अनशन कर रहे हैं । दिल्ली में श्री शिब्बनलाल सक्सेना, और लखनऊ में श्री मदन पांडे और ठाकुर मुकुन्दसिंह, जिन्होंने कल अनशन तोड़ा है यह वह हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में १६ साल तक जेल भुगती । आज ६२ वर्ष की अवस्था में अनशन किया और शुरू दिन से ही कै होती रही, मुंह से खून गिरता रहा और बुखार रहा, लेकिन सरकार पर जूं नहीं रेंगी । ख्याल नहीं हुआ कि कोई देश का हितैषी मर रहा है, प्राण दे रहा है तो क्यों दे रहा है ? मैं कहूंगा कि सरकार जहां मजदूरों का बहुमत है, जिस यूनियन के पक्ष में हैं वहां वोट कराके उन यूनियनों को माना जाय । मजदूरों की अदालतें कायम करके उनके मामलात देखने के लिये दिये जायें और वह जो फैसला करें वह मान्य हो । सन् १९५१ से आज तक जितने मजदूर गैरकानूनी तरीके से निकाल दिये गये हैं उनके मामलात देखे जांय और उनको मजदूरी और रोजी दी जाय ।

अब मैं मान्यवर, आपके द्वारा मंत्री जी से बीड़ी मजदूरों की तरफ से यह कहूंगा कि इस प्रान्त में बीड़ी मजदूर बहुत काफी तादाद में हैं, लेकिन उनके लिये आज तक कोई नियम, कानून इस किस्म का नहीं बना है जिससे उनको भी राहत हो सके वह जाने कि स्वराज्य हो गया है या कल्याणकारी सरकार अपने देश में है । बहुत हमदर्दी किये मंत्री जी ने तो उन्हें हफ्ते में एक रोज की छुट्टी उनको करायी उसमें उनको क्या मिलना है ? उनको क्या नफा हुआ ? उल्टा छुट्टी में नुकसान हुआ उनका । मजदूरी उस दिन की गायब हुई, उनके बच्चे उस दिन उपवास करते हैं । बहुत कम मजदूरी रक्खी गई है । मैं निवेदन करूंगा कि बीड़ी मजदूर

की तरफ ध्यान दिया जाय। उनकी न्यूनतम मजदूरी तय कर दें और जैसी रियायतें और मजदूरों को मिलती है वह इन्हें भी मिलें। बिहार में जो मिल मजदूर रियायत पा रहे हैं, मंहगाई पा रहे हैं, भत्ते पा रहे हैं, कम से कम उतना तो इस प्रान्त के मिल मजदूरों को दिलाया जाय।

श्री नारायणदास पासी (जिला फैजाबाद)---उपाध्यक्ष महोदय, हमारे इस उत्तर प्रदेश में १,४७५ कारखाने हैं और इनमें २ लाख ४२ हजार ५१९ मजदूर काम करते हैं। इसके अलावा ३,४८८ स्त्रियां भी इसमें काम करती है। हमारे चीनी मिल के मजदूरों ने सन् ५६, ५७ और ५८ में क्रमशः ९ लाख ९ हजार टन, १० लाख ८० हजार टन और ९ लाख ४२ हजार टन चीनी पैदा की है। सूती मिल के मजदूरों ने सन् ५५ में ३१ करोड़ ६४ लाख २८ हजार गज कपड़ा, सन् ५६ में ३८ करोड़ १६ लाख १२ हजार गज कपड़ा सन् ५७-५८ में ४० करोड़ ६९ लाख ८३ हजार गज कपड़ा पैदा किया। इसके अलावा उन्होंने सन् ५५ में १० करोड़ ४८ लाख ४२ हजार पौंड सूत, सन् ५६ में १२ करोड़ ८५ लाख ८ हजार पौंड, और सन् ५७ में १३ करोड़ ७५ लाख ६३ हजार पौंड सूत पैदा किया। इस तरह से इस प्रदेश क मजदूरों ने, जो आंकड़े मैंने दिये हैं उनसे साबित होता है कि अपना कर्त्तव्य उन्होंने पालन किस तरह से किया है। आप यह देखें कि हमारे इस प्रदेश की सरकार का एक अरब १९ करोड़ रुपये का बजट है और उसमें से हमारी सरकार डेढ़ करोड़ रुपया छः साढ़े छः करोड़ आदमियों को देखते हुए जन कल्याणकारी कार्य के साथ, मजदूरों के लिये क्वार्टरों वगैरह के लिये कुछ खर्च कर रही है, और उनको कानून आदि से भी फायदा पहुंचा रही है। मैं इसके लिये धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन आपको दूसरी तरफ भी देखना चाहिये।

श्रीमन्, कानपुर में बड़े सेठ हैं, पूंजीपति है, उनके इस साल के बजट को देख ले तो हमारी सरकार के बजट से उनका कम नहीं है; ऐसी दशा में भी वह मजदूरों के लिये क्या भलाई करते हैं यह मानवता का सवाल है। अगर समाजवादी समाज बनाना है तो मजदूर, खेतिहर मजदूर और किसान आदि सभी प्रदेश व देश की उन्नति में बुनियादी चीजें समझी जायेंगी। मैं श्रीमन्, १२ वर्ष तक सूती मिल का दक्ष मजदूर रह चुका हूं। बिड़ला जी के मिल में कलकत्ता में ६-७ वर्ष और जुग्गीलाल कमलापत मिल के यहां भी ५-६ वर्ष काम किया है। अपने मजदूरों के डिप्टी मिनिस्टर साहब से मैं कहूंगा कि मेरे साथ चलें, अथवा खुद जांय। ब्लू रूम या भूतघर में, ग्राइंडिग में, स्लाविग, इन्टर या रोविंग में अथवा, वीविंग विभाग में जांय और जाकर देख लें कि दो-चार डिपार्टमेन्ट तो ऐसे हैं कि अगर नाक बंद न की जाय, अगर वहां का मजदूर मुंह को, आंखों को छोड़कर, ढाके न रक्खे तो बीमार हो कर मर जाय। वहां रुई गर्द आदि से बहुत धुंआ उड़ता है। उनके लिये क्या इंतजाम है? मैं अपनी खुद मिसाल देता हूं। जे० के० काटन मिल में ६० नम्बर का सूत का ताना सर्वप्रथम मुझे बनाना था। हाथ में रख दिया जाय सूत तो उड़ जाय। १० हजार बार हमें चलाना था। सात दिन के अन्दर हमने मर-खप-कर बनाया। तीन दिन लगातार मुंह से खून गिरता रहा बेहद परिश्रम से मेरी दशा बिगड़ गई। तब डेढ़ महीने की छुट्टी मिली और बड़ी मुश्किल से १० आना रोज पाये जब कि २, ३ रुपया रोज मैं कमाता था। मेरा कहना है कि जो रेट बने हुये हैं ठेके के सूती मिल मजदूरों के वे ठीक नहीं है मंत्री जी कृपा कर इस तरफ ध्यान दें कि काम न मिलने से मजदूर बैठे रहते हैं, उस हालत में बाल-बच्चे उनके क्या खायें। इसलिये आप उनके वेतन को मासिक बनायें जैसे रेलवे में भी है और प्रदेश के अन्य विभागों में भी है और कारखानों में भी मिनिमन वेजेज ऐक्ट के अनुसार है। मंत्री जी ने भी कहा है कि चीनी मिल के मजदूरों को वेतन कम से कम ५५ रुपया दिया जाता है। इसलिये हम चाहते हैं कि सूती जूट तथा अन्य मिल के सम्बन्ध में भी सरकार का लक्ष्य कम से कम सौ रुपया मासिक होना चाहिये और मानवता की भी यह पुकार है कि उनको ऐसे रेट्स बनाने के लिये मजबूर किया जाय ताकि वह गरीब मजदूर अपनी हालत को सुधार सकें और देश के लिये अच्छा उत्पादन कर सकें। बिना इस तरह का सुधार किये कारखाने का मजदूर तबाह रहेगा और वह तरक्की नहीं कर सकेगा। उनकी हालत बहुत ही खराब है,

[श्री नारायणदास पासी]
आप कानपुर में जा कर देखें जो सब से बड़ी जगह उनके रहने-सहने के लिये है, वहां पर उनकी हालत बहुत ही खराब है जैसे कीड़े-मकोड़े रहते हैं वह रहते हैं, किस तरह से वह गन्दगी में पड़े रहते हैं कहीं क्वार्टर का ठिकाना नहीं है। उनको पड़े देख कर आप कह सकते हैं कि अपना गम गलत करने के लिये वह स्प्रिट तक पीते हैं, उनकी हालत देख कर ही मालूम होता है कि वह कितने दुखी हैं, वह पशुओं से भी बुरी हालत में रहते हैं। अगर उन से पूछा जाय कि क्या हालत है तो एक शेर मुझे याद आता है कि:--

"रंजो गमो फिराक में जो मुबतला रहे,
दुनिया में जिसे जिन्दगी का कुछ मजा नहीं।"

अगर कोई उससे पूछे कि क्या हाल है तो वह कहेगा कि यही बेहाली अपना हाल है। सूती व जूट मिल मजदूरों को सरकार ने कई बार आश्वासन दिया, लेकिन इन हजारों ठेके पर काम करने वाले मजदूरों का कोई अबतक वेतन नहीं तय हुआ। अगर कम से कम सौ रुपया वेतन कायम किया जाय तो काम भी ज्यादा होगा और मजदूर को भी तरक्की करने का मौका होगा।

अब खेतिहर मजदूरों का भी यही हाल है, आप किसी गांव में जांय चाहे प्रदेश के पूर्व में जांय या पश्चिम में जांय, हमारे यहां ४३ लाख परिवार ऐसे हैं कि जिनके पास न खेती है न कोई काम है और वह दूसरों के खेतों में साल में ४-६ महीने काम करते हैं, उनके पास अपने खेत नहीं हैं, लेकिन काम करने वाले वही हैं। उनके पास जो भी थोड़ी बहुत खेती थी वह भी नहीं रही, जबरदस्तों ने छीन लिया, उनका श्रम बेकार जाता है। सरकार की तरफ से उनके लिये एक रुपया मजदूरी मुकर्रर हुई लेकिन वह भी उनको नहीं मिलती है। उनको तो आजकल की मंहगाई के जमाने में भी ४-६ आना मजदूरी मिलती है तो आप सोच सकते हैं कि वह ४ आना में क्या करते होंगे। इसके अलावा जहां पर मजदूर रहते हैं वहां पर अब वन विभाग ने तार लगा दिया है या गांव समाज ने रोक लगा दिया है कि जिससे वह घास, पत्ते या लकड़ी नहीं ले सकते। कार्य करने की क्षमता उनकी किसी से कम नहीं है, जर्जर होते हुये भी वह हमारे समाज की रीढ़ हैं लेकिन वह हजारो वर्ष से गुलामी की हालत में गुजर कर रहे हैं और वह आज भी शोषण करने वाले समाज के लोग उनकी तरफ नहीं देख पाते हैं। जिनके वंशजों ने उनका शोषण किया है, उनको तबाह किया है उनमें अब भी उनके लिये कोई सद्भावना पैदा नहीं हो पाती। गांधी जी ने इसी वर्ग की दशा सुधारने के लिये कई बार उपवास किये थे। यह वर्ग देश और प्रदेश की रीढ़ है, आज हमारा मजदूर किसान और हरिजनवर्ग इस बुरी अवस्था में पहुंचा है, जिसने जीवन पर कठिनाइयां उठाई हैं, जो काम करना जानता है और किसी भी गिरी दशा में जो उफ नहीं करता, लेकिन मैं आप से कहे देता हूं कि उसने हमेशा देश और प्रदेश के लिये भूखों मर कर भी अपने कर्त्तव्य का पालन किया है, करता रहा है और करता रहेगा और वह इस विश्वास पर करता जा रहा है कि एक दिन सरकार हमारी सुनेगी और हमारे लिये कल्याण के काम करेगी और हमारे दुखों का निवारण होगा।

इन शब्दों के साथ धन्यवाद करता हूं अपने मंत्री महोदय को कि उन्होंने श्रम के लिये जो थोड़ा बहुत कदम उठाया है वह प्रशंसनीय है, लेकिन इससे कोई लाभ नहीं होने का है। आपके लक्ष्य ऐसे हैं कि जब तक बड़े-बड़े कदम नहीं उठायेंगे वह पूरे नहीं होंगे, बरसों लग जायंगे। मैं बजट का समर्थन करता हूं।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान में भगवतीसिंह जी विशारद द्वारा प्रस्तुत किये गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। आज के युग में संसार में दो प्रकार की व्यवस्थाएं साथ-साथ चल रही हैं--पूंजीवादी तौर से समाज का विकास और समाजवादी तौर से समाज का विकास। मुझे कहने में यह हिचक नहीं है कि आज की सरकार बिलकुल समाजवादी नहीं रह गयी है। जैसा कि माननीय मंत्री जी के भाषणों से समय-समय पर प्रकट होता है, उस प्रदेश की जनता द्वारा

सरकार को, मंत्री जी को इतना शक्ति सम्पन्न बनाये जाने पर भी आज इस तरह की बातें कही जाती है कि सरकार असमर्थ हैं, कमजोर है, मिल-मालिकों को दबाने में और मजदूरों की भलाई करने में, तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं यही निवेदन करूंगा मंत्री जी से कि आप अपनी नीति में बुनियादी परिवर्तन करें।

मैनुअल लेबर का जहां तक सवाल है, यदि शारीरिक परिश्रम करने वालों के सम्बन्ध में सरकार की नीति मूलतः नहीं बदलेगी तो समाजवादी समाज की स्थापना नहीं हो सकेगी। आज जो सरकारी नियंत्रित उद्योगों के मजदूर हैं और व्यक्तिगत तौर पर जो कारखाने चलाये जा रहे हैं, मजदूरों में जो भेद-भाव किया जा रहा है सरकार की तरफ से वह भी देश के लिये कलंक की बात है। व्यक्तिगत तौर पर चलाये जाने वाले कारखानों के लिये २ चीजों की जरूरत है। एक तो उनके कारखानों का बना माल बाजारों में बिक सके और उनके कारखाने चलाने के लिये बेकारों की संख्या बढ़ी रहे। इस सरकार के ११ वर्ष के शासन के बाद भी बेकारों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है, कोई कमी नहीं आयी है। अभी एक सदस्य ने कहा कि अन्य प्रान्तों से हमारी सरकार ने मजदूरों के सम्बन्ध में अधिक काम किया है। इस सम्बन्ध में मैं केवल इतना कहूंगा कि दक्षिणी भारत में जहां ७० रुपया प्रतिमास मजदूर वेतन मिलता है वहां आज भी ५५ रुपया यू० पी० में मिलता है। जबकि बिहार के चीनी के कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की अवधि कम होते हुए साथ ही बोनस सरकार देती है और यहां सरकार नहीं देती है और कहने के लिये कहा जाता है कि हमारी सरकार काफी तरक्की कर रही है।

इसके साथ ही आप जानते हैं कि जो मजदूर लोकल संस्थाओं में काम करते हैं, जो पी० डब्ल्यू० डी० में काम करते हैं, जो कामर्शियल मजदूर हैं उनके लिये आपने कौन सी नीति अख्तियार की है। जब आप उनका मामला मजदूर अदालत में भेजने के लिये तैयार नहीं होते। हड़ताल, अनशन सब गैरकानूनी मानते हैं, तब आप मजदूरों की मांग कैसे मंजूर कर सकते ह, उनके लिये आप क्या रास्ता छोड़ रहे हैं? इसके साथ ही जहां पर सरकारी नियंत्रित कारखाने हैं, वहां के मजदूरों के मामले सरकार जान-बूझकर मजदूर अदालत में जाने से रोकती है और मजदूर आज यह महसूस करता है कि व्यक्तिगत कारखानों और सरकारी कारखानों के मजदूरों में जो असमानता है और सरकार का नियंत्रण मजदूरों पर धीरे-धीरे अधिक बढ़ रहा है और पूंजीपतियों पर कम हो रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कहा गया है कि हम मिनिमम वेजेज ऐक्ट लागू करने जा रहे हैं। उसके संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी तक माननीय सदस्य ने यह कहा कि सहकारी खेती होने जा रही है उससे मजदूरों की मुसीबत हल हो जायेगी। मैं कहना चाहता हूं कि सहकारी खेती के आधार पर भी हम बेकारी की समस्या को हल नहीं कर सकेंगे। हरिजनों के बारे में भी कहा गया है। तो ११ वर्ष की स्वाधीनता के बाद भी आज नतीजा यह है कि न उनको कोई भूमि दी गई है और न उनकी जीविका के लिये कोई सुदृढ़ व्यवस्था है। जब १२ वर्ष के अन्दर सरकार जोतने के लिये उनको खेत तक नहीं दे सकी तो यह विश्वास उठा दीजिये कि सरकार हरिजनों के लिये कुछ करने जा रही है।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि अगर आप बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम खेत का बटवारा कीजिये। साथ ही जो मिलों में काम करने वाले हैं उनके काम करने के घंटे कम कीजिये और दो शिफ्ट मजदूरों का कर दीजिये। जहां कहीं भी समाजवादी व्यवस्था है वहां इसी तरह से काम दिया जा रहा है और यही तरीके अपनाये जा रहे हैं।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)-सदन में शोर बहुत हो रहा है और स्पीच सुनाई नहीं पड़ती। इसलिये लोग शांत रहें तो बहुत अच्छा हो।

श्री ब्रजनारायण तिवारी---हमारे जो नवयुवक मंत्री जी इस विभाग के हैं वे जब मिनिस्टर नहीं थे तो कहते थे कि अगर कोई विभाग सबसे बुरा है तो वह लेबर विभाग है, लेकिन आज चूंकि मंत्री हो गये हैं इसलिये दूसरा हिसाब है। मैं यह समझने लग गया हूं कि हर आदमी जब अधिकारी होता है तब उसकी नीयत बदल जाती है। इसी सदन में यह रिपोर्ट पेश करते हुए कहा गया था कि यह समझ में नहीं आता कि मजदूर जो मजदूरी पाता है उसमें वह कैसे जिन्दा रहता है। बहुत सी कमेटियां तो आप इसके लिये बनाते भी रहते हैं। भाटिया कमेटी, निम्बकर कमेटी सब ने यही कहा। इसके अलावा आई० एन० टी०यू०सी० की एक सभा में जिसमें दो मिनिस्टर श्री नन्दा साहब और खांडू साहब भी थे उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया था कि उनके वेतन में २५ प्रतिशत वृद्धि की जानी चाहिये लेकिन यह सब होने के बावजूद भी सरकार कुछ करने के लिये तैयार नहीं है। इसका कारण केवल एक है कि वह धीरे-धीरे वह पूंजीवादी चक्कर में फंसती हुई चली जा रही है और उसके दबाव में पड़ती जा रही है।

इसी प्रकार जहांतक मजदूरों के जीवन स्तर का सवाल है उनकी बहबूदी का सवाल है उसमें भी सरकार पीछे रहती है। मैं एक बात और कह दूं कि अंग्रेजी जमाने में पी० डब्ल्यू डी० के मजदूर कर्मचारियों को जो साढ़े ३३ रुपये वेतन मिलता था। आज भी उनको वही वेतन मिल रहा है।

एक बात यह और है कि वेलफेयर आफिसर जो आप मजदूरों के भले के लिये मुकर्रर करते हैं वह अधिकांश मजदूरों की मदद नहीं करते हैं बल्कि मिल मालिकों की मदद करते हैं। जहां पर आई०एन०टी०यू०सी० जो एक सरकारी संगठन है और मिल मालिकों का पुछल्ला है उसके सिलसिले में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। देवरिया में छितौनी मिल है वहां पर उनकी नियुक्ति हाल ही में की गयी है, किन्तु श्रीमन् उनको एक चार्ज लगाकर अलग करने की बात सुनी गयी है। वहां के उद्योगपति कांग्रेस के बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति हैं और कांग्रेस के टिकट पर ही विधान परिषद के मेम्बर हैं। वहां पर अगर मजदूरों का कोई स्वतंत्र संगठन पनप सके तो इस सरकार के लिये यह बात दुख की होगी। इसलिये केवल यह चार्ज उस वेलफेयर अफसर पर है कि वह विरोधी मजदूरों के संगठन में सहयोग करते हैं। अब इसके लिये कोई लिखित प्रमाण तो नहीं है, हो सकता है, वह भी इंसान है, कि किसी मजदूर से बात करते हों या अन्य प्रकार से उनसे कोई सम्पर्क हो लेकिन केवल इसी एक बिना पर उनको अलग करना उचित बात नहीं है। मैं तो यह कहूंगा कि वह मिल एक प्रकार सरकार द्वारा ही चलायी जा रही है क्योंकि सरकार का एक अंग ही उस मिल का मालिक है। तो इससे एक अन्दाजा हो सकता है कि यह सरकार कहां जा रही है।

एक बात और कहनी है कि जो मजदूर यह जाहिर करता है कि आई०एन०टी०यू०सी० से उसका संबंध है उसका रजिस्ट्रेशन इसलिये जल्दी कर दिया जाता है ताकि जो स्वतंत्र संगठन है, जो जनतंत्र के लिये आवश्यक है, वह कमजोर पड़े और दूसरे मजदूरों के रजिस्ट्रेशन में इसलिये देर की जाती है ताकि उनको प्रतिनिधित्व करने का अवसर न मिल सके और वे अपनी मांगों के लिये लड़ न सकें।

एक बात रामपुर के कारखाने के बारे में कह दूं। जब मंत्री जी ने आश्वासन दिया था और उस पर गणेशदत्त बाजपेयी जी ने अनशन भंग किया था तो आज क्यों मजदूर निकाले जा रहे हैं और उनको सरकार रखवा नहीं रही है ? अगर सरकार साहस से काम ले तो ऐसा कोई मामला नहीं है जो हल न हो सके। लेकिन आज जो मिल-मालिक बोली बोलते हैं वही अगर सरकार बोलने लगे तो इस देश का कल्याण होना मुश्किल है। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। श्रम की हमारे प्रदेश में क्या सारे देश के लिये महत्वपूर्ण विषय है। देश में आजतक कहीं भी

श्रम की महत्ता नहीं समझी गयी जबकि इसकी बड़ी जरूरत है कि श्रम की महत्ता समझी जाय। आज दूसरे देशों में अगर हम देखें तो वहां श्रमिकों का बड़ा मान है चाहे वह झाड़ू लगाने का काम करता हो, चाहे कारखाने में काम करता हो, चाहे दूकान पर काम करता हो। हमारे देश में आज कलेक्टर साहब, वकील साहब, और एम०ए०, बी०ए० पास लोगों की कदर उनके एजुकेशन के नाते से है, उनके श्रम के नाते से नहीं, लेकिन जबतक काम करने वालों की कदर इस देश में नहीं होगी तब तक देश में समानता का अभाव ही रहेगा। इसलिये मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं कि वे किसी भी तरीके से इस खाई को दूर करने की कोशिश करें। देश में फैक्ट्रीज में काम करने वालों की कुछ कद्र हुई, उनके लिये कानून बने कि मजदूरों के अधिकारों की सुरक्षा की जाय। उनके वेतन, काम के घंटे तथा अन्य कुछ बातों पर विचार हुआ उनको कुछ सुविधायें मिलीं सरकार की ओर से कानून और मिल मालिकों को वह सुविधायें मजदूरों को मजबूरन देनी पड़ीं, लेकिन इन सुविधाओं के बावजूद भी आवश्यकता है कि उनको स्वास्थ्य तथा शिक्षा के नाते और सुविधायें दी जायं। दूसरा हिस्सा हमारे खेतिहर मजदूरों का है। उनका उत्पादन में काफी भाग रहता है, लेकिन उनकी तरफ कोई तवज्जुह नहीं दी जा रही है और इसके अलावा अन्य मजदूर जो संस्थाओं में काम करते हैं उनको भी कुछ सुविधायें मिलीं। इन मजदूरों को कोई सुविधा नहीं मिली जिससे परेशान हैं। आज उनका जीवन स्तर ऊंचा नहीं हुआ है और बेकारी भी काफी बढ़ रही है। इनकी हालत उद्योग धंधों से सुधर सकती है अगर इनको अपनाया जाय। इनकी कदर तब होगी जब इंसान को इंसान के नाते इंसान समझा जायगा और वर्ग का भेद भाव समाप्त होगा। जब यह समय हमारे देश में आयगा तभी श्रम की महत्ता समझी जायगी।

देहाती मजदूरों की बात किसी से छिपी हुई नहीं है। उनके पास रहने के लिये मकान नहीं है, उनकी शिक्षा का कोई विशेष प्रबन्ध नहीं है और जहां तक कि उनके स्वास्थ्य का भी कोई विशेष प्रबन्ध नहीं है। उसको कोई सुविधा नहीं मिली हुई है और यह उस समय तक नहीं मिलेगी जब तक कि वह संगठित नहीं हो जाता। अब वह कैसे संगठित हो? ५० एकड़ वाले लोग खेतों पर जो खेती करते हैं उनके ऊपर मिनिमम वेजेज ऐक्ट लागू किया जाय ताकि देहाती मजदूरों को भी कुछ सुविधा मिल सके। उनको २६ रुपये माहवार या एक रुपये प्रतिदिन जो मजदूरी मिलती है उसमें भी कुछ वृद्धि होनी चाहिये और जब यह होगा तभी उनका जीवन स्तर कुछ ऊंचा हो सकता है।

जब तक मजदूर किसी काम में यह नहीं समझेगा कि यह उसी का काम है और उसे कोशिश करके करना चाहिये और जब तक वह श्रम नहीं करेगा तब तक उसको श्रम का मूल्य नहीं मिलेगा तब तक वह अपनी पूरी शक्ति लगाकर काम नहीं करेगा। आजकल स्थिति यह है कि मिल मालिक अन्य मालिक यह कोशिश करता है कि वह मजदूर को मजदूरी कम दे और मजदूर यह कोशिश करता है कि उसे काम कम या न करना पड़े तो इससे क्षति दोनों को पहुंचती है और विशेषकर देश की बड़ी भारी क्षति होती है क्योंकि हमारा उत्पादन कम होता है। कोशिश इस बात की होनी चाहिये कि किसी भी काम में श्रमिक को यह विश्वास होना चाहिये कि यह उसी का काम है तभी वह काम कर सकता है। उनके स्वास्थ्य के लिये इन्तजाम किया जाय। उनके लिये लीगल एडवाइजर्स का प्रबन्ध कर दिया जाय तो शायद उनकी दिक्कतें हल हो सकें। आज उनके लिये कोई विशेष प्रबन्ध नहीं है। अगर खेत पर काम करने वाला मजदूर काम करते करते अगर मर जाय तो कोई पुरसां हाल नहीं है। उसके काम के घंटे भी निर्धारित नहीं हैं। छुट्टी का भी कोई प्रबन्ध नहीं है। अगर एक दो रोज के लिये रिश्तेदारी में चला जाय तो उनका वेतन भी कट जायगा। १०-१५ रुपया महीना या पश्चिमी जिलों में २०-२५ रुपया महीने से ज्यादा तनख्वाह नहीं है। इसमें क्या वह गुजर कर सकता है? मैं आशा करूंगा कि माननीय मंत्री जी इस

[श्री रामदास आर्य]
तरफ गौर करेंगे कि हमारे प्रदेश में कितने मजदूर हैं। उन्हें कितना काम दिया जाय। सबसे बड़ी बात यह है कि इस श्रम के महत्व का मान करना है। अगर कोई स्वीपर का काम करता है वह चाहे डाक्टरेट कर ले, लेकिन उसकी समाज में कितनी इज्जत होती है अगर इंगलैन्ड में कोई सफाई का काम करता है तो उसकी इज्जत होती है। मैं इन बातों को मंत्री जी के सामने रखूंगा और समाज के उन नेताओं से अपील करूंगा जो कि श्रमिकों से हमदर्दी रखते हैं कि वह इस बात का ध्यान रखें कि श्रम की महत्ता समाज स्वीकार करे। इन शब्दों के साथ अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जब श्रमिकों की समस्या पर माननीय मुख्य मंत्री जी का भाषण हो रहा था तो उस समय मैं आशा करता था कि जहां इस प्रदेश में तमाम वर्ग के श्रमिकों के ऊपर कुछ कल्याण केंद्र खोले गये हैं, किसी को कुछ मजदूरी बढ़ायी है, अधिक न सही तीन रुपये ही सही, तो उस समय कृषि कार्य में लगे हुए मजदूरों के संबंध में वह कुछ न कुछ अपने विचार जरूर व्यक्त करेंगे। अधिक नहीं तो कम से कम उनकी दिक्कतों पर जबानी सहानुभूति ही प्रदर्शित करेंगे लेकिन इन तीन वर्षों की रिपोर्ट को जो कि मैंने दो वर्षों में देखा है मैंने उनमें देखा कि किसी का प्रतिशत कुछ हो गया है किसी का कुछ बढ़ गया है लेकिन जहां तक कृषक मजदूर का संबंध है डेढ़ पन्ना १९५६ की रिपोर्ट में, डेढ़ पन्ना १९५७ की रिपोर्ट में, और जो आज सामने रिपोर्ट रखी है वही अक्षरशः छाप दी गयी है कि १९४८ में १२० गांव छांटे गये। और मजदूरों की हालत का पता लगाया। उस हिसाब से एक रुपया प्रति दिन प्रति पुरुष, २६ रुपये मासिक और बालकों को १० आने और १६-१४ आने मासिक मजदूरी निर्धारित कर दी गयी। मैं पूछना चाहता हूं कि जब थोड़े से समय में महंगी इतनी बढ़ गयी है, सरकारी आंकड़ों के अनुसार कानपुर में ३० रुपये वेतन पर ६३ रुपये महंगाई दे रहे हैं उद्योग के मजदूरों को। तो क्या कृषि के मजदूर किसी भी तरह की महंगाई के अधिकारी नहीं हैं? क्या सरकार ने उनके लिये कोई कम्युनिटी फार्म्स खोले हैं जहां से उनको गल्ला मिलता है? इस प्रकार गांव की मजदूर समस्या के साथ इस सरकार ने बहुत अच्छा मजाक किया है। मिनिमम मजदूरी की बात देखिये। इस प्रदेश की सरकार का नियम है कि कोई भी व्यक्ति अपने नाम में ३० एकड़ से ज्यादा भूमि नहीं ले सकता ह और न्यूनतम मजदूरी का कानून ५० एकड़ से लागू होता है। तो मिनिमम वज की समस्या आगे उठती ही नहीं। जिसमें कि यह सरकार द्वारा लिखी हुई बात है कि इसके द्वारा ३० एकड़ के कृषक के ऊपर वृहत् जोतकर लगा हुआ है। वह कृषक जो ऐसे कर दे सकता है जो कि लगान के अलावा है वह कृषक अपनी भूमि पर उस मेहनत करने वाले मजदूरों को क्या मजदूरी नहीं दे सकता? लेकिन यह समाजवादी सरकार अपने को असमर्थ पाती है उन मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दिलाने में। और इस ओर से और उस ओर से बड़े जोर की घोषणा की जाती है कि यह प्रदेश ही कृषि प्रधान प्रदेश है। यहां उद्योग अभी विकसित नहीं हुआ है यहां मुख्य रूप से कृषि ही उद्योग है और इसे विकसित नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हमारे सामने भुखमरी की समस्या है और वह भुखमरी की समस्या भीषण रूप से उस मजदूर के पास आती है जिसके पास एक बीघा भूमि नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं देखें कि इस सरकार ने इतने लम्बे काल में सन् १९४८ से लेकर आज तक कुछ नहीं किया है। मुख्य मंत्री जी ने आज घोषणा की कि कुछ कल्याणकेंद्र खुलने वाले हैं जिसमें कि मजदूरों के मनोरंजन की भी व्यवस्था है। इस संबंध में एक प्लानिंग विभाग द्वारा छपी हुई पुस्तिका, अगर उपाध्यक्ष महोदय की आज्ञा हो तो जिसमें कि कुछ गांव के लोगों के मनोरंजन की व्यवस्था थी, का एक चुटकुला पढ़ कर सुना दूं। इसमें लिखा है एक बार नेहरू जी और सरदार बलदेव सिंह एक वायुयान में जाने वाले थे

श्री उपाध्यक्ष---कौन सी किताब आप पढ़ रहे हैं?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद---"ग्राम युवक मनोरंजन" पुस्तिका का नाम है जो सरकार की ओर से छपी है। यह विकास अन्वेषणालय उत्तर प्रदेश नियोजन विभाग की है और इसमें प्राक्कथन के रूप में लिखा है कि मुझे आशा और विश्वास है कि विभिन्न अवसरों पर प्रयोग के लिये युवकगण इस पुस्तक को विशेष उपयोगी पायेंगे और प्रभावित होंगे। उसमें की एक मिसाल पढ़ दूं।

तो नेहरू जी के साथ सरदार जी भी वायुयान में चढ़ने लगे। पंडित जी ने कहा 'वेट प्लीज।' सरदार जी ने कहा---'वन हन्ड्रेड सिक्सटी पाउन्ड्स।'

उपाध्यक्ष महोदय, बेचारा गांव का रहने वाला 'वेट प्लीज' के माने नहीं जानता। मंत्री जी को और सदन के सदस्यों को जरूर इस समय मजा आ गया। कहने का अर्थ यह था कि जब यह तमाम केंद्र खुल रहे हैं तो इसमें जो चुटकुले दिये हैं मनोरंजन के वह ज्यादातर सरदार जी के ऊपर आक्षेप हैं और शायद पंजाब में छपता तो पंजाबी भाइयों से क्षमायाचना के साथ कहता हूं कि उन्हें कुछ मजा आ जाता और ऐसे ही गेंदा काट कर मारना दिखाया है। तो इन मनोरंजन के बजाय यदि मंत्रियों की इसी प्रकार जो विशेष योग्यता है उनको छाप दिया जाय तो जनता उनके नाम भी जान लेगी। इनके नाम भी जनता नहीं जानती।

श्रम उप-मन्त्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)---लेबर बजट पर नहीं है।

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद---हां, तो आखिर वहां पर सरकार का कुछ कंट्रोल है। सरकार की कुछ अपनी बात भी है जिससे वह अपने अधिकारों को वहां लागू करा सके। तो जैसा मैंने बताया ५० एकड़ से जो अधिक के फार्म हैं कुछ तो सरकार ही उनको समाप्त करने वाली है और जो हैं उनमें यह स्थिति नहीं है। मैं अपने जिले का जहां रहता हूं और प्रदेश के और जिलों का सन् १९४८ के बाद, दौरा किया और देखा। तो जैसा माता प्रसाद जी ने कहा सवा सेर प्रति दिन गन्ने की गुड़ाई में उनको मिलता है। यहां पर पूर्वी जिलों के बहुत से लोग हैं। वह इस बात को जानते हैं। तो उन मजदूरों के भरण-पोषण का क्या प्रबन्ध है। उनको आपके सहकारी बैंकों से रुपया भी उधार नहीं मिलता है। रही इंडस्ट्रीज के मजदूरों की बात वह आप की लाल बत्ती की वजह से छूट ही रहे हैं। उसमें एक बात माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ ९४ को वह देख लें। उसमें लिखा है कि शिक्षित बेकारों की हालत ठीक नहीं है। प्रत्येक २१ व्यक्ति में से जो काम चाहते हैं १ व्यक्ति से अधिक को काम नहीं दिया जा सकता। तो यह हालत है शिक्षित बेकारों की कि २१ में से एक व्यक्ति को काम मिलता है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना आप की चल रही है और इंडस्ट्रियल प्लानिंग है। इसी सम्बन्ध में पत्रिका की बात आप सब को मालूम है। इन ६०० परिवारों की समस्या मन्त्री जी के द्वारा बनाये गये कानूनों के अन्तर्गत दी गई व्यवस्था की मांग करने के कारण ही उत्पन्न हो रही है।

(इस समय ३ बज कर ३६ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

जिन परिवारों को आज मिल मालिक अपने उद्योग में से इस प्रकार निकाल रहे हैं, उन पर अत्याचार कर रहे हैं उस ओर भी हमारी आज की सरकार कोई ध्यान देने योग्य काम नहीं कर रही है। उसको इतनी चिन्ता नहीं है। कोई उसके पास इनके लिये सुझाव नहीं है। हर एक समय सरकार की ओर से एक अजीब सा नारा आता है, एक नया नारा आता है लेकिन जो आज की स्थिति है उसमें किस प्रकार श्रमिकों को अधिक सुविधा मिल सके, कानपुर और दूसरे बड़े-बड़े नगरों की सड़ी गली गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों के आवास इत्यादि की व्यवस्था किस प्रकार हो, उनके बच्चों का किस प्रकार सुधार हो, इसकी कोई सरकार के पास व्यवस्था और सुझाव नहीं है। रोजगार देने में असफल, जिनको मिल जाय उनको संरक्षण देने में असफल।

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय श्रम मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी हमारे एक साथी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य कह रहे थे कि इस सरकार की श्रम नीति पूंजीवादी समर्थक नीति है। मैं उनसे कहूंगा कि वह केरल की जो कम्युनिस्ट सरकार है उसकी लेबर नीति की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दें तो उनको पता चलेगा कि वहां की सरकार की जो नीति है वह कहां तक वहां के मजदूरों की समर्थक है। अभी पिछले दिनों वहां पर जो समझौता हुआ वहां के मिल मालिकों से उसमें वहां की सरकार ने यह समझौता किया कि मजदूरों को बोनस नहीं देंगे। मजदूरों को वेतन की वृद्धि नहीं करेंगे और उत्पादन अगर वहां पर थोड़ा भी कम हो जायगा तो वहां के मजदूरों को बरखास्त कर दिया जायगा। तो इस प्रकार से जब हम वहां को देखते हैं और उसके साथ ही साथ हम अपने प्रदेश की नीति को देखते हैं तो उससे हम कहीं आगे हैं। यहां पर बोनस दिलाने के लिये, वेतन वृद्धि के लिये मजदूरों को आवास के लिये इन सब चीजों की सुविधा यहां पर प्राप्त है, जब कि वहां पर ये सुविधायें तो अलग रहीं बल्कि मजदूर की जो प्रारम्भिक मांगे हैं, जो प्रारम्भिक सुविधायें हैं वही मिल मालिक देने को तैयार नहीं हैं और उन मिल मालिकों की शर्तों को सरकार ने स्वीकार कर लिया तो उस तरफ तो देखना नहीं चाहते।

दूसरी तरफ वह यहां की नीति को कहना चाहते हैं कि यहां की नीति पूंजीवादी है। इसके साथ ही साथ थोड़ा सा ध्यान मैं गांवों के मजदूरों की तरफ भी ले जाना चाहता हूं। शहरों के मजदूर तो एक जगह बसते हैं। आसानी से उनकी यूनियन बन जाती है और आसानी से उनकी मांगों पर संगठित रूप से विचार करने का अवसर मिल जाता है और वह अपनी मांगों को सरकार और मालिकों के सामने पेश करते हैं। इसमें सरकार ने बहुत प्रकार की सुविधाएं उनको दी हैं जो कि मेरे पहले के सदस्यों ने बतलाईं। मैं उनको कह कर सदन का समय बरबाद नहीं करना चाहता। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि गांवों में फैले हुये मजदूरों की तरफ भी सरकार का ध्यान जाना चाहिये। यदि सरकार और कुछ नहीं करना चाहती है तो कम से कम उनके लिये स्वास्थ्यप्रद मकान बनाने के लिये कुछ न कुछ धन सहायता के रूप में या ऋण के रूप में दे ही सकती है। इसके साथ-साथ उनके स्वास्थ्य के सम्बन्ध में प्रबन्ध होना चाहिये। दूसरे शहरों में दूध और दूसरी चीजें मजदूरों के बच्चों को दी जाती हैं। गांवों में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है और साथ ही इस महंगाई के समय में जब कि गांव की मजदूरी वैसे भी कम होती है। महंगाई की वजह से इतनी मजदूरी उनको नहीं होती है कि इस मजदूरी से वह भर पेट बच्चों की व्यवस्था कर सके फिर मकान, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य और सब चीजें दूसरी तरफ हैं। तो ऐसी स्थिति में उस तरफ ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

†**श्री भगवतीसिंह विशारद**---अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा अपने उन सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने मेरे द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव के विवाद में भाग लिया है। मैं इस बात के लिये और भी अनुगृहीत हूं कि मेरे कटौती के प्रस्ताव से भले ही सहमत न हों लेकिन उसके सम्बन्ध में जिस नीति के संचालन की आवश्यकता थी उसके सम्बन्ध में जो मैंने कारण प्रस्तुत किये उनका सभी महानुभावों ने समर्थन किया। एक मित्र ने यह बताया कि कटौती के प्रस्ताव की जो शब्दावली है उससे वह सहमत नहीं हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह सदैव केस को प्लीड किया करते हैं, लेकिन मैं काज को प्लीड करता हूं। जिस समय वह काज को प्लीड करने लग जायंगे तो फिर कटौती के प्रस्ताव का समर्थन भी हमको उनका प्राप्त होगा।

मान्यवर, रामपुर में रजा और बुलन्द शुगर मिल्स में हुई हड़ताल के सिलसिले में मैं उसके विस्तार में जाना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं जानता था कि यदि मैं उस प्रश्न को जरा भी

---

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उठाऊंगा तो माननीय मुख्य मंत्री जी को, डिप्टी मिनिस्टर साहब को, उनके संगी साथियों को और सभी को बुरा लगेगा, लेकिन जब उन्होंने इस प्रश्न को स्वयं उठाया है तो मैं उसके सम्बन्ध में कुछ अवश्य निवेदन करूंगा।

कहा गया कि लीडरी का सवाल है। मान्यवर, आज लादी गई लीडरी यानी थोपे गये नेतृत्व को मजदूरवर्ग उठाने के लिये तैयार नहीं है। वहां पर आई० एन० टी० यू० सी० यूनियन है जिसको मजदूरों का विश्वास प्राप्त नहीं है। उस यूनियन ने मालिकों से मिलकर एक समझौता करा लिया और उस समझौते को मजदूरों के ऊपर जबर्दस्ती लादा जा रहा है। यह हड़ताल इस वजह से मुनासिब थी कि इस बात को देखा जाय कि वहां के मजदूर उस यूनियन के साथ हैं या जो प्रजा सोशलिस्ट द्वारा संचालित या जिसका नेतृत्व श्री गणेशदत्त बाजपेयी करते हैं, उसको इसका समर्थन प्राप्त है या नहीं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उस हड़ताल में तीन हजार मजदूरों ने काम किया और उस हड़ताल में हिस्सा लिया। इतनी बहादुरी के साथ और अहिंसात्मक ढंग से हड़ताल चली कि मालिकों और सरकार की ओर से जितने भी अत्याचारी काम हुये उनको सहते हुये मजदूरों ने हड़ताल को जारी रखा जब तक कि नेताओं ने स्वयं वापस लेने के लिये नहीं कहा।

मान्यवर, इस बात की भी शिकायत की गई कि महंगाई भत्ता बढ़ाना सरकार का काम नहीं है, ट्रेड यूनियन का काम है। मैं इस बात से अक्षरशः सहमत हूं। मैंने प्रारम्भ में ही निवेदन किया था कि सरकार मजदूरों के रोजाना कार्यों में और उनके संगठनों में हस्तक्षेप करके इस बात के लिये विवश कर रही है कि वे अपने संगठनों से हटकर सरकार की ओर देखने लगे हैं। इसका कारण यह है कि सरकार मजदूरों के प्रदर्शनों को दबाने के लिये सभी वे अत्याचारी कदम उठाने के लिये तैयार हैं जिनसे मजदूरों का दमन हो सके। आज जब मामले कन्सीलियेशन और एडजूडिकेशन में नहीं भेजते तो फिर सिवाय इसके कि सरकार से कहा जाय कि मजदूरों का महंगाई भत्ता बढ़ावे और कोई चारा नहीं रह जाता। मैं ऐसी लेबर पालिसी का समर्थन नहीं करता कि जूट मिलों के, काटन मिलों के और अमृत पत्रिका के कर्मचारी अपनी रोटी रोजी से विहीन हो जावें यह सरकार के लिये मुबारक रहे। इसीलिये मैंने कहा था कि सरकार को स्वयं एक माडल एम्पलायर बनना चाहिए। हमारे यहां एक मसल मशहूर है कि 'दोगरा नसीहत, खुदरा फजीहत'। यह सरकार पर लागू होती है। इसलिये मैं उससे चाहूंगा कि वह अपनी कथनी और करनी में कोई अन्तर न रखे।

श्रीमन्, बाजार कर्मचारियों की कठिनाइयां तभी दूर हो सकती हैं जबकि उनका निरीक्षण करने वाले कार्यकर्ताओं के कार्यालय बाजारों में ही स्थापित किये जावें। वरना कर्मचारियों की सही स्थिति का पता नहीं हो सकता है। लेबर डिपार्टमेंट चाहे शहर से ३ मील की दूरी पर हो लेकिन शाप्स ऐण्ड कामर्शियल ऐक्ट के चीफ इंस्पेक्टर साहेब का कार्यालय ठीक वहीं कायम न किया जाकर बाजार के नजदीक होना चाहिये। आज कानपुर में शाप्स ऐण्ड कामर्शियल ऐक्ट के चीफ इंस्पेक्टर साहेब का दफ्तर शहर से ३ मील दूर है और बाजार में वे कभी तशरीफ नहीं ले जाते। इस प्रकार बाजार कर्मचारियों की दशा नहीं सुधर सकती।

खेतिहर मजदूरों के लिये भी कुछ मित्रों ने कहा। उनके लिये मिनिमम वेजेज ऐक्ट जरूर लागू होना चाहिये। केवल यही काफ़ी नहीं है चूंकि जहां ऐसा कानून है वहां भी सरकार उसका पालन कराने में असमर्थ रही है। मजदूरों की दशा जमीन के बटवारे से ही सुधर सकती है। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो मेरा विश्वास है कि मजदूर ही स्वयं एक दिन अपना कदम बढ़ावेंगे और सरकार को विवश होकर उनकी मांग को स्वीकार करना होगा।

मान्यवर, इस अनुदान में वृद्धावस्था पेंशन की योजना भी सम्मिलित की गई है। इस योजना का श्रम विभाग से कोई सामंजस्य प्रतीत नहीं होता है। आवश्यकता है कि इस

[श्री भगवतीसिंह विशारद]

योजना को समाज-कल्याण विभाग में लाया जाय, क्योंकि यह समाज-सुधार का कार्य है। इसमें किसी टेक्निकल हैंड की आवश्यकता नहीं है। इसमें राजस्व विभाग के कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है और फिर समाज-कल्याण विभाग के कर्मचारियों की आवश्यकता है।

इसी तरह से मंत्री जी को परामर्श देने के लिये एक स्टैंडिंग कमेटी बनी हुई है जिसका नाम है नेशनल एम्प्लायमेंट सर्विस। इस कमेटी को श्रम विभाग के अन्तर्गत लेबर की परामर्शदात्री समिति में लाना चाहिये। इससे ज्यादा सुधार हो सकता है।

अभी मुख्य मंत्री जी ने बताया कि इस बात के लिये हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि शुगर मिलों में काम करने वाले मजदूरों का वेतन बिना वेज बोर्ड का फैसला हुये २५ प्रतिशत बढ़ा दिया जाय। उन्होंने यह भी कहा कि वेज बोर्ड ने केवल ३ रुपये बढ़ाने की बात की। आन्ध्र, मैसूर और महाराष्ट्र में ऐसे मजदूरों का वेतन ७० रुपये है और हमारे प्रदेश में केवल ५५ रुपये है। फिर उसमें केवल ३ रुपये की बढ़ोत्तरी मेरी समझ में नहीं आती। यह एक जहनियत की बात है। सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिये केवल २।। रुपये और ५ रुपये की बढ़ोत्तरी की और इस जहनियत ने ३ रुपये का फैसला कराया है। पूंजीपति सोचता है कि हमारे यहां घाटा होता है और सरकार भी ऐसा ही सोचती है। पूंजीपति तो चाहे अपना घाटा पूरा भी कर ले लेकिन इस सरकार का पूरा होने वाला नहीं है। तो मैं समझता हूं कि सरकार अपने कर्मचारियों की दशा कभी सुधार नहीं सकती, क्योंकि वह पूंजीपतियों से दबावपूर्वक नहीं कह सकती है कि वे अपने मजदूरों की हालत सुधारें।

मान्यवर, बम्बई और अहमदाबाद की काटन मिलों के मजदूरों को पिछले ७ वर्ष का लगभग डेढ़ करोड़ रुपया बोनस का दिलाया जा रहा है। यह किसी कानून या और किसी बात के सहारे से नहीं, बल्कि नान-आफीशल ढंग से, आपस में बातचीत कर के, ऐसा हो रहा है। मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या ऐसी कोई कोशिश उन्होंने उत्तर प्रदेश में की? क्योंकि उनका विश्वास है कि अदालत में जाने से या हड़ताल करने से ऐसा तरीका अच्छा रहता है। पिछले ७ वर्षों से कानपुर में और उत्तर प्रदेश के सूती मिल मजदूरों को एक पैसा भी बोनस का प्राप्त नहीं हुआ है।

हमारे प्रदेश में एक तरफ़ औद्योगीकरण की चर्चा चल रही है और दूसरी ओर तमाम मिल और कारखाने बन्द हो रहे हैं। अगर ऐसा ही होता रहा तो यहां पर बेरोजगारी बढ़ेगी और उद्योग भी चौपट होगा। इसके लिये जहां पूंजीपति दोषी हैं वहीं सरकार भी इस मानी में दोषी है कि वह इस बात के लिये कोशिश करती है कि आज से २, २।। साल पहले हमने सुना था कि हाथरस में कोई मिल है जो सहकारी ढंग से चलने वाली है। वह चर्चा उठी और समाप्त हो गई। अब एथर्टन वैस्ट को सहकारी ढंग से चलाने की चर्चा चल रही है लेकिन अभी तक इसकी कोई योजना, ४ महीने हो जाने पर भी, यहां प्रस्तुत नहीं की गई है। हमसे कहा गया है है कि दो एक महीने में कोई निश्चित बात इस बारे में आ जावेगी। पिछले साल भर से मिल बन्द है और ६ महीने सरकार ने ले लिये हैं। पूंजीपति समझता है कि सरकार में इतनी क्षमता नहीं है कि वह किसी मिल को स्वयं चला सके या सहकारी ढंग से या और किसी तरह से चला सके। इसलिये वह अपने कारखानों को तभी तक चलाने की कोशिश करता है जब तक कि उसे अनाप-शनाप मुनाफा होता है। जिस दिन उनके मुनाफे में किसी तरह से कमी आयी, उसी समय अपने कारखाने को बन्द करने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे यह बात छिपी हुई है कि सरकार चूंकि कारखानों के संचालन करने में असमर्थ है इसीलिये इस तरह के कारखाने बन्द हो रहे हैं। यहां की शुगर इंडस्ट्री जो है वह ३५ साल पुरानी है, यहां की टेक्सटाइल इंडस्ट्री १०० साल पुरानी है। फिर सरकार के सामने क्या दिक्कत है कि वह उनका नेशनलाइजेशन नहीं कर रही है। जब हमारे प्रदेश में जमींदारी प्रथा खतम हो गई, जब हमारे प्रदेश में इस प्रकार की चर्चा शुरू हो गई है कि यहां पर देहातों की आमदनी बराबर की जायगी तो आवश्यकता इस बात की है कि

हम अपने कदम को शहरों की तरफ भी बढ़ावें और शहरों में जो इस तरह से बड़े-बड़े उद्योग धंधे हैं उनका राष्ट्रीयकरण करें और राष्ट्रीयकरण करते हुए उनको अपने हाथों में लेकर अपने समाज का, अपने मजदूर भाइयों का और दूसरे वर्गों का अधिक से अधिक लाभ करना चाहिये।

मान्यवर, आज कितना ज्यादा अन्धेर है कि जिस समय कोई मजदूर हड़ताल करता है या कोई किसी तरह की हड़ताल करता है तो उसे फौरन जेलखाने की हवा खिलाई जाती है और जब कोई उद्योगपति ताला बन्दी करता है तो उसके खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की जाती। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अमृत पत्रिका बन्द हुई तो क्या यह तालाबन्दी नहीं हुई ? अगर तालाबन्दी हुई तो तुषार बाबू के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? काटन मिल बन्द हुआ तो वह तालाबन्दी हुई या नहीं हुई ? अगर तालाबन्दी हुई तो उस मिल के मैनेजिंग डाइरेक्टर या डाइरेक्टर के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ? अथर्टन मिल बन्द हुई तो उसके मैनेजिंग डाइरेक्टर के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ? इस तरह से जितनी मिलें बन्द होती जाती हैं उनके डाइरेक्टर या प्रबन्धक के खिलाफ क्या कार्यवाही हो रही है। उनके खिलाफ कोई कार्यवाही न करने का परिणाम यह होता है कि उद्योगपति सरकार के ऊपर हावी होते जाते हैं और वे सरकार से अपनी उसी नीति का पालन करवाते हैं और उसी नीति को मनवाते हैं जो उनके हित में पड़ती है। जो नीति उनके खिलाफ पड़ती है वह कभी भी लागू नहीं होने पाती। यह सरकार बड़ी बड़ी कमेटियां बनाती है, निम्बर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बहुत कुछ निश्चय किया था लेकिन उसे लागू नहीं किया गया, विन्ध्यवासिनी रिपोर्ट भी सरकार के सामने है, लेकिन अभी उसे पूर्णरूप से लागू नहीं किया गया है। तो मैं माननीय मंत्री जी से अपने कटौती के प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुये अनुरोध करूंगा कि हिम्मत और मजबूती के साथ अपने कदम को आगे बढ़ावें और अगर इस तरफ वे ध्यान नहीं देंगे तो मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश का मजदूर विवश हो कर अपने आप ही कुछ ऐसी कार्यवाही करेगा जिससे सरकार को झुकना पड़ेगा।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--अध्यक्ष जी, श्रम सम्बन्धी इस अनुदान पर माननीय सदस्यों के विचार सुनने का जो अवसर मुझे मिला उससे मुझे इस बात की जरूर खुशी हुई कि सदन के कुछ सदस्य श्रमिकों के हित की बात काफी हद तक सोचने के लिये और काफी हद तक उस पर बातचीत करने के लिये दिलचस्पी रखते हैं। लेकिन मान्यवर, एक बात से मुझे बड़ी तकलीफ हुई जिसके सम्बन्ध में आपके द्वारा माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं। जो यहां पर कहा गया, यह अनुचित न होगा अगर मैं ऐसा कहूं कि उसमें बहुत कुछ ऐसी बातें कही गयीं जिनका वास्तविकता से कोई सम्बन्ध ही नहीं था।

मान्यवर, हमारे देश और प्रदेश में स्वराज्य के बाद एक दो मंजिल तय करने के लिये नहीं बल्कि सभी मंजिलें तय करते हुये हमारे सहारा लेने के लिये जो दो बुनियादी बाते हैं वे हैं प्रजातंत्र और समाजवादी विचार, यह कि प्रजातंत्र और समाजवाद में समन्वय हो। इसलिये हमारे देश और प्रदेश के हर काम की कसौटी, हमारी सरकार की कसौटी इस बात पर है कि हमने अपने लक्ष्य की पूर्ति में इन दो बुनियादी बातों का सहारा लिया है या नहीं। अगर यह सिद्ध होता है कि हमने इन दोनों सिद्धान्तों में से, दोनों रास्तों में से, इन दोनों अवलम्बों में से किसी काम को छोड़ा या किसी एक के मानने और उसके सहारा लेने में कोताही की, तो निश्चय ही यह सरकार पाप की भागी है। उस कसूर के लिये यह सरकार इस प्रदेश की जनता के सामने जिम्मेदार होगी और मैं समझता हूं कि इस कसूर को जनता माफ भी नहीं करेगी जिससे कोई इस तरह की कसूर करने की कोशिश न करेगा। अगर हम प्रजातंत्र के ढंग से चलने में विश्वास रखते हुए निरन्तर समाजवाद और प्रजातंत्र का समन्वय करने की भावना में विश्वास रखते हुए कुछ ऐसे नारों को उठावें जो अप्रजातन्त्रवादी हैं तो निश्चय ही उन बातों को मानने के लिये यह सरकार अपने को बाध्य नहीं समझती। म समझता हूं जब तक यह सरकार संविधान द्वारा यहां काम करने की जिम्मेदार है तब तक उन दोनों बातों की हमेशा रक्षा करने के लिये तैयार रहेगी। मान्यवर,

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

एक अजीब ढंग की बात यहां पर कही गई। लगता ऐसा था हम किसी ऐसे देश में रह रहे हैं जहां छीनना, व्यक्तिगत सम्पत्ति छीनना और अपहरण करना उस देश के संविधान के अन्तर्गत स्वीकृत बात है। मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार पूरी तरह से मजबूत है अपनी बातों को मनवाने के लिये, उसके पास शक्ति है, लेकिन वह शक्ति संविधान द्वारा दी हुई शक्ति ही है उससे अधिक हमारे पास शक्ति नहीं है। एक, दो सदस्यों ने यह समझ कर शायद संविधान की कुछ बातें हैं जो शायद उनके उस नारे के रास्ते में आती हैं, उन्होंने कहा कि संविधान को बदल दें। उन्होंने पंडित जवाहर लाल नेहरू जी का नाम भी लिया, मुझे खुशी है कि वह जवाहर लाल जी को कोट करते हैं, ठीक भी है वह हमारे राष्ट्र के प्राण हैं, लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि एक दो जुमले एक आध जगह से लेकर किसी दलील में पेश कर देना दलील की शकल नहीं बना सकते। मैं मानता हूं जिस मौके पर पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने कहा उन सारी बातों को अगर मद्देनजर रखा जाय तब तो ठीक है लेकिन जिन दलीलों के बारे में उस चीज को कोट किया जाता है, कपड़ा मिलों की तालाबन्दी के सिलसिले में कहा जाता है और वह भी लाकआउट गैरकानूनी लाक आउट नहीं, कानून के द्वारा जो हक जिसको मिला हुआ है जब उसके सम्बन्ध में बात कही जाती है तो निश्चय ही वह बात लागू नहीं होती।

आज हम मानते हैं व्यापार करने की हर आदमी को स्वतंत्रता है। राइट टु वर्क। यह भी हम मानते हैं कि हम काम न भी करें, वह काम न करने का अधिकार जितना मजदूर का है उतना ही मालिक का भी है। यह मैं मानता हूं अगर कोई मालिक या मजदूर उस अधिकार को गलत ढंग से प्रयोग करता है तो उसका मुकाबला करना पड़ेगा। तो मैं मानता हूं कि हर स्ट्राइक और लाक आउट को इसी तराजू पर देखना होगा कि यह अशोभनीय तो नहीं है, नाजायज तो नहीं है, जो किसी दूसरे के लिये एक दिक्कत पैदा करने के लिये किया गया हो। मैं बताऊंगा जब कभी ऐसा मौका आया तो हमने उसका मुकाबला किया, सख्ती की, अपनी तरफ से जो व्यवस्था हमारे पास थी उसका पूरा-पूरा इस्तेमाल करते हुए, जिनके हितों की सुरक्षा करने की बात कही गई यहां, उनके हितों को सुरक्षित रखने की बात की। कानपुर की काटन मिलों की तालाबन्दी के सिलसिले में हमारे ऊपर ताना मारा गया कि यह सरकार उसे नहीं रोक पायी। मैं उस तरफ ज्यादा नहीं माननीय सदस्यों का ध्यान ले जाना चाहता, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पूरी दलीलों के साथ अगर कपड़ा उद्योग की बन्दी के बारे में बात करना चाहूं तो शायद और सवालों की तरफ जो यहां उठाये गये हैं उनकी तरफ न जा पाऊं। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि हम सब को इस बात को स्वीकार करना होगा कि कानपुर की कपड़ा उद्योग जिन मिलों से चलाया जा रहा है, जिन मशीनों से चलाया जा रहा है, उनमें से अधिकांश मिलों की मशीनें बेकार हो चुकी हैं। अभी हाल में माननीय मुख्य मंत्री जी के पास कानपुर के एक बड़े नेता हैं एम० पी० हैं श्री एस० एम० बनर्जी साहब, उनकी एक दिलचस्प चिट्ठी आई। उन्होंने लिखा है कि मैं भी अब स्वीकार करने लगा हूं कि कानपुर काटन मिल बिना मार्डनाइजेशन के चल नहीं सकती। बिला शर्त मंजूरी इस बात की कि बिना मार्डनाइजेशन वह चल नहीं सकती, अब कानपुर काटन मिल के मार्डनाइजेशन की बात मानने के बाद भी कहा जा रहा है कि उसे कोआपरेटिव सोसायटी को दे दो। सहकारी समिति के सिद्धान्त का मजाक उड़ाने का कोई तरीका है तो मैं नहीं कहना चाहता कि यह वह सिलसिला है कि टूटे मुर्दे को सहकारी समिति के कंधे पर रख दिया जाय। लड़न से सहकारी समिति बैठ जाये और सहकारिता को भी लांछन लग जाय। आखिर, कोई कपड़ा बनेगा तो उसको बिकना चाहिए, उसका खरीदार होना चाहिए। माननीय भगवतीसिंह विशारद बाजार में जायंगे तो उसी दूकान पर जायंगे जहां उनको पसन्द का कपड़ा हो। जो कपड़ा ज्यादा टिकाऊ हो, खूबसूरत हो उसी को खरीदेंगे इस कानपुर काटन मिल के कपड़े को कौन खरीदेगा ?

हमारे ऊदल साहब ने पूछा था कि कितना-कितना कपड़ा किस-किस किस्म का बाकी है, बता दिया जाय। मैं निवेदन करना चाहूंगा और आपके द्वारा मान्यवर, उनको दावत है कि

जितने खरीदारों को लाना चाहें, हम मिल-मालिक के पास भेजने के लिये तैयार हैं और मिल मालिकों से दिखवाने के लिये तैयार हैं। हमें भी बुरा लगा जब कानपुर काटन मिल बन्द हुई। मिल बन्द हो रही थी और मैं मजदूरों के साथ खड़ा होकर भाषण दे रहा था। उनके आंखों में आंसू थे और मेरी आंखों में भी आंसू थे। उनके दिलों में दुख था और मेरे दिल में भी था। लेकिन हर दुख और आंसू का मुकाबला नारों से नहीं वाकयात से किया जाता है।

मैं कानपुर काटन मिल के बारे में क्या कहूं। कई माननीय सदस्यों को शायद यह पता न रहा हो वरना वह लांछन न लगाते कि किस हालत में वह मिल है। हाईकोर्ट ने एक बोर्ड आफ मैनेजमेंट बनाया है। हाईकोर्ट के एक पुराने जज उसके चेयरमैन हैं। एक्स जस्टिस चतुर्वेदी उसके चेयरमैन हैं। उस चेयरमैन और बोर्ड का एक आर्डर निकलता है, उसके मुताबिक मिल बन्द होता है। उस मिल में क्या-क्या परेशानियां हैं, उसमें जाना नहीं चाहता। तीन-चार मामले उलझे हुये हैं मुकदमे में। मुन्धरा साहब से उठे हुए झगड़े हैं। मैं नहीं कहता कि मुकदमें गलत हैं या सही। अदालत बतायेगी कि कैसे मुकदमे हैं। कोई भी सरकार होती है, उस सरकार को अगर संविधान में विश्वास है और विधि में विश्वास है तो वह सरकार भी हमारी तरह इस मामले में परेशान रहती, लेकिन हमने मान्यवर वही किया कानपुर काटन मिल के संबंध में जो अधिक से अधिक हम कर सकते थे। मामला पंचनिर्णायक को सुपुर्द करना था। बिना किसी के चिट्ठी लिखे हुये हमने सारे यह मामले पंचनिर्णायक को भेज दिये कि क्या मिल की बन्दी मुनासिब है या नहीं ? क्या मजदूरों को पैसा न देना मुनासिब है या नहीं। अगर नहीं, तो मजदूरों को क्या हक मिलना चाहिये। मैं मानता हूं कि यह कहा जायगा कि इससे क्या है, लेकिन आज जो संविधान की बातें मैंने बताई, जो तरीका बताया, उसके सिवा और क्या तरीका था ? मैंने सूती मिल मजदूर सभा वालों से बात की है, राष्ट्रीय टैक्सटाइल मिल मजदूर यूनियन से बात की है। मान्यवर, मैं फिर उस दावत को दोहराता हूं कि कोई भी इधर के या उधर के माननीय सदस्य एक ड्राफ्ट बना दें, मैं दस्तखत करने के लिये तैयार हूं। मैंने माननीय विमल मेहरोत्रा से भी कहा जो हमारे पुराने कामरेड हैं पुराने साथी हैं कि भाई विधि द्वारा प्रतिष्ठापित मान्यताओं को ध्यान में रखकर एक स्कीम का ड्राफ्ट बना लो और मैं आपके बनाये हुये आदेश पर दस्तखत कर दूंगा। हम भी चाहते हैं कि मिल चलें, लेकिन यह सब नारे और शब्दों से नहीं होता कोई चीज बिना आर्गेनाइजेशन के नहीं चल सकती। हम भी चाहते हैं कि कोई इस तरह की सहकारी समिति बने जो नया मिल चलाये। स्पिंडिल्स आदि का प्रबन्ध कर सके और सब काम को आर्गेनाइज करे लेकिन कोई जिम्मेदारी से तैयार तो हो, बड़ी मेहनत और जब्त का काम है।

सूती मिलों के संबंध में एक डेपुटेशन भी उस समय के श्रम मंत्री जी से मिला, मैं भी था, उन्होंने कहा कि हम सहकारी समिति बनाकर मिल चलाना चाहते हैं। हम ने उन से कहा कि आप एक स्कीम आफ मैनेजमेंट बनायें, एक स्कीम आफ फाइनेंस बनायें और एक स्कीम आफ सेल बनायें और हमारे पास उसे भेज दें और उस में बतायें कि आप किस तरह से चलायेंगे, कैसे मैनेज होगा, कैसे पैसा आयेगा और कैसे बिक्री करेंगे, यह सब भेजें और जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर में हम मदद करते हैं उसी तरह से आप की भी मदद करेंगे, लेकिन २ साल बीत गये, हम बराबर गालियां खाते रहे। कोई स्कीम हमारी खुशकिस्मती से हमारे पास आजतक नहीं भेजी गई। इसलिये मैं फिर अपनी उस दावत को दोहराता हूं कि माननीय विशारद जी या इस तरफ के या उस तरफ के कोई माननीय सदस्य कोई भी एक स्कीम बनाकर भेजें, हम उन के आभारी होंगे, वह हम से कहें कि ऐसा आदेश निकाल दो यदि विधि द्वारा ऐसा सम्भव है तो हम दस्तखत कर के उसे चालू कर देंगे। बाकी चाहने मात्र से तो केवल देवताओं के काम होते हैं लेकिन मनुष्यों के काम तो केवल चाहने मात्र से न हुये हैं और न होने वाले हैं। काम चेष्टा से होते हैं और हम बराबर चेष्टा करते हैं कि मिल चलती

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

रहें। कानपुर में लाखों गज कपड़ा लाखों रुपये का पड़ा हुआ है। अथर्टन मिल्स, लक्ष्मी रतन काटन मिल्स, जे० के० काटन मिल्स, कानपुर काटन मिल्स, कानपुर काटन ब्रांच मिल, जे०के० फैक्ट्री ऐसे कारखाने हैं कि जिन के पास लाखों रुपये का कपड़ा भरा पड़ा है। अलग-अलग फिगर मैं नहीं दूंगा बाकी टोटल कपड़ा ३,७७,९४,८४५ रुपया की मालियत का है और एक अजीब चर्चा है कि कानपुर की मिलें चलना चाहिये, इसलिये कि कपड़ा वहां बने और बिके लेकिन कहां बिके? कोई खरीदार कपड़े का है, कोई विक्रेता हो तो बड़ी खुशी की बात है, अगर श्री ऊदल जी खरीदना चाहें तो मैं उनके पास सब माल भिजवा दूं या वह बतायें कि जिसके पास भेज दिया जाय और उसकी कीमत उन से मिल जाय, इससे अच्छी क्या बात होगी, परन्तु उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात कही कि १० सैकड़ा कम दाम पर हमें सब कपड़ा दिलवा दो और अगर किसी तरह से दस सैकड़ा दाम किसी तरह से कम हो भी जायं तो संभव है कि बिक्री में दिक्कत न हो, लेकिन वह कैसे हो क्या हम मालिकान से कह दें कि तुम कुछ करोड़ का घाटा हमारे कहने से उठा लो, हमारे पास उन को घाटे के लिये राजी करने का कौन सा यंत्र है जिस से हम उन को मजबूर कर दें? ऐसी कोई शक्ति सरकार के पास नहीं है।

एक मजेदार बात यह भी कही गई कि इस सरकार का बीसों करोड़ रुपया कानपुर में बाकी है। यह गोल बात मैं बहुत सुन चुका हूं और पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूं और दोहराता हूं कि गोल लांछन न लगाये जायं। माननीय सदस्य भी जिद पर---लांछन लगाने की जिद पर अटल रहें, मुझे कोई नाराजी नहीं है। मुझे कोई उज्र नहीं। बराबर कहता रहूंगा कि निश्चित बात कहने में इस सदन की मर्यादा बढ़ती है और अनिश्चित और गोल-गोल बातें कहने में कोई नतीजा नहीं निकलता। अक्सर बाहर कहा जाता है कि असेम्बली में गोल-गोल बातें होती हैं तो मैं जानना चाहूंगा कि आखिर कितना रुपया कहां पर है? माननीय सदस्य स्वयं प्रश्न कर सकते हैं, हमसे उत्तर ले सकते हैं। तो बीसियों करोड़ किसी के पास बाकी नहीं है, एक बात जरूर है कि चीनी मिल है, कपड़ा मिल हैं उन पर बहुत सारा एरियर हमारा है, मैं उसकी निश्चित रकम निकाल नहीं सकता, लेकिन हमारे लिये हर आदमी बराबर है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। सबके लिये टाइम मुकर्रर है कि इतने समय में दे देना चाहिये। अगर नहीं मिलता है तो कुर्की और अटैचमेंट भी होता है, जैसा कि कानपुर में प्रावीडेंट फंड के सिलसिले में, मजदूरों के पैसे के सिलसिले में कई कुर्कियां और अटैचमेंट आर्डर्स हमने निकाले हुये हैं। उनमें से कई, जैसा कि उमाशंकर जी ने कहा, म्योर मिल्स के सिलसिले में ही देख लें। हाई कोर्ट से स्टे हो गये। मैं हाईकोर्ट से कह नहीं सकता कि इस सदन की इच्छा है कि हमारी सरकार द्वारा जितने भी आदेश निकलें उनमें आप दखलअन्दाजी न करें। अगर ऐसा कहीं संभव भी हो गया तो उधर के सदस्यों पर अगर कोई मुसीबत आती है तो उस संबंध में भी सब कार्यवाही रुक जायगी। ऐसा एकतंत्रवाद न इस देश के लिये और न इस प्रदेश के लिये हमें चाहिये। तो कोर्ट सब से महान है, हमको और कोई परम्परा इसके अतिरिक्त नहीं चाहिये। हम उनकी आज्ञा में दखल नहीं दे सकते और उनकी आज्ञा के आगे हमें सर खम करना पड़ता है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि किसी की तरफ रियायत का सवाल नहीं है और मैं इस अवसर पर यह ऐलान करना चाहता हूं कि कानपुर के ही नहीं, प्रदेश के किसी भी मिल मालिक के ऊपर सरकार का जो पैसा वाजिब है और मजदूरों का जो वाजिब है उसकी पाई-पाई कौड़ी-कौड़ी चुकवाने की जिम्मेदारी सरकार की है। उस जिम्मेदारी को हम हर तरीके से पूरी करेंगे और करते रहे हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं।

एक लांछन हम पर और लगाया गया भगवतीसिंह जी विशारद की ओर से कि यह सरकार जो सामूहिक शक्ति मजदूरों की है उसको ऊपर नहीं उठने देती और मालिक और मजदूर की परस्पर समन्वयात्मक भावना उठने नहीं देती, उसमें हायल होती है। पता नहीं कैसे उनको यह मालूम हुआ? क्या सबूत है? मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, केवल इतना

कहना चाहूंगा कि किसी माननीय सदस्य ने, चाहे वह भगवतीसिंह विशारद हों, ऊदल जी हों या लारी साहब हों, या ब्रजनारायण जी तिवारी हों किसी ने एक ध्वनि निकाली थी कि एडजुडिकेशन में मामले भेजो तो आशीर्वाद देंगे। दूसरी ओर यह भी कहा जाता है कि सरकार आपस के समझौते में बाधा देती है और इधर कहा जाता है कि एडजुडिकेशन में जाना चाहिये। अगर सरकार सामूहिक समझौते के विरुद्ध है या कोई दल विशेष ऐसा करता है तो वह भर्त्सना का पात्र है, लेकिन उनको अपने दिल को खुद टटोल लेना चाहिये कि वह लोग क्या कह रहे हैं, अपने गरेबान में मुंह डालने के बाद ऐसा कहें तो ज्यादा अच्छा है। शुगर मिलों के संबंध में हमारी यह परम्परा है कि हम हर साल त्रिदलीय सभा बुलाते हैं हिन्द मजदूर सभा, आई०एन०टी०यू०सी०, मिल-मालिक और सरकार के प्रतिनिधि उसमें बैठते हैं हर साल कुछ समझौता होने के बाद एक समिति बनती है। यह समिति जो तय करती है, जो समिति का फैसला होता है उसको जब इम्पलीमेंट करने की बात आती है तो चन्द लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि उनमें से कुछ लोग इस सदन के सदस्य भी नहीं हैं, गैर मुनासिब है कि उनकी अनुपस्थिति में उनकी बात कुछ कहूं-लेकिन एक मुसलसल पिछले वर्षों से यह कोशिश है, जैसे चोटी खोल रखी हो कि तब तक नहीं मानेंगे जब तक आपस के उक्त समझौते को तोड़ कर अदालत से फैसला नहीं लेंगे।

कौन कमजोर करता है उस भावना को? यह सरकार जो अपने आदेशों द्वारा त्रिदलीय समिति की मान्यताओं को प्रतिष्ठापित करती है या वह लोग जो उस मान्यता को हर साल चैलेंज करते हैं और अपने मामले कोर्ट द्वारा तय कराने की बातें करते हैं। मैं इसका निर्णय सदन के ऊपर, प्रदेश की जनता के ऊपर और प्रदेश की शुगरमिलों के मजदूरों पर छोड़ता हूं। हमें खुशी है कि इस वर्ष बावजूद कुछ लोगों के हड़ताल का नारा देने के, मजदूरों ने स्ट्राइक में हिस्सा नहीं लिया। इससे सिद्ध होता है कि इस सरकार के कामों के प्रति श्रमिक दल की आस्था बहुत अधिक है बनिस्बत उन श्रमिक नेताओं के प्रति जो श्रमिकों के नाम पर और श्रमिकों की तरफ से बोलने का दावा करते हैं।

मान्यवर, दूसरी बात मैं निवेदन करता हूं कि रजा और बुलन्द की बात की गयी। रजा और बुलन्द में एक बहुत बुजुर्ग और मेरे एक बहुत अच्छे साथी, उनको मैं बड़ा भाई कहता हूं वह उस जगह भूख हड़ताल पर बैठे। मुझे अफसोस है कि वह इस सदन के सदस्य होते तो ज्यादा अच्छा रहता क्योंकि उनके साथ मेरी यहां खुलकर बातें होतीं। लेकिन उन्होंने भी वहां पर जो कुछ किया है वह उन मान्यताओं के विरुद्ध किया है जो इस देश और प्रदेश में प्रतिष्ठापित हैं और जिनको सभी श्रमिक आन्दोलनों ने चाहे आई०एन०टी०यू० सी० से संबंधित हो, चाहे ए०आई०टी०यू०सी० से संबंधित हों, चाहे हिन्द मजदूर सभा से संबंधित हो या यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस से संबंधित हो, सबने १५ वें श्रम सम्मेलन में स्वीकृत कोड आफ डिसिप्लिन इन इंडस्ट्रीज को रैक्टिफाई किया और नैनीताल पहुंचते-पहुंचते सभी ने स्वीकार कर लिया कि हम उस कोड आफ डिसिप्लिन को मानते हैं। उसमें एक बात यह थी कि अगर किसी यूनियन में और मिल-मालिकों में समझौता हो तो उस सामूहिक समझौते के विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठावेगा जब तक वह यह साबित न कर दे कि समझौता मला-फाइडी था। रजा और बुलन्द रामपुर की दो चीनी मिलें हैं। इधर कई सालों से वहां एक आबोहवा है। हर साल जब शुगर का सीजन होता है तो वहां हड़ताल की बात शुरू होती है। एक बहुत भद्दी-सी मिसाल है। एक नशे वाला कई बार कसमें खाता है कि नशा नहीं करेंगे, लेकिन जब ठीक नशे के लेने का वक्त आता है तो वह नशे की तरफ भागता है? ठीक उसी तरह से रामपुर की बुलन्द और रजा में मजदूर हर साल जब शुगर मिल का सीजन आता है तो हड़ताल की नोटिस दे देते हैं। सन् १९५६-५७ में हड़ताल की नोटिस हुई। दो, तीन तक हड़ताल चली। उसके बाद एक समझौता हुआ। और एक बात और दिलचस्प है। हर साल हड़ताल करते हैं और शुरू दिन से ही यह भी कहते हैं कि

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

मिल मालिक ही हमारा आर्बिट्रेटर हो जाय। कहते हैं कि हम तुम्हीं को पंचनिर्णायक मान लेते हैं हमारी बात सुन तो लो। बड़ी मीठी अदा है लेकिन उसका उसी पर असर होगा जो इस अदा की हवा को नहीं जानता। सन् १९५६–५७ में हड़ताल हुई। उसके आर्बिट्रेटर उन्हीं के कहने से मिल मालिक साहब हुये। मालिक ने फैसला कर दिया। उनकी तीस मांगें थीं। उनमें से उन्होंने कुछ काट-कूटकर शेष मान लीं। ५७–५८ में फिर "नशे" का वक्त आया। फिर नोटिस की बात उठी और फिर नोटिस हुआ। और फिर समझौता कर लिया। ४ यूनियनें वहां श्रीमन्, अलग-अलग ढंग की हैं। कोई आई० एन०टी०यू०सी०, कोई आई०टी०यू०सी० और मेरा खयाल है कि शिवजी के नन्दी की तरह से जैसे बनारस में होते हैं उसी तरह से वहां भी एक भुक्त 'नन्दी' ट्रेड यूनियन भी है। येन केन प्रकारेण ५७–५८ के सीजन में हड़ताल की नोटिस फिर गई। फिर वही झगड़ा और अब की ३० मांगें जो पहले हो चुकी थीं उनमें ३० और जोड़ दीं क्योंकि इतने बीच में इंटेरेस्ट और शायद बढ़ गया। ५० मांगें आईं और फिर नोटिस दिया। अब दुनिया का सिद्धांत यह है कि अपने ही मुंह से मांगे हुये निर्णायक ने जो फैसला कर दिया उसको मानना चाहिये। गांवों में लोग पंच बनाते हैं। पर बनाने के बाद पंच परमेश्वर की बात टालते नहीं उसका उल्लंघन नहीं करते। ज्यादा से ज्यादा यही कह सकते हैं कि भाई जिसको पंच बनाया था वह बहुत बेईमान निकला इसको आयन्दा नहीं बनायेंगे। यह हो सकता था कि यह कहते "न गंगदत्तः पुनरेति कूपं", अब इस पंच के पास फिर नहीं जायेंगे। लेकिन फिर वहीं जाकर फिर वही मांगें और फिर वही पंच। ५७–५८ में नोटिस के बाद तीनों यूनियनें और मालिक, सब मिल कर बैठते हैं और समझौते का ड्राफ्ट बनाते हैं।

श्रीमन्, श्रम आन्दोलन के संबंध में मैंने इतना तो सीखा ही है कि फैक्ट्री ऐक्ट में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट की धारायें नहीं होतीं चाहे ऊदल जी कहते ही रहें। मैंने भी कुछ सेवायें श्रमिकों कीकी हैं और मैं यह कह दूं कि जो समझौता सन् ५७–५८ में हुआ था वह मुनासिब समझौता था वह श्रमिकों और मालिकों की रजामन्दी से हुआ था। विशारद जी ने कोशिश की थी यह कहने की कि समझौता होने से क्या होता, लोगों ने माना ही नहीं। आऊंगा इस बात पर। माननीय गेंदासिंह जी इस झगड़े के संबंध में एक रोज मुझे कृपा कर मिले, मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनकी बड़ी कद्र करता हूं। उन्होंने कहा ठीक है, मैं ज्यादा जानता नहीं, हो सकता है तुम ठीक कहते हो लेकिन जब तक दूसरी तरफ की बात भी न सुन लूं तब तक कैसे कुछ कह सकता हूं। उन्होंने ठीक बात कही। लेकिन आज तो यहां पर दोनों ओर की बातें सामने हैं और सौभाग्य से मेरे बड़े भाई भी शायद कहीं से सुन रहे हों। अस्तु ५७–५८ में एक समझौता हुआ जिसमें कुछ बातें भी तय हुईं। उसके अनुसार सभी मजदूरों के वेतन में कुछ वृद्धि कर दी गयी ३ रुपये से ले कर ५ रुपये तक। हर मजदूर को तरक्की दे दी गयी। दूसरे यह किया गया कि फैक्ट्री ऐक्ट की छुट्टी सीजनल वर्कर पर भी लागू हो। बात बड़े पेच की है? शायद इस माननीय सदन के सदस्यों को इसका राज न मिल रहा हो। उन्होंने ऐसी बात कह दी जो ऐक्ट में नहीं है। फैक्टरीज ऐक्ट के प्राविजन के मुताबिक वर्ष में २४० दिन काम करने के बाद एक दिन की छुट्टी सवेतन मिलती है। लेकिन समझौता यह हुआ कि जो सीजन में वर्क करता है, यानी २४० दिन की बात खत्म कर दी, सीजन चाहे ९० दिन का हो चाहे १०० दिन का हो, सीजन में काम करने वाले को फैक्ट्री ऐक्ट की छुट्टी दी जायगी। तीसरे वहां एक रिवाज अर्से से यह चला आता था कि हर सीजन बन्द होने पर दो दिन का पैसा मजदूरों को बख्शीश के तौर पर दिया जाता था। यह रिवाज आला हजरत के जमाने का शायद रहा हो। बहरहाल, वह एक सिलसिला चला आता था। मजदूरों ने इस बख्शीश की भावना को छोड़ा। समझौते में यह तय हुआ कि उसे अब श्रमिक न लेंगे लेकिन सारे समझौते में दिक्कत यह आ गयी कि एक भाई जो 'दुकान' ट्रेड यूनियन अपनी खोले हुये थे उनको समझौते के दस्तखत की कार्यवाही में शामिल नहीं किया

गया, बटवारे में रह गये। मैं समझता हूं कि अगर उनके भी दस्तखत उस दिन समझौते पर हो गये होते तो शायद कुछ न होता। लेकिन नहीं हुये और इसलिये नहीं हुये कि उस दिन शायद उनके पीछे कोई मजदूर नहीं था। जिनके पीछे मजदूर थे उन्होंने शर्तनामा किया, यह समझौता पारसाल के सीजन में हुआ था। मैं कहता हूं कि अगर मजदूर इस समझौते के पीछे नहीं थे तो उसी दिन हड़ताल हो जानी चाहिये थी बजाय इसके कि इस साल हमारे भाई को भूख हड़ताल करनी पड़ती। इस भूख हड़ताल के जमाने में मेरा दिल तो थर-थर कांपता था कि न जाने आज क्या सूचना मिले। पारसाल ही हड़ताल करवा देते। सामूहिक समझौते की इस भावना को इस साल के नैनीताल के निश्चय के विरुद्ध, दिल्ली के निश्चय के विरुद्ध रजा और बुलन्द में जो धक्का दिया गया मैं समझता हूं मजदूर आन्दोलन में इसकी मिसाल नहीं मिल सकती। सामूहिक समझौते की इस मांग के खिलाफ इससे अधिक क्या कुछ किया जा सकता था कि सामूहिक समझौते को हम नहीं मानते, अबकी से आला हजरत को ही आर्बीट्रेटर बना दो। अदालत से तय करा दो। जो बात आपस में तय कर दी फिर उसमें नवाब रामपुर, कमिश्नर तथा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की बोलने की क्या आवश्यकता रह गई? मजदूर की मांग पर मालिक ने फैसला कर दिया लेकिन उसको माना नहीं गया। अब फिर जब उससे पंच बनने को कहा गया, तो उसने कहा कि मैं पंच नहीं बनता। पंच बनकर मैंने देख लिया कि इसमें पांचों उंगली जलती हैं। इसलिये अब मैं इसके लिये तैयार नहीं हूं अब मैं कभी पंच नहीं बनूंगा। अगर सामूहिक समझौते की भावना को प्रतिष्ठापित करना है तो उसका आदर करना होगा और घाटे का सौदा तथा मुनाफे का सौदा दोनों के लिये तैयार रहना होगा। यह नहीं हो सकता कि मुनाफे का सौदा मेरा और घाटे का किसी और का। यह चीज चलने वाली नहीं है। इसको कोई मानने वाला नहीं है।

श्रीमन्, एक बात बड़ी दिलचस्प कही गई है और वह यह है कि यह सरकार आई० एन०टी०यू०सी० को बल देना चाहती है। मुझे खुशी है कि मैं भी इसका एक अदना सेवक रहा हूं और मुझे इसका बड़ा घमंड है कि ऐसी एक संस्था हमारे प्रदेश में मौजूद है जो उन मान्यताओं को प्रतिष्ठापित करती है जिनको गांधी जी ने दिया है, उन सद्भावनाओं को प्रतिष्ठापित करती है जिनको गांधी जी ने दिया है। लेकिन सरकार की हैसियत से मैं सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे सामने सब बराबर हैं। हां, मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि यह कहा गया कि हम इसको जब मानेंगे जब फिर से वोट करा दें। जब हम कोई बात कहें तो उस समय हमारा दिमाग साफ रहेगा तो कहने वालों की बात आसानी से समझ में आ जाती है।

श्रीमन्, दुनिया की हर संस्थाओं का एक नियम है कि जो उसके मेम्बर हो तेहै उनसे ही उसकी बाबत पूछा जाता है कि तुम इसको मानते हो या नहीं? जैसे ऊदल जी से पूछा जा सकता है कि कम्युनिस्ट पार्टी की बात और ठिकाना गलत है या ठीक? लेकिन यदि इसमें वह लोग वोट दें जो कांग्रेस के मेम्बर हैं तो जाहिर है कि वह कहेंगे यह संस्था ठीक नहीं है। स्पष्ट है कि इस बात को कम्युनिस्ट पार्टी के लोग ही तय करेंगे। इसी तरह से ट्रेड यूनियन कैसी संस्था है इसको वही लोग तय करेंगे जो ट्रेड यूनियन के मेम्बर्स हैं। इसीलिये इस आम वोट द्वारा संस्थाओं के प्रतिनिधित्व को तय करने की मांग का विरोध हुआ है कि जो लोग किसी भी संस्था के मेम्बर नहीं हैं, जो लोग उनसे संबंधित नहीं हैं उन सबसे कहा जाय कि तुम तय करो कि प्रतिनिधि संस्था कौन है, अनुचित मालूम पड़ता है। यह चीज तो वही लोग तय कर सकते हैं जो ट्रेड यूनियन के मेम्बर्स रहे हैं। किसी के पास कितने मेम्बर्स हैं जब इस सूचना का रिटर्न्स भेजा जाता है तो उस समय ऊदल जी का कोई हाथ पकड़ने नहीं आता है कि वह अपनी किताब में अपनी संस्था के कितने मेम्बर दिखायें। जो उनका चाहे दस हजार मेम्बर बनायें और खबर

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

भेजें । मैं आपके द्वारा दावत देता हूं कि वह एक बार संख्या लिखकर भेंजे । किस बात का तकल्लुफ है ? किस ने रोका है ? आप लोग खुद लिखते हैं जो रिटर्न्स भेजते हैं । हमें मालूम है अगर दो आदमी आई० एन० टी० यू० सी० के करते हैं तो एक आदमी कहां है और आधा आदमी कहां है ? कहा गया कि एक जमाने में भी वोटिंग हुआ था और उसके बाद हमने क्यों नहीं यूनाइटेड चीनी मिल फेडरेशन को माना ? श्रीमन्, बात यह है कि जहां बरात तैयार हुई तो उस समय कई दूल्हे बन गये । हम तो इस मान्यता की शादी करना चाहते थे लेकिन अब किस से करते ? शिब्बन लाल जी ने कहा कि मैं दूल्हा हूं और ब्रजकिशोर जी ने कहा कि मैं दूल्हा हूं । मैंने कहा कि मजबूरी है क्योंकि यह लड़की आप लोगों से शादी करने के लिये मना करती है तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है । इसमें मैं और भगवतीसिंह जी कुछ सहायता नहीं कर सकते हैं । अगर वह मेरी जगह होते तो शायद वह भी यही करते जो मैंने किया है ।

मान्यवर, एक बात और कही गई कि मिल में मजदूरों की हालत बहुत खराब है । आल इंडिया के तनख्वाह तक फीगर्स दिये गये कि समस्त भारत में हमारा प्रदेश इसमें बहुत पिछड़ा हुआ है । डाक्टर सम्पूर्णानन्द जिस प्रदेश के प्रतिनिधि हों उस सरकार का और प्रदेश का यह सौभाग्य है कि वहां के मजदूरों के प्रति अच्छे से अच्छा काम करने के लिये वह तैयार रहते हैं और होता है काम, आखिर मजदूरी क्या होती है ? जितना धन पैदा होता है ? उसमें कितना हिस्सा श्रमिकों को जाता है ? उसकी नाप तौल के लिये एक स्टडी ग्रुप बैठा था केन्द्रीय सरकार का । इसकी उन्होंने छानबीन की । १९५७ की बुकलेट है । उसमें उन्होंने दिया है जो टोटल आउटपुट प्रोडक्शन का है उसका क्या रेशियो मजदूरी का है । मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि हम चाहे किसी से आगे हों या न हों, लेकिन ९० प्रतिशत इस देश के रहनेवाले जो श्रमिक हैं उनमें हमारा कदम बहुत आगे है । सबसे आगे नहीं हैं किसी-किसी में हैं भी । किसी में नहीं हैं । लेकिन सबसे आगे का सवाल नहीं क्योंकि आउटपुट का रेशियो है उससे बम्बई के अन्दर कुछ हम से ज्यादा भी है पर खर्चा ६६ प्रति सैकड़ा हमारे यहां से ज्यादा है । हो सकता है कि बम्बई के मजदूर को हम से दस-पांच रुपये ज्यादा मिलते हों, लेकिन वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हमारे यहां की तरह नहीं कर सकता । १०० लखनऊ के भले और २०० बम्बई के बुरे यहां के ५० रुपये पाने वाले की हैसियत बम्बई के २०० रुपये पाने वाले की हैसियत के बराबर है । पर्सेंटेज शेयर आफ वर्कर्स अर्निंग्स इन नेट वैल्यू आफ फैक्टरी आउटपुट---से स्पष्ट है कि आल इंडिया का ऐवरेज है---६२.४२ । हमारे प्रदेश का ऐवरेज है ७०.१७ प्रतिशत हमारा ऐवरेज आल इंडिया ऐवरेज से भी ज्यादा है । कहा गया कि यहां बड़ी कम तनख्वाह मिलती है । हमारी बुनियादी तनख्वाह बम्बई के बराबर है ३० रुपया मिनिमम वेज । जहां तक भत्ते का प्रश्न है मैंने पहले भी कहा था और आज फिर कहता हूं कि बम्बई का भत्ता हमसे दुगना नहीं है और मंहगी ढाई गुना है । खर्चा ढाई गुना ज्यादा है । विशारद जी के सम्बन्ध में बड़ा डर लगता है कहते हुए, लेकिन चिन्तामणि जी ने एक किताब लिखी थी, उसका एक वाक्य है---"मोर ब्रेन्स ओह लार्ड मोर ब्रेंस आर दे विल पेरिश दि हेवेन दे आर गोइंग टु कांकर।" तो जब मैं यहां बहस सुन रहा था तो मुझे चिन्तामणि जी के इस जुमले की याद आ गयी उन्होंने कहा कि कई साल से कानपुर में बोनस के नाम कुछ भी नहीं दिया गया । एक किताब हमने छापी और बांटी । लेकिन छाप कर पछता रहा हूं । इसके परिशिष्ट "क" को अगर देखा होता तो मालूम हो जाता कि किस किस मिल में मिला या नहीं मिला । मेरा दावा है कि उन्होंने इसको पढ़ने की तकलीफ गवारा नहीं की । यह कहा कि गया हमारे यहां बेकारी बहुत फैल रही है । मेरा यह दावा नहीं कि हमने सारे लोगों को काम दे दिया । अगर हम सारे लोगों को काम देते तो जैसा ऊदल जी कहते है स्टेट विदर अवे हो जाती । जिस दिन हमारे सारे काम हो जायेंगे स्टेट की आवश्यकता नही रहेगी । स्पष्ट है हमारा बड़ा काम बाकी है । गांधी जी भी यही कहते थे । १९५१ में फैक्टरियों में काम करने वालों की संख्या २ लाख

२ हजार के करीब थी और १९५७ में २ लाख ७४ हजार के करीब हैं। तो ७२ हजार आदमियों को ज्यादा काम दिया। क्या बुरा हुआ? बड़े-बड़े कारबारों में ५ हजार रुपये की पूंजी पर एक आदमी को काम मिलता है। इस पांच हजार की पूंजी को अगर मझोले पैमाने पर ढाई हजार भी कर दिया जाय तो इन ७२ हजार आदमियों को ढाई से गुणा करके देखिये। पब्लिक सेक्टर के बाजार में आइये। आपको पता लगेगा कि हमने खास तरक्की की है। एक गरीब देश अपने गरीब साधनों को लेकर जितनी प्रगति कर सकता था हमने की है।

मान्यवर, यह भी कहा गया कि बेकारों के आंकड़े बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। एक बात सदन को आपके द्वारा बता दूं कि हमारे यहां ३६-३७ जगह एम्पलायमेंन्ट एक्सचेन्ज हैं। जब बावनों जिलों में इम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज हो जायेंगे तो यह फिगर और भी ज्यादा हो जायगी क्योंकि जहां बेकारों की संख्या आज नहीं लिखी जा रही है वहां भी लिखी जायगी। जाहिर बात है जहां ५ साल पहले लोग इम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज का इस्तेमाल नहीं करते थे आज कर रहे हैं। उसके जरिये आकर लोग अपना नाम लिखवा रहे हैं। कहा गया कि सरकारी दफ्तर, सरकारी कारखानें और लोकल बाडीज में इम्प्लामेंट का पूरा-पूरा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मैं मान्यवर, आपके द्वारा विश्वास दिलाना चाहता हूं आदरणीय सदन को कि यह हमारी चेष्टा है कि इसका पूरा पूरा इस्तेमाल हो। हमारा इरादा है कि इसकी चेकिंग भी हम करेंगे। माननीय मुख्य मंत्री और कैबिनेट ने अभी निश्चय किया है कि इम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज द्वारा भरती करने के नीति का जहां पर उल्लघंन होगा तो वैसे ही उल्लंघन करने वाला दोषी समझा जायगा जितना कि किसी अन्य राजाज्ञा के उल्लंघन करने वाला समझा जायगा।

यह कहा गया कि जो क्वार्टर्स बने श्रमिकों के लिये उनका किराया ज्यादा है। मेरे दिए गये सदन के भाषण को भी दोहराया गया। मैंने ऐसा भाषण दिया मैं मानता हूं और मैं अब भी मानता हूं कि उनका किराया इतना है कि हर मजदूर का उन क्वार्टर्स में जाना उसकी शक्ति के अन्दर नहीं है। लेकिन अगर यह मांग होती कि छोटे वेज ग्रुप के लिये भी मकान बनाइये तो मैं समझता कि मांग उचित है। मैंने जो कहा था उसमें यह कहा था कि १०० रुपये से कम वेतन पाने वाले इन क्वार्टर्स में नहीं रह सकते, लिल्लाह कुछ व्यवस्था उनकी भी कीजिए। माननीय मुख्य मंत्री जी ने खुद कहा कि हम केन्द्रीय सरकार से परामर्श कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी भाई को यह विश्वास हो कि यह जो २० हजार क्वार्टर्स बने हैं उसमें कोई सम्भावना किराया कम करने की है तो मैं आपके द्वारा बता देना चाहता हूं कि इन्डस्ट्रियल सब-सिडाइज्ड हाउसिंग स्कीम में बने हुए क्वार्टर का किराया दस रुपये से कम होने वाला नहीं है। मैं इस बात को इसलिये दुहराना चाहता हूं कि गलतफहमी न हो जाय। लेकिन छोटे वेज ग्रुप को जो आज स्लम एरिया में रह रहे हैं जिसकी आज क्रयशक्ति भी गिर गई है जो ८ आने, १ रुपया या २ रुपये से ज्यादा किराया दे नहीं सकते उनके लिये हम तल्लीन हैं विचार करने को, कटिबद्ध हैं सहायता करने के लिये और हम सोचते हैं कि कुछ कर सकें और हमें उम्मीद है कि हम कोई रास्ता निकाल सकेंगे।

एक सदस्य---दूसरा स्लम बनायेंगे?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---अच्छे क्वार्टर्स बनायेंगे।

मान्यवर, कहा गया कितने मालिकों को जेल भेजा गया। यह तो अजीब बात है। यह तो वैसी ही बात है जैसे श्रीमन् से कोई नाराज हो कर पूछे कि श्रीमान ने कितनी बार हमारी दावत की। चूंकि आपने चाय नहीं पिलायी इसलिये अनुचित हुआ। यह बात तो कानून की है कि जेल भेजा जाय। हां, यह बात आप पूछे कि कितनों पर मुकदमा चलाया गया और चालान किया गया तो मैं बता सकता हूं। अगर यह कहा जाय कि हम अदालतों को हुकुम दें कि फलाने आदमी को सजा दी जाय तो न तो हम यह हुकुम दे सकते हैं न देंगे। अगर माननीय सदस्य शान्ति के साथ सुनें तो उसका उनको भी लाभ थोड़ा बहुत हो जायगा। मान्यवर,

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

यह कहा गया कि हमने मालिकों के प्रति बड़ी कम नजर डाली है। हमारे इंस्पेक्टर्स ने सभी प्रकार के ५४ हजार से ज्यादा इंस्पेक्शन किये सारे प्रदेश में। भगवती सिंह जी ने कहा कि पन्द्रह इंस्पेक्टर्स आपके थे पहले और वह ५ रोज देते थे जब ६२ हो गए और ३ रोज देते हैं। मैं उनको बताऊं कि ६२ नहीं बल्कि ८२ हैं इंस्पेक्टर अब। उनके बारे में अब एक इंटीग्रेटेड योजना है। पहले वह शाप ऐक्ट को देखते थे। लेकिन अब जितने भी श्रम कानून हैं उन सबको वह देखेंगे। और इस तरह से अगर आप देखेंगे तो मालूम होगा कि पिछले सालों से कितना ही ज्यादा इस साल इंस्पेक्शन हुआ। हजारों मुकदमें हमने चलवाये, ऐडजूडिकेशन की प्रोसीडिंग्स की, कुर्की नीलामी के वारंट लाये गए और जहां तक इम्प्लीमेंटेशन का सवाल है अवार्ड के जरिये जो मजदूरों को पैसा मिलता है, उसके दिलाने का सवाल है मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश के अन्दर जो आंकड़ें हैं उनसे सिद्ध होता है कि ९७ परसेंट केसेज में हम अदालतों के फैसलों को लागू करवाने में, मजदूरों को अवार्ड का पैसा दिलवाने में समर्थ हुए हैं। अब अगर ३ परसेंट हमारी फेल्योर को कोई हंड्रेड परसेंट फेल्योर समझता है तो उसमें मुझे कुछ कहना नहीं है।

एकाध बात और कहना चाहता हूं। कहा गया कि ऐडजूडिकेशन बहुत कम होता है। अब ऐडजूडिकेशन ज्यादा हम करते हैं तो शिकायत यह होती है कि आपने तो मजदूरों को मुकदमेबाज बना दिया है। हड़ताल कराना आप नहीं चाहते। अगर हड़ताल करने वाले होते तो भूख हड़ताल की जरूरत नहीं थी। हड़ताल श्रमिक का एक दूसरा अस्त्र है, मैं स्वीकार करता हूं, व्यवस्था के अन्दर हड़ताल करने के अधिकार का आप पूरा-पूरा इस्तेमाल करें। लेकिन यह भी मैं एम्फसाइज करना चाहता हूं कि हड़ताल बड़ा खतरनाक और डबल एज्ड वेपन है। गलत इस्तेमाल करने से बूमरेंग की तरह अपने को ही लगता है। वह एक अमोघ अस्त्र है, बहुत बड़ा अस्त्र है। कभी-कभी उसका इस्तेमाल होना चाहिये और समझ के साथ इस्तेमाल होना चाहिये। उसमें किसी को एतराज नहीं है। मान्यवर, हम ज्यादा लोगों को ऐडजूडिकेशन में नहीं भेजते। लेकिन जितने भी मामले हमारे सामने आये उसमें से २२ परसेंट हमने समझौते से तय कर दिये। जो शेष मामले रहे उनमें से पिछले साल के मुकाबिले कहीं ज्यादा इस साल हमने श्रम अदालतों को केसेज भेजे और बाकी जो मामले हैं वह बहुत कम हैं। समय कम है। सारे आंकड़ों में मैं नहीं जा सकता।

एक बात कही गई कि ओल्ड एज पेंशन श्रम विभाग से हटा दी जाय। श्रम विभाग में नहीं रहेगी सरकार के किसी और विभाग में रहेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उनकी भावना को इससे ठेस लगती है जिन्होंने कि उसके काम को किया है। जिस तरह से श्रम विभाग ने इस योजना को कार्यान्वित किया है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि श्रम आयुक्त का कार्यालय, श्रम आयुक्त के सब अधिकारी हमारी प्रशंसा के पात्र हैं। कोई सूचना इस प्रदेश में नहीं थी कि ७० साल से ऊपर के कितने व्यक्ति हैं, कहीं कोई प्रिसिडेंस नहीं था, केवल दो-तीन महीने के अन्दर जिस तेजी से और जिस मेहनत से उन्होंने काम किया वह अवश्य सराहनीय है। ३१-१-५९ तक १८,६२९ प्रार्थना-पत्र आये जिसमें से ११,२१५ तो वहीं रिजेक्ट हो गए। उसके बाद उनमें से ४,५५० आदमियों को इस रकम के मातहत इस वक्त पेंशन मिल रही है, कहा गया कि समाजकल्याण विभाग में यह आ जाय। ठीक है यह आपका सुझाव है, माननीय मुख्य मंत्री जी उसको देखेंगे। लेकिन मैं खुश होता कि श्रम विभाग ने इस योजना को कार्यान्वित करने में जो प्रशंसनीय कार्य किया है उसकी तरफ भी ध्यान दिया गया होता। मेरा दावा है और मैं समझता हूं कि हमने उस काम को बहुत अच्छी तरह से निभाया है।

मान्यवर, खेतिहर मजदूरों के सम्बन्ध में कहा गया। हमें खेतिहर मजदूरों के साथ बड़ी दिलचस्पी है, हमें उन्हें ऊंचा उठाने में बड़ी दिलचस्पी है। लेकिन यह कहा गया कि उनके काम के घंटे तय कर दिये जांय, उनकी छुट्टी सवेतन तय कर दी जाय। एकाध भाई ने

कहा उनके मकानों की व्यवस्था कर दी जाय । किसी ने कहा उनके बच्चों के स्कूल में पढ़ने की व्यवस्था कर दी जाय । मिनिमम वेजेज के सम्बन्ध में जो एक सुझाव हरीसिंह जी ने दिया उसका तो मैं स्वागत करता हूं । उन्होंने सुझाव दिया कि जोन के मुताबिक वेज होनी चाहिये । उस पर हम विचार करेंग । लेकिन जहां तक और बातों का सम्बन्ध है, जो लोग गांवों के सम्बन्ध में भी जानते है वह इस बात को जानते हैं कि गांवों में संगठन आदि का काम करना कितना कठिन होता है । हरएक सामाजिक कल्याण देने वाला कानून तभी सफल हो सकता है जब कि प्रबल संगठित शक्ति, उस कानून के लिये काम करने वाली शक्ति उसके पीछे लगी हो । सरकार की शक्ति से कभी काम नहीं हुआ । उदाहरण के लिये में यह कहना चाहता हूं कि इंग्लैंड में जिस समय लेबर गवर्नमेंट आई तो उस समय उस मिनिमम वेजेज ऐक्ट को जो १९२८ में बनाया गया था लागू किया गया । उस ऐक्ट मुताबिक मिनिमम वेजेज वहां पर फिक्स की गई । उस ऐक्ट को लगने के बाद सन् १९३६–३७ और ३८ में इस प्रकार के दृष्टान्त सामने आये कि मिनिमम वेजेज ऐक्ट के अनुसार मजदूरों को वेतन नहीं मिलता था । इंग्लैंड जैसे देश में जहां पर ट्रेड यूनियन भी इतनी संगठित रूप से वहां पर थी और श्रमिकों की सामूहिक शक्ति वहां पर थी फिर भी मिनिमम वेजेज ऐक्ट के अनुसार जो मजदूरों को वेतन पाने का हक था वह नहीं पाते थे । वहां पर इम्पलायमेंट इन्श्योरेन्स स्कीम भी थी, लेकिन जो मजदूर बेकार इधर उधर रह कर भी बेकारी का मुआवजा पा सकते वे कम पैसे पर जाकर काम करते पाये गये । मेरा निवेदन यह है कि जो माननीय सदस्य यदि खेतिहर मजदूरों से दिलचस्पी रखते हैं वह इस सदन के अन्दर नहीं बल्कि इस सदन के बाहर जो विशाल भूमि पड़ी हुई है, गांव के गांव इस तरह की भूमि से घिरे हुए हैं, हम और आप सभी चलें और उनके सुधार के संबंध में काम करें तो यह एक अच्छा वातावरण उत्पन्न होगा और उनका कल्याण होगा ।

एक बात मकान, पानी, शिक्षा के संबंध में कही गई । मैं समझता हूं कि सरकार कितना भी करना चाहे जब तक समाज खेतिहर मजदूरों के संबंध में मदद करना न चाहे तब तक कुछ नहीं हो सकता । हमारा भी कर्त्तव्य है कि सरकार कुछ करे और करती है । अगर हमने हरिजनों के लिये १ करोड़ रुपये का अनुदान स्वीकार करने के लिये रखा है तो उसका मतलब यही है कि हम उनके लिये मकान बनायें, पानी पीने के लिये प्रबन्ध करे और उनकी शिक्षा के लिये प्रबन्ध करें । इन सब योजनाओं के तहत जो पैसा खर्च होता है वह पैसा जाकर कुल उन हरिजनों के बच्चों की शिक्षा के संबंध में, मकान के संबंध में और पानी आदि के संबंध में लगता है ।

एक बात कही गई अमृतबाजार पत्रिका के संबंध में । इसके लिये हम बहुत चिन्तित हैं । हमारे मुख्य मंत्री जी ने इसके लिये कोशिश की कि यह मामला सुलझ जाय । मैं उस संबंध में कुछ कहना नहीं चाहता हूं क्योंकि कल ही उस पर फैसला हुआ है इस बात का कि जो यह अमृतबाजार पत्रिका का विवाद खड़ा हुआ है इस मामले को हमने केन्द्रीय सरकार को लिखकर भेज दिया है कि उस मामले को नेशनल ट्रिब्यूनल के सामने भेज दिया जाय तो हमें कोई उज्र नहीं है । उनकी इच्छा हो तो वे भेजे और न इच्छा हो तो न भेजे । इस संबंध में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि इस मामले को सुलझाने की बड़ी आवश्यकता है और यह सुलझना चाहिये । इसको बड़ी समझदारी के साथ सुलझाने का प्रयास हमारे प्रदेश की सरकार और माननीय मुख्य मंत्री की दृष्टि के सामने बराबर रहा है और वह कभी न कभी किसी हद पर जाकर सफल होगा ।

एक बात और शाप्स ऐक्ट के बारे में कहना चाहता हूं कि जिन दिक्कतों को इस कानून के अन्तर्गत बयान किया गया है उनको हम इस सदन के सामने एक दूसरा कानून लाकर अवश्य दूर करेंगे, लेकिन कोई भी कानून बनाया जाय उसमें कभी-कभी कठिनाई आती ही है । यदि किसी माननीय सदस्य के दिल में यह बात हो कि श्रमिक आन्दोलन से श्रमिकों का कल्याण होने वाला है, तो वे सज्जन निराश ही रहेंगे । इसलिये हम इस दलगत झगड़े

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

से ऊपर उठें और सब मिलकर श्रमिक आन्दोलन को मजबूत बनाने की चेष्टा करें । उसके अन्दर राजनीतिक दल का स्वार्थ निहित न हो । गोली चलाने, बम बनाने या किसी पर लाञ्छन लगाने से काम चलने वाला नहीं है । इस आइने को साफ करके देखने की जरूरत है ।

उधर केरल में जो हो रहा है, जो श्रमिक आन्दोलन पर आघात किये जा रहे हैं, जिस तरह से श्रमिकों के बोनस के संबंध में वहां पर गोलियां चलाई जा रही है, बागान मजदूरों के आन्दोलनों को जिस तरह से कुचला जा रहा है इस तरह का कार्य इस सरकार ने कभी नहीं किया है और न करने का इरादा रखती है मुझे भरोसा है इस प्रदेश के मजदूर अपने दोस्त और दुश्मन को पहचानेंगे और श्रम आन्दोलन को उस ऊंचे शिखर पर पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि जिसकी प्रेरणा उनको इस देश के पूज्य बापू से मिली थी । इन शब्दों के साथ मैं इस सदन से प्रार्थना करता हूं कि इन कटौती के प्रस्तावों को गिरा कर मेरे इस अनुदान को स्वीकार करे ।

श्री सैयद जरगाम हैदर---अभी मंत्री जी ने फरमाया कि जिला मैजिस्ट्रेट के हुक्म से जेल भेजे जाते हैं तो क्या इस वसूली के दौरान में कलेक्टर के हुक्म की तरह जो लैन्ड रेवेन्यू की वसूली में होता है, उसमें किसी के साथ व्यवहार हुआ है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---हम जब लैन्ड रेवेन्यू की वसूली के लिये जाते हैं तो पैसा वसूल कर ले आते हैं । जेल भेजने की नौबत नहीं आती । जिस काम के लिये जाते हैं उसे कर के आते हैं ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-नीति का व्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है । श्रम-नीति का प्रदेश के श्रमिकों के हित में संशोधन न किया जाना जिससे छंटनी? प्ले-आफ व बेकारी बढ़ रही है व मजदूरों पर मिल मालिक का दबाव बढ़ रहा है, उदाहरणार्थ रामपुर की रजा व बुलन्द चीनी मिलों की स्थिति ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---अब श्री माता प्रसाद जी का कटौती का प्रस्ताव है ।

श्री माता प्रसाद---मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया ।)

श्री अध्यक्ष---अब श्री नारायण दास जी का प्रस्ताव है ।

श्री नारायण दास---मैं भी अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३०-लेखा शीर्षक ४७-श्रम प्रकीर्ण विभाग के अन्तर्गत १,५६,१०,१०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५८ मिनट पर, अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ;
१६ मार्च, १९५९ ।

पी० एस० यू० पी०-ए० पी०---१३ एल० ए०---१९५९---८४५ ।